

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक एफ13(22)वृ क / सकवि / 2004 43554 जयपुर, दिनांक 22/9/04

राजस्थान के वृद्ध लोगों की वृद्धावस्था में उनके जीवन को
उमंगपूर्ण बनाये जाने के लिए राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार
कल्याण सेवा आश्रम नियम 2004-

राजस्थान सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा निःसहाय/निराश्रित वृद्धों/अशक्त/वृद्ध दम्पति की उचित देखभाल हेतु राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम संचालन हेतु अनुदान देने के लिए निम्न प्रकार से नियम बनाती है। यह नियम राजस्थान वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए सेवा आश्रम (वृद्ध आश्रम) तथा देखभाल केन्द्र (डे-केयर सेन्टर) व्यवस्था एवं संचालन नियम 1997 को अधिक्रमित करते हुए बनाए जाते हैं -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :

यह नियम "राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम 2004" कहलायेंगे।

2. ये नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।

3. ये नियम वर्ष 2004 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं :

क. "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं।

ख. "विभाग" से तात्पर्य समाज कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार से है।

ग. "शासन सचिव" से तात्पर्य शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान से है।

घ. "निदेशक" से तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान से है।

ङ. "जिला अधिकारी" से तात्पर्य संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से है।

च. "वृद्ध" से तात्पर्य 60 वर्ष या अधिक की आयु के पुरुष एवं 55 वर्ष या अधिक की आयु की महिला से है।

छ. "अशक्त" से तात्पर्य ऐसी व्यक्ति से है, जो निराश्रित निराहाय अशक्त व्यक्ति के रूप में परिचित है।

ज. "गरीब" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका परिवार बहुत कम आयु के व्यक्ति के परिवार के आर्थिक स्थिति कमजोर है।

झ. "भक्त श्रवण कुमार मित्र" से तात्पर्य उन व्यक्तियों को

जो राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम के संचालन में

1958) के अन्तर्गत लोक संस्थान के रूप में पजीकृत हो एवं व्यक्ति विशेषों के लाभार्थ न हो। संस्था द्वारा अत्यन्त गरीब वृद्धों का प्रथम चयन आवश्यक होगा, लाभार्थी का आर्थिक व उसके परिवार की परिस्थिति का ध्यान न रखकर वरीयता के अनुसार चयन किया जायेगा। जरूरत पड़े पर इच्छुक लोगों की सेवा के लिए उसी मोहल्ले व कच्ची बस्ती में कम से कम 25 व अधिक से अधिक 50 लोगों के मनोरंजन हेतु गाने-कताने की व्यवस्था, नाश्ते, चाय, आवश्यकता पड़ने पर भोजन की व्यवस्था, पत्र-पत्रिका, साधु-संतों के प्रवचन एवं दूरदर्शन आदि की सुविधा उपलब्ध करवाये। साथ ही ऐसे लोगों को वह भक्त श्रवण कुमार -गिरमित्री आस-पास के जिलों में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के दर्शन की व्यवस्था भी करे।

- ट " भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम" से तात्पर्य भक्त श्रवण कुमार मित्र द्वारा लाभार्थी के मोहल्ले अथवा कच्ची बस्ती में चिन्हित ऐसा स्थान जहाँ पर पानी, वायु, प्रकाश की सुव्यवस्था हो और जितने लोगों की सेवा के लिए वह बनाया जाता है, उनके उठने, बैठने, आराम करने, चाय-पानी, नाश्ता आदि का सेवन करने के लिए पर्याप्त स्थान हो और समाज कंटकों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त हो।
- ड " भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम व भक्त श्रवण कुमार -मित्र के तयन / स्वीकृतकर्ता अधिकारी" से तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण विभाग राजस्थान से है।
- ड प्रबन्ध समिति - स्वयं सेवी संस्था की ऐसी समिति से है जो संस्था के संविधान के अनुसार प्रबंध संचालन हेतु गठित एवं अधिकृत हो।

3. भक्त श्रवण कुमार-मित्र का चयन :

वे संस्थायें जो नियम 2 के उपनियम (झ) की शर्त पूरी करती हों को इन नियमों के अन्तर्गत अनुदान चाहने के लिए मान्यता हेतु प्रार्थना (परिशिष्ट "1") निदेशक समाज कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित करना होगा। इन आवेदनों की जाँच, इस कार्य हेतु निर्धारित प्रभारी अधिकारी द्वारा कर संबंधित जिलाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी।

3. सम्पूर्ण राजस्थान राज्य से प्राप्त इन आवेदन पत्रों का मुख्यालय स्तर पर भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से परीक्षण कर सूची बनाई जायेगी तथा वित्तीय वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध करवाये गये बजट को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक द्वारा भक्त श्रवण कुमार-मित्रों की संख्या का निर्धारण कर सबसे उपयुक्त आवेदकों का चयन कर उन्हें भक्त श्रवण कुमार-मित्र स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे।

4. भक्त श्रवण कुमार-मित्र की स्वीकृति के आदेश निदेशक जारी कर 3-4 त्रैमासिक वास्तविक अनावर्तक एवं आवर्तक बजट प्रथम 3 माह के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायेंगे तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम की संवाह सराहनीय रहने पर अगले तीन माह के हिसाब से पूर्ण वर्ष के लिए बनने वाले अन्तर्गत 10

अलग-अलग राशि जारी करने। यदि अलग-अलग राशि जारी करना वित्तीय वर्ष में सम्भव नहीं हो सके तो एक साथ भी राशि जारी की जा सकती है।

c. भक्त श्रवण कुमार मित्र (स्वयंसेवी संस्था) से निम्न प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्राप्त किये जायेंगे :

- (क) भक्त श्रवण कुमार मित्र का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं संविधान के पंजीकरण संख्या।
- (ख) भक्त श्रवण कुमार मित्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने का प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति / जनजाति के स्वयं सेवी संगठनों के प्रकरणों में शर्त लागू नहीं होगी।
- (ग) भक्त श्रवण कुमार मित्र द्वारा प्रदत्त सेवायें बिना किसी जाति, धर्म एवं भाषा के भेदभाव के सभी को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (घ) भक्त श्रवण कुमार मित्र के पास सेवाश्रम/देखभाल केन्द्र चलाने हेतु प्राप्त भवन व स्टाफ तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हों।
- (ङ) प्रत्येक लाभार्थी का नाम मय पते की सूची तथा राशनकार्ड व फोटो सहित पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- (च) स्वयं सेवी संस्था की कार्यकारिणी द्वारा भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम संतालित करने का पारित प्रस्ताव।

d. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम की शर्तें

- i. प्रत्येक भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम में 50 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति / जनजाति से होने अनिवार्य है।
- ii. यदि किसी कस्बे / शहर में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति / जनजाति की जनसंख्या है ही नहीं तो ऐसे मामलों में क्रम संख्या 1 की शर्त में छूट माननीय मंत्री समाज कल्याण द्वारा दी जा सकती है।
- iii. राजकीय सेवा से सेवा निवृत्त व्यक्ति जिसे पेंशन प्राप्त हो रही है इन भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम में प्रवेश नहीं पा सकते हैं।
- iv. अगर सेवा निवृत्त व्यक्ति भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम में प्रवेश पाना चाहता है तो उसे अपने स्वयं के खर्च पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- v. स्वयं सेवी संस्था के संचालक मंडल का कोई भी सदस्य भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम में प्रवेश नहीं पा सकता है।
- vi. स्वयं सेवी संस्था को पहले 25 वृद्धों की स्वीकृति दी जायेगी इसके बाद स्वयं सेवी संस्था की सेवा संतोष जनक इन्फो पर वृद्धों की संख्या 2 वर्ष बाद विद्यमान परिस्थितियों में आवश्यकता के पर भी वृद्धों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- vii. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्तियों को भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

सेवा आश्रम की पढ क्षमता 25 तक करने का अधिकार निदेशक, रामाज कल्याण विभाग को होगा।

- viii. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम का समय प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक रहेगा
- ix. स्वयं सेवी संस्था के उद्देश्यों में वृद्ध कल्याण शामिल होना अनिवार्य है।
- x. स्वयं सेवी संस्था को वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
- xi. अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों द्वारा संचालित स्वयं सेवी संस्था को एक वर्ष के अनुभव की आवश्यकता जरूरी नहीं है।
- xii. स्वयं सेवी संस्था को अनुभव में छूट माननीय मंत्री रामाज कल्याण स्तर से दी जा सकती है।
- xiii. स्वयं सेवी संस्था द्वारा वर्ष में दो बार वृद्धों को भ्रमण कराया जायेगा।
- xiv. वृद्धों को अपने स्वयं के जिले से दूसरे जिले में भ्रमण पर ले जाना पर ही भ्रमण की राशि को भुगतान किया जायेगा।
- xv. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम का संचालन प्रतिमाह कम से कम 25 दिन नियमित रूप से किया जायेगा।
- xvi. स्वयं सेवी संस्था द्वारा वृद्धों को 15 दिवस में एक बार राजकीय चिकित्सालय में ले जाकर उनकी जांच कराई जाकर निशुल्क उपचार की व्यवस्था कराई जायेगी।
- xvii. स्वयं सेवी संस्था द्वारा वृद्धों को दांत, घश्मा, दंडी, आदि निशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।
- xviii. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम हेतु गठित प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमाह नियमित रूप से की जायेगी, त्रिसमास रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशालय में भेजी जायेगी।
- xix. जो स्वयं सेवी संस्था विद्यालयों का संचालन कर रही है उन्हें इस योजना को संचालित करने की अनुमति / स्वीकृति नहीं दी जायेगी। पूर्व में जो स्वयं सेवी संस्था डे-केयर सेन्टर का संचालन कर रही है तथा विद्यालयों का भी संचालन कर रही है उनका डे-केयर सेन्टर इन नियमों के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जायेगा।
- xx. एक स्वयं सेवी संस्था को एक ही भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम संचालित करने की अनुमति दी जायेगी अर्थात् अन्य जगह आश्रम/भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम चलाने की अनुमति अन्य जगह पर नहीं दी जायेगी।
- xxi. यदि किसी कारण से स्वयं सेवी संस्था को चलाने में असमर्थता उत्पन्न हो जाये तो उसे स्वयं सेवी संस्था के संचालन से हटा दिया जायेगा।

- xxii. कोई भी भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम विद्यालय कैम्पस में संचालित नहीं किया जायेगा। यदि विद्यालय कैम्पस में निरीक्षण के दौरान संचालित पाया गया तो उस श्रवण कुमार मित्र को परिशर भत्ता किराया, बिजली पानी, टेलिफोन, व्यवस्थापक आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा अर्थात् ऐसे भक्त श्रवण कुमार मित्र को चाय/दालिया आदि की राशि का ही भुगतान किया जायेगा।
- xxiii. स्वयं सेवी संस्था को विभाग की किसी एक योजना को ही आगे बढ़ाया जा सकता है यदि स्वयं सेवी संस्था द्वारा विभाग की कौन सी योजना पूर्व से ही चला रही है तो उसे इस योजना का आगे बढ़ाया जायेगा।
- xxiv. जिस श्रवण कुमार मित्र (स्वयं सेवी संस्था) का भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम सर्व श्रेष्ठ संचालन हो रहा है उसे प्रत्येक वर्ष पर प्रतिवर्ष एक अक्टूबर (राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस) पर सम्मानित किया जायेगा।

नोट उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करने वाले भक्त श्रवण कुमार मित्र (स्वयंसेवी संस्था) को मान्यता प्रदान करने का मामला निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा अपना सिफारिश के साथ राज्य सरकार को भेजा जायेगा तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही स्वयंसेवी संस्था को सक्षम/मान्य संस्था घोषित किया जा सकेगा।

4. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियंत्रण :

1. भक्त श्रवण कुमार-मित्र प्रत्येक माह प्रतिदिन उनके द्वारा संचालित भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम में जिन लोगों की सेवा की जायेगी नियमों के साथ संलग्न मानचित्र में रिपोर्ट निदेशक समाज कल्याण को 5 तारीख तक आवश्यक रूप से भेजेगा तथा इसकी एक प्रति का पृच्छा/संबंधित समाज कल्याण अधिकारी को करेगा।
2. निदेशक भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम के प्रभारी अधिकारी 8: प्रतिमाह की 5 तारीख को प्राप्त सभी आश्रमों की रिपोर्ट का परीक्षण करवायेंगे। प्रभारी अधिकारी इस परीक्षण रिपोर्ट पर उसी माह की 10 तारीख को निदेशक से बैठक कर वांछित दिशा-निर्देश भक्त श्रवण कुमार-मित्रों को भिजवायेंगे।
3. विभाग के अधिकारियों द्वारा निदेशक के निर्देश पर समय-समय पर भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रमों के निरीक्षण करवाये जायेंगे जो संबंधित जिम्मा अधिकारी हर तीन माह में कम से कम एक बार आश्रमों का निरीक्षण करेंगे तथा आश्रम पर एक निरीक्षण प्रतिवेदन भक्त श्रवण कुमार मित्र द्वारा सक्षारित की जायेगा जिसमें जिला शक्ति/विभाग के मुख्यालय के अधिकारी उस पर अपने सुझाव/सुझावों को रिपोर्ट में रखना भी शामिल करेगा।



5. जिस भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम की पूरे वित्तीय वर्ष में सेवाएं सराहनीय रहती हैं उसके भक्त श्रवण कुमार-मित्र को अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी उस सेवा आश्रम को संचालित करने के लिए अक्सर प्रदान किया जायेगा,

6. यदि किसी भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम के संबंध में मासिक रिपोर्ट एवं उसमें सेवा प्राप्त कर रहे लोगों की ओर से सराहनीयता का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है और उसके कार्यकलापों में अनियमितता जिला अधिकारी अथवा विभाग के निदेशक के निर्देश पर निरीक्षण करने/जाँच करने गये अधिकारी के द्वारा पाई जाती है तो ऐसे आश्रम को कोई बजट उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा न ही कोई शेष राशि (यदि बकाया हो तो) दी जायेगी।

5. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम पर संचारित रिकॉर्ड :

1. भक्त श्रवण कुमार-मित्र एवं आश्रम में सेवा प्राप्त करने वाले लोगों की सेवा से संबंधित पंजिका जिसमें प्रतिदिन का ब्यौरा होगा।
2. आश्रम के लिए क्रय किये गये सामान के लिए क्रय पंजिका, जिसमें क्रय की तिथि के अनुसार सामान का नाम, मूल्य, मात्रा व जिस दुकान से सामान क्रय किया गया है का नाम अंकित होंगे।
3. आश्रम के लिए क्रय किये गये सामान को उपभोग के लिए आश्रम के सदस्यों को अर्पित करने की विवरण पंजिका, जिसमें जो उपभोग के लिए सामान/सामग्री/फल आदि दिये जायेंगे, उनका विवरण होगा।
4. निरीक्षण पंजिका।
5. भ्रमण पंजिका।
6. कैश-बुक।
7. स्टॉक रजिस्टर।
8. बैंक खाते की पास-बुक।
9. विभाग को भेजे जाने वाले मानचित्रों व पत्रों व विभाग से प्राप्त होने वाले पत्रों की पत्रविली।
10. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम के सदस्यों की चयन पंजिका।
11. स्वास्थ्य पंजिका, जिसमें चिकित्सक द्वारा आश्रम के सदस्यों के स्वास्थ्य को जाँच कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर औषधि उपलब्ध करवाये जाने से संबंधित विवरण होगा।
12. मनोरंजन आदि के लिए की गई व्यवस्थाओं की पंजिका।

6. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम पर स्टाफ व्यवस्था :

1. आश्रम पर एक व्यवस्थापक की नियुक्ति की जायेगी जो भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम को संचालित करेगा।
2. एक अन्य आजीवन लिपिक की नियुक्ति की जायेगी जो लेखा रखी रखेगा।

12

3. एक पूर्ण कालिक सफाई कर्मी की नियुक्ति की जायेगी जो भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम की प्रतिदिन सफाई व्यवस्था करेगा।

7. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम पर दी जाने वाली सुविधाएं :

1. मनोरंजन - टी.वी., पत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ताश, कैरम, संगीत, मजन, धार्मिक पुस्तकें आदि।
2. नाश्ता - फल, बिस्किट, मुने हुए चने, देसी घी का हलुआ, अंकुरित अनाज आदि।
3. व्यायाम - प्राणायाम, योगासन (साधारण आसन, दहाड़ासन व हंसने का आसन आदि)।

8. अनुदान एवं बजट प्रावधान

- (क) भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान वही रहेगा जो पूर्व में डे-केयर सेन्टर हेतु आवंटित है।
- (ख) किसी भी मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संस्था का प्रथम बजट एवं प्रथम अनुदान स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जायेगा उसके बाद निदेशक समाज कल्याण विभाग बजट की कुल अधिकतम सीमा के अर्धे से स्वीकृति जारी कर सकता है।
- (ग) श्रवण कुमार मित्र को स्वीकृत बजट का 100 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। जो परिशिष्ट "2" के अनुसार होगा।
- (घ) श्रवण कुमार मित्र को प्रत्येक वर्ष स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र व सनदी लेखाकार से बैलेन्स शीट प्रस्तुत करनी होगी।
- (ङ) सहायता अनुदान मात्र उन परियोजन हेतु देय होगा जिसकी मान्यता दी हुई है।
- (च) अनुदान प्राप्ति से पूर्व संस्था द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पर भर कर दिया जायेगा कि संस्था के कार्य बन्द कर देने के कारण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता समाप्त कर देने के पश्चात सरकार को पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के सम्पूर्ण समान वापस जमा करा दिया जायेगा।
- (छ) विभाग द्वारा चाही गई समस्त सूचनाएं श्रवण कुमार मित्र द्वारा समय पर उपलब्ध करवानी होगी।
- (ज) श्रवण कुमार कल्याण सेवाश्रम निरन्तर चलाने के लिए श्रवण कुमार मित्र को प्रत्येक वर्ष औपचारिक रूप से प्रार्थना करनी होगी तथागत वर्ष के ऑडिट स्टेटमेंट व उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
- (झ) विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त श्रवण कुमार मित्र अपनी इच्छा से योजना सलाहक एवं जरी किया अन्य संस्था को स्थानान्तरित नहीं करेगा।

- उन्हें एक माह पूर्व विभाग को सूचित करना होगा तथा अनावर्तक मद में क्रय किये गये सामानों को जिलाधिकारी को जमा कराना होगा।
- (ण) भक्त श्रवण कुमार मित्र को अनुदान तब ही स्वीकृत किया जायेगा जब जिलाधिकारी से प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट के साथ यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो कि भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम में 50 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- (त) वर्तमान में जो डे-केयर सेन्टर स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से "राजस्थान वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए सेवाश्रम (वृद्धाश्रम) तथा देखभाल केंद्र (डे-केयर सेन्टर) व्यवस्था एवं संचालन नियम 1997" के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं। उन सभी स्वयं सेवी संस्थाओं को भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम 2004 के अन्तर्गत नये सिरे से आवेदन करना होगा तथा दो माह (अक्टूबर व नवम्बर 2004) के अन्दर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। अगर कोई स्वयं सेवी संस्था इन नियमों के अन्तर्गत आवेदन नहीं करती है तो उसकी मान्यता दो माह बाद स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

9. दण्डात्मक कार्यवाही के प्रावधान :

किसी शिकायत की जाँच करने अथवा निदेशक के आदेश से निरीक्षणकर्ता अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसी भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम के लिए आवंटित धनराशि के दुरुपयोग होने का तथ्य सिद्ध हो जाता है तो ऐसे भक्त श्रवण कुमार मित्र आश्रम की मान्यता रद्द करने का सकारण लिखित में निदेशक द्वारा आदेश जारी जायेगा एवं राशि का गबन भी सिद्ध होता है तो श्रवण कुमार मित्र से यह राशि वसूल की जायेगी। अगर ऐसे भक्त श्रवण कुमार मित्र की राशि बकाया है तो उसे जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही ऐसे दोषी भक्त श्रवण कुमार मित्र को भविष्य में कभी भी समाज कल्याण विभाग की कोई भी योजना संचालित करने का अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

9. नियमों में शिथिलता

इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व राहमति के बिना नहीं दी जायेगी। इन नियमों की व्याख्या निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी और वही अन्तिम एवं बन्धनकारी माना जायेगा।



निदेशक

समाज कल्याण विभाग

राजस्थान, तारापुर

(अ) भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा देय वित्तीय सहायता (25 वृद्धों हेतु)

क.स.	आवर्तक व्यय	पद संख्या	मासिक व्यय	वार्षिक व्यय
1	व्यवस्थापक	1	4000	48000
2	लिपिक (अंशकालीन)	1	700	8400
3	सफाईकर्मी (अंशकालीन)	2	300	3600
4	आवास किराया			
	शहरी क्षेत्र		2500	30000
	ग्रामीण क्षेत्र		1500	18000
5	पुस्तक/पत्र पत्रिकाएँ		250	3000
6	भ्रमण		200*25	5000
7	चाय/अल्पाहार		5 रुपये	37500
			प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कुल 300 दिवस तक	
8	बिजली/पानी, अन्य व्यय		1000	12000

योग शहरी क्षेत्र :- 147500

योग ग्रामीण क्षेत्र :- 135500

(ब) अनावर्तक व्य

1	फर्नीचर, दरी, रेडियो, टीवी, बर्तन, आदि	20000
---	--	-------

भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवाश्रम नियम, 2004 के अंतर्गत आवेदन पत्र

- 1 संगठन/संस्था का नाम :
पता :
फोन नम्बर :
मोबाईल नम्बर :
फैक्स :
- 2 किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है :
रजिस्ट्रेशन संख्या व रजिस्ट्रेशन की :
तारीख व विधान एवं उद्देश्यों की प्रति :
(सत्यापित प्रति लगाए)
- 3 विदेशी अभिदाय अधिनियम के अंतर्गत :
रजिस्ट्रेशन (यदि हों, तो गत तीन वर्षों :
में प्राप्त सहायता का सत्यापित विवरण) : हों/नहीं
- 4 प्रबंध मंडल/शासी निकाय के सदस्यों :
के नाम एवं पता तथा वर्तमान प्रबंध :
मंडल के गठन की तारीख (सत्यापित :
प्रतियाँ)
- 5 संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की :
सूची :
i पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की :
प्रति जिसमें तुलनपत्र हो
ii संगठन/संस्था द्वारा पिछले 3 वर्षों :
की प्राप्ति व भुगतान लेखा :
(आय-व्यय का सनदी लेखाकार :
द्वारा प्रमाणित लेखे)
- 6 संस्था की चल व अचल सम्पत्तियों का :
प्रमाणित ब्यौरा
- 7 परियोजना का विस्तृत विवरण (प्रोजेक्ट :
रिपोर्ट)
- A क्षेत्र जहाँ परियोजना प्रारम्भ की जानी :
है अथवा की जा रही है, उस क्षेत्र की :
भौगोलिक स्थिति का विवरण
- B सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों :
का लक्ष्य समूह (महिला/पुरुष)। यदि :
केन्द्र महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए

है तो उनके रहने की पृथक्-पृथक् व्यवस्था की विवरण। (परियोजना के मानचित्र में पृथक्-पृथक् दर्शाया जाये)

C प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं :
सेवाओं तथा लाभार्थियों से लिया जाने
वाला प्रसार, यदि कोई हो तो उनका
विवरण

D योजना के संचालन में संगठन की :
विशेषज्ञता एवं अनुभव का विवरण

E केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के :
अन्य विभागों से ऐसी परियोजना के
लिए प्राप्त अनुदानों का विवरण (यदि
कोई हो)

8 संस्था का बैंक खाता संख्या (बैंक के :
नाम व स्थान सहित)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9 गत तीन वर्षों के बैंक से आहरण एवं :
जमा का प्रमाणित विवरण

10 नियोजित स्टाफ का विवरण (नाम, पद, :
आयु, शैक्षणिक योग्यता, प्रदान किये जा
रहे मानदेय का विवरण)

11 संस्था द्वारा आहरण-वितरण हेतु :
प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पता,
दूरभाष संख्या के साथ ही इन्हें इस
कार्य हेतु प्राधिकृत किये जाने के
सम्बन्ध में संस्था द्वारा पारित प्रस्ताव
की प्रमाणित प्रति

हस्ताक्षर (प्राधिकृत पदाधिकारी) :

नाम :

पता/मोहर :

तारीख :

नोट : आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट अपनी अभिशंका के साथ ही भिजवायें।

निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

“भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवाश्रम नियम, 2004 के अंतर्गत संचालित हे-केयर सेन्टर”

- 1 निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद :
- 2 निरीक्षण का दिनांक :
- 3 संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम, पता :
- 4 संस्था सचिव/अध्यक्ष के सम्पर्क सूत्र, मो. नम्बर :

- 5 संस्था द्वारा जहाँ केन्द्र संचालित किया जा रहा उस स्थान का पूर्ण पता :

- 6 निरीक्षण के समय उपस्थित वृद्धजनों की संख्या :

स्त्री			पुरुष			योग
SC	ST	Disabled	SC	ST	Disabled	

- 7 मासिक उपस्थित पंजिका अनुसार वृद्धजनों की प्रवेशित संख्या :

स्त्री			पुरुष			योग
SC	ST	Disabled	SC	ST	Disabled	

- 8 संस्था द्वारा भक्त श्रवण कुमार सेवाश्रम केन्द्र में वृद्धजनों को कराये गये भ्रमण स्थल का नाम व दूरी :

- 9 भ्रमण कराये गये वृद्धजनों की संख्या :

स्त्री			पुरुष			योग
SC	ST	Disabled	SC	ST	Disabled	

- 7 संस्था की आय व स्रोत :

- 8 संस्था/संगठन द्वारा अन्य कोई योजना/केन्द्र का संचालन किया जा रहा तो योजना/केन्द्र का नाम एवं पता :

- 8 वृद्ध व्यक्तियों को देय सुविधाओं का विवरण :

i वृद्ध व्यक्ति के लिए संस्था/संगठन द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं व सेवा का ब्यौरा :

ii क्या संगठन ने वृद्ध व्यक्तियों की चिकित्सा जांच और उपचार की व्यवस्था की है :

- iii वृद्ध व्यक्ति को नियमानुसार दिये जाने रहे चाय/नाश्ता आदि का ब्यौरा :
 - iv वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए संगठन द्वारा क्या किया गया है तथा उनका उत्पीड़न रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। :
 - v क्या प्राप्त अनुदान और हुए व्यय का उचित व अद्यतन रिकार्ड रखा गया है :
 - vi क्या संगठन को पहले जारी किए गए वर्षवार अनुदान का उचित उपयोग किया गया है यदि हां, चार्टर्ड लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें :
 - vii वृद्ध व्यक्तियों के मनोरंजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए किए गए प्रबंध का ब्यौरा :
- 9 केन्द्र में बिजली-पानी एवं सफाई आदि की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है अथवा नहीं ? :
 - 10 संस्था द्वारा संचालित केन्द्र का भवन सुरक्षित है अथवा नहीं ? :
 - 11 स्टाफ का ब्यौरा :
 - 12 निरीक्षण दौरान उपस्थित/सम्पर्क व्यक्ति का नाम, पद फोन नं. आदि :
 - 13 संस्था के बैंकर्स के नाम व खाता संख्या :

प्रमाणित किया जाता है कि योजना के दिशा-निर्देशानुसार व आवेदन-पत्र में दर्शाये गये तथा संस्था द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। सभी दस्तावेज पूर्णतः सही पाये गये हैं एवं संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तथा केन्द्र का संचालन सुचारु रूप से किया जा रहा है। मैं संस्था की गतिविधियों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ।

हस्ताक्षर :

नाम व पदनाम :

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, पी 3/1, राजमहल ऐजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 13 ()/सा0सु0/वृ.क./ सान्याअवि/14-15/60859

जयपुर, दिनांक: 5-10-2016

परिपत्र

वर्तमान के वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के दौर में सन्तानें जीविकोपार्जन हेतु देश-विदेशों में बसने लगी हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वृद्धजन/माता-पिता होते हैं। ऐसे वृद्धजन आर्थिक रूप से सुदृढ़ तो होते हैं परन्तु भावनात्मक/शारीरिक एवं सुस्का की दृष्टि से सुभेद्य होते हैं। सन्तानों के पलायन से ऐसे वृद्धजन अपने निवास क्षेत्र में अकेले पड़ जाते हैं तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। अतः वर्तमान में यह आवश्यक है कि राज्य में सुविधाओंयुक्त स्व-वित्त पोषित (सःशुल्क) वृद्धाश्रमों के संचालन को बढ़ावा दिया जावे जिनमें वृद्धजन अच्छी तथा स्वस्थ जीवनशैली तथा उल्लास-उमंगपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में जीवन यापन कर सकें। साथ ही निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्था/स्वैच्छिक संगठन/ट्रस्ट को भी वृद्धाश्रम संचालन हेतु प्रोत्साहन मिल सके।

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा संख्या-93.05 (वर्ष 2015-16) में राज्य में सुविधायुक्त गैर सरकारी वृद्धाश्रमों को मान्यता प्रदान करने एवं संचालन के लिये नियमों में प्रावधान कर इनकी rating किये जाने की घोषणा की पालना में निजी जन-सहभागिता की आवश्यकता को प्रोत्साहित करने हेतु उपयुक्त प्रतिष्ठित व ख्याति प्राप्त निजी स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट के माध्यम से संचालित स्व-वित्त पोषित वृद्धाश्रमों को मान्यता प्रदान की जायेगी।

इन स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों/कम्पनी के द्वारा संचालित आधुनिक सुविधाओंयुक्त गैर सरकारी स्व-वित्त पोषित (सःशुल्क) आधार पर वृद्धाश्रमों का संचालन एवं रेटिंग की जायेगी।

वृद्धाश्रम की रेटिंग प्रक्रिया:

1. संस्था वृद्धाश्रम की रेटिंग हेतु सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर को निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। (प्रारूप संलग्न है)
2. जिला कलक्टर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी की संयुक्त टीम से निरीक्षण करायेगा। यह टीम प्रस्ताव प्राप्ति के 15 दिवस में निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला कलक्टर को देगी।
3. उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर अभिशंषा सहित प्रस्ताव निदेशालय सान्याअवि को भिजवायेगा।



4. आवेदन करने वाली संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी जो कि पूर्णतः निजी क्षेत्र (जो केन्द्र/राज्य सरकार से वृद्धाश्रम हेतु अनुदान नहीं ले रही है या वृद्धाश्रम हेतु सम्बद्ध नहीं है) में आती है तथा निजी वित्तीय स्रोतों या सशुल्क वृद्धाश्रम का संचालन कर रही है या करना चाहती है, उस संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्वप्रथम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में किया जाकर आगे की कार्यवाही की जावेगी।
5. रेटिंग हेतु आवेदन करने वाली संस्था को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
 - I. संस्था का नाम व पता पूर्ण विवरण सहित
 - II. साईट प्लान, फ्लोर प्लान
 - III. स्थानीय निकाय/पंचायत राज संस्थाओं द्वारा भवन का अनुमोदन पत्र
 - IV. संस्था की कार्यकारिणी का विवरण
 - V. वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं का सारांश में संक्षिप्त विवरण (निर्धारित प्रारूप में)
 - VI. पंजीयन फीस का चालान (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित)
 - VII. वृद्धाश्रम में रहवासियों से लिये जा रहे शुल्क का विवरण
6. निदेशालय में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं वृद्धाश्रम का निरीक्षण एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे:-
 - I. अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा
 - II. प्राचार्य/अधीक्षक, सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा मनोनीत जिरियाट्रिक मेडिसिन का विशेषज्ञ चिकित्सक
 - III. प्राचार्य होटल प्रबन्धन संस्थान, जयपुर द्वारा मनोनीत व्याख्याता
 - IV. सहायक निदेशक, वृद्ध कल्याण
7. उक्त समिति आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर सम्बन्धित वृद्धाश्रम का निरीक्षण करेगी तथा निरीक्षण एवं जिला स्तर से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी संस्तुति निरीक्षण के सात दिवस में आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्णयार्थ प्रस्तुत करेगी।
8. आयुक्त/निदेशक द्वारा प्रस्तावों पर रेटिंग निर्धारित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
9. राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् संस्था को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आयुक्त/निदेशक के हस्ताक्षरयुक्त स्टार रेटिंग का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
10. संस्था/ट्रस्ट अपनी स्टार रेटिंग के अनुसार आवासियों से लिये जाने वाले उचित दर/शुल्क को उक्त गठित राज्य स्तरीय समिति की सहमति/अनुमोदन के पश्चात् निर्धारित कर सकेंगे तथा रेटिंग एवं शुल्क/दर का प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् पुनरीक्षण/समीक्षा की जाकर पुनःनिर्धारण किया जा सकेगा।

11. राज्य सरकार द्वारा दी गई रेटिंग तीन वर्षों के लिये प्रभावी होगी। पुनः निर्धारण हेतु मान्यता समाप्ति के तीन माह पूर्व पुनः आवेदन करना होगा।
12. रेटिंग हेतु आवेदन करने पर संस्था को निरीक्षण हेतु तैयार रहना होगा। निरीक्षण रथगन हेतु किसी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. कमेटी द्वारा निरीक्षण के समय दिये गये सुधारात्मक निर्देशों की पालना निर्धारित समय में की जानी आवश्यक होगी।
14. वृद्धाश्रम प्रबन्ध कमेटी/संस्था कार्यकारिणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना निदेशालय में अद्यतन करवानी होगी।
15. वृद्धाश्रम में स्थान परिवर्तन/स्थिति की सूचना निदेशालय/आयुक्तालय सान्याअवि में देनी आवश्यक होगी साथ ही सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी को प्रति देनी होगी। अगर संबंधित संस्था किसी भी स्त्रोतों से अनुदान प्राप्त कर रही हो तो उसका उल्लेख करना आवश्यक होगा एवं अनुदान प्राप्ति का खाता अलग से संघारित करना होगा।
16. संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के आधार पर स्टार रेटिंग का निर्धारण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न अनुसार किया जायेगा।



(रवि जैन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 13 ()/साणसु0/वृ.क./ सान्याअवि/14-15/60860-935

जयपुर, दिनांक: 5-10-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, (पी.सी.)मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग, राज., जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, वित्त व्यय-II, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर,.....
10. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....
11. रक्षित पत्रावली।



(रवि जैन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

रेटिंग के लिये निर्धारित की जाने वाली सुविधाओं के अनुसार सूची

	उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाएं	निर्धारित की जाने वाली रेटिंग		
		बजट कैटेगरी	तीन स्टार रेटिंग	पाँच स्टार रेटिंग
1	Minimum Space for every inmate Room Size	Dormitory	100-150 Sq Ft with let-Bath	200-250Sq Ft with let-Bath
2	Air Conditioning/Cooling	Fan	Room Desert cooler	Air Conditioner
3	Geysar	Yes (Common)	Yes	Yes
4	Room Decoration	Bed, Wardrobe, in dormitory	Basic Bed+Dressing	well Decorated as per choice Bed+Dressing+sofa+visitor chair & Table
5	well Maintained Kitchen	Yes	Yes	Yes
6	Fridga	in Common Room	Common+Paid personal	in every room/personal
7	TV	in Common Room	TV	LCD/LED
8	Toilet	Common	WC	WC+Shower Geriatric Toilet
9	Laundry	Self	Common+Paid Laundry	Paid Laundry+washing Machine
10	Mess(Food)	Common	Common Veg	Veg+Non Veg+mini Kitchen
11	Gymnasium	No	Common Gym for all	Geriatric Gyne+Insatructor
12	Yoga Club	for all	for all	for all
13	Health & Medical Facilities	on call/emergency	on call doctor emergency	Regular check up 1 hour week/ly visiting doctor/dietician
14	Study	News paper common	Common Library Magazine +News Paper	common library+on demand book & journals
15	Nurse+Geriatric Medical Staff	Yes	for all	for all
16	Club Facility	No	for all	for all
17	House Keeping	common for all	common for all	common for all
18	Spiritual Tours	on payment basis	Yearly	Quarterly/Half yearly
19	Connectivity	Telephone only	2 computers with internet, cyber cafe	free wi-fi Access in every room laptop available (on payment)
20	Guest House for visitors	Yes (on payment basis)	Yes (on payment basis)	Yes (on payment basis)
21	Inter com	No	for all	for all with free local call
22	Heater	Yes, (common)	yes (Personal)	Yes (Personal)
23	Furniture	Bed+Wardrobe	Basic(curtains, wardrobe etc.)	well decorated
24	Attendent Severices	Yes (Common)	Yes (Common)	Yes (Common)
25	Security + Parking	Yes	for all Open Parking	for all covered parking
26	Saloon man/women	on call	in house	in house
27	Recreational ceutres, squash, pool, TT	Basic, (Carrom, Chess, PlayingCard)	Yes	Yes
28	Elevators/Ramps for inmates	Ramp	Ramp+Lift	Ramp+Lift
29	RO Drinking Water	Common with water cooler	Tap in ever room	in every room with hot & cold dispenser
30	Toiletries	common	Basic	as per demand
31	Germicidal cleaning of common floor & Rooms	Yes daily	Yes Daily	Yes Daily
32	OpenGarden/Lawn	Yes	Yes	Yes
33	Parking Facility	Yes	Yes	Yes

(5) 14

परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कन्वेन्शन भवन, पी 2/1, राजमठल रेजीडेंसियल क्षेत्र, जयपुर
वृद्धाश्रम स्टाफ/ग्रेडिंग के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

1. ट्रस्ट/संस्था का नाम:
2. ट्रस्ट/संस्था का स्थाई पता:
3. ट्रस्ट/संस्था अध्यक्ष का नाम, पता एवं मोबाईल व ईमेल:
4. सचिव/प्रबन्धक का नाम, पता एवं मोबाईल व ईमेल:
5. अध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक का आधार कार्ड नम्बर
6. ट्रस्ट/संगठन के सम्पर्क सूत्र:
मोबाइल/बेसिक/फैक्स/ई-मेल
7. पंजीयन प्रमाण पत्र-संख्या
(प्रमाण पत्र, सविधान, उद्देश्य, नवीन कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम, पता तथा प्रमाणित प्रति)
8. वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में कार्य/अनुभव
9. प्रस्तावित/संचालित केन्द्र के स्थान का सम्पूर्ण पता:
10. स्टाफ का विवरण
11. वृद्धजनों की नाम, पते की सर्व सूची
12. संलग्न किये जाने वाले दस्त-पैजों की सूची:
 - I. गत तीन वर्ष की प्रगति रिपोर्ट,
 - II. संस्था के गत तीन वर्ष के अंकेक्षित लेखे
 - III. विभागीय नियमान्तर्गत ट्रस्ट/संस्था द्वारा केन्द्र का संचालन एवं निर्देश/निधामों को मान्य की बाध्यता सम्बन्धी शपथ पत्र
 - IV. किराये के भवन की स्थिति पर किरायानामा एवं वैध-स्वामित्व के दस्तावेज
 - V. संस्था को भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी भी उपक्रम द्वारा कालीसूची में नहीं होने संबंधी शपथ पत्र:
 - VI. संस्था का बैंक खाता विवरण:(पासबुक प्रति संलग्न भी करें)
 - VII. भवन की स्थिति सुरक्षित होने संबंधित निकाय/पालिका/प्राधिकरण का प्रमाण पत्र
13. परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित भवन/इमारत का नक्शा का ब्लू-प्रिन्ट जहाँ योजना का संचालन करना होगा।
मैंने योजना के दिशा निर्देशों को पढ़कर भलिमूर्ति समझ लिया है और मैं उसकी अपेक्षाओं व शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। मैं इस योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

संस्था अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर
नाम, पता, मुहर सहित तारीख

स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों की सूची

क्र.सं.	जिला	संस्थाग मुख्यालय पर स्वयं सेवी संस्थाओं नाम एवं पता
1.	जयपुर	नारी चेतना समिति, बी 226, जनता कालोनी, जयपुर द्वारा संचालित अमृतपुरी गांधी स्कूल के पास, टांसपोर्ट नगर कच्ची बस्ती, जयपुर
2.	उदयपुर	पूजा संस्थान, गोराणा, तह. झाड़ोल (फलासिया), उदयपुर द्वारा श्री पूनमचन्द पण्डिया, आवरडा का मकान, झाड़ोल, उदयपुर
3.	कोटा	भारत माता सेवा समिति, हरिओम नगर, कच्ची बस्ती, पानी की टंकी के पास, वीर सावरकर नगर, कोटा द्वारा 10-ए, कृष्णा नगर, रंगबाडी कोटा
4.		जागृति मन्दिर समिति, 281, महावीर नगर, द्वितीय, कोटा द्वारा संजाद बेगम पत्नी श्री अब्दूल वहीद का मकान सुखधाम, कोलीपाडा, अनन्तपुरा इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास, झालावाड़ रोड, कोटा
5.		चौपड़ा पब्लिक शिक्षण संस्थान, गली न. 5 चौपड़ा फार्म कोटा जक्शन, कोटा द्वारा डडवाडा स्टेशन रोड, कोटा जक्शन, कोटा (श्रीकृष्ण में नाम मिलने पर अनुपलब्ध)
6.	भरतपुर	लोहागढ औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, गोलबाग रोड, भरतपुर द्वारा श्री महेन्द्र कैन का मकान, अमर टेन्ट हाउस, सूरजपोल गेट के पास, भरतपुर (श्रीकृष्ण में अनुपलब्ध)
7.	बीकानेर	जय भीम वालीकी समाज सुधार संस्थान, नत्थुसर गेट के बाहर, बीकानेर द्वारा 12/52 मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर
जिला एवं तहसील मुख्यालय पर स्वयं सेवी संस्थाओं नाम एवं पता		
8.	करौली	इन्दिरा गांधी महिला बाल विकास सेवा संस्थान, श्रीमहावीरजी द्वारा टोडाभीम में
9.	जैसलमेर	जगमाल कल्याण संस्थान, पन्नारसर तह. भाणियाणा जैसलमेर में
10.	डूंगरपुर	मुस्कान संस्थान मौहल्ला घाटी, चौबीसा समाज का नोहरा, डूंगरपुर
11.	बारां	लोक विकास समिति बारां द्वारा सरदार कॉलोनी, अन्ता में
12.		संस्कार सेवा संस्थान द्वारा सत्यनारायण जी के मन्दिर के पास, पुरानी पानी की टंकी, मांगरोल
13.		बाबा रामदेव वृद्धाश्रम पारलिया संस्कृत स्कूल के पास, गायत्री नगर, अटरू
14.		युक्ता जन कल्याण समिति, कोटा द्वारा पटवारी जी का मकान, पुलिस थाने के पीछे छबडा में
15.	अलवर	सपना विजय मन्दिर, अलवर

(2)

16.	बून्दी	श्रीनारायण सेवा संस्थान बून्दी द्वारा 25, प्रतापनगर, गुरुद्वारे के पास देवपुरा बून्दी
17.		युक्ता जनकल्याण समिति, केशवराव पाटन बून्दी पाटन में
18.		सुवामा सेवा संस्थान, गायत्री नगर, सिविल लाईन रोड़, बून्दी द्वारा नैनवा रोड़, बून्दी
19.	सवाईमाधोपुर	प्रयास संस्था, 106, राजविहार कॉलोनी, स0माधोपुर द्वारा राज. उ.मा.विद्यालय, के पास अलनपुर
20.	राजसमन्द	मीरा विद्या प्रसार संस्थान, मोही जिला राजसमन्द
21.	जालौर	राजस्थान ग्रामीण विकास संस्थान, रावणा राजपूत महासभा भवन, कालका कॉलोनी, जालौर
22.	पाली	सेवा समिति, उन मिल के पास, स्टेशन क्वार्टर्स के पीछे, पाली
23.	भरतपुर	ऋषभ मानव सेवा संस्थान भरतपुर द्वारा तहसील भुसावर
24.	कोटा	राजस्थान अनुसूचित महिला शिशु विकास समिति द्वारा कोटारोड़, सेनकॉलोनी, सांगोद, कोटा
25.		गंगाविजन, बजरंग नगर कोटा द्वारा गैता रोड़, बस स्टैण्ड के पास, इटावा, जिला कोटा
26.		युक्ता जन कल्याण समिति, 3आई 101, महावीरनगर, द्वारा हा.बो.कॉलोनी, रामगंज मण्डी, कोटा
27.		विनायक रिसर्च एण्ड वेलफेयर सोसायटी, द्वारा कहारो के मन्दिर, मवासा रोड़, कैथून कोटा
28.	उदयपुर	तारा संस्थान उदयपुर द्वारा हिरणमगरी सैक्टर-6 थाने के पीछे उदयपुर में
29.	गंगानगर	भामाशाह श्योनारायण प्रबन्ध सेवा समिति द्वारा वार्ड-न0 17, बाबा रामदेव मन्दिर, अनुपगढ गंगानगर
30.	धौलपुर	ग्रामीण सेवा संस्थान, वाटर वर्क्स चौराहा जीटी रोड़ धौलपुर
31.	चूरु	एस.बी.एस.संस्थान, पुलिस थाने के पीछे, सरदारशहर, चूरु
32.		आदर्श शिक्षण संस्थान, गुलपुरा, राजगढ़ चूरु
33.	झालावाड़	जयमाता मानव कल्याण समिति, खानपुर जिला झालावाड़
34.		राजमाता विजयाराजे सिधिया शिक्षा संस्थान, चौमहला, झालावाड़
35.		आस्था ग्रामीण विकास सेवा समिति, पिडावा, झालावाड़
मास्त सरकार की वृद्ध कल्याण योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों के नाम एवं पता		
36.	कोटा	राजस्थान अनुसूचित जाति महिला एवं शिशु विकास समिति, कोटा द्वारा सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास, डकनिया रेलवे स्टेशन, कोटा में वृद्धाश्रम संचालित
37.	कोटा	भारतीय नवयुवक विकास समिति, नगर परिषद कॉलोनी, कोटा द्वारा अवाली रोजहारी रोड़ नया गाँव कोटा में वृद्धाश्रम संचालित

राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों की सूची

क्र.सं.	जिला	राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में संचालित वृद्धाश्रमों का नाम एवं पता
1	अजमेर	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह, केशवनगर, हाईस्कूल के पास, पुष्कर, जिला अजमेर
2	भरतपुर	राजकीय वृद्धाश्रम, सेवर के पास, भरतपुर

सार्वजनिक जन सहभागिता के आधार पर (पीपीपी मोड अन्तर्गत) स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रमों

क्र.सं.	जिला	राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में पीपीपी मोड अन्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रमों का नाम एवं पता
1	बीकानेर	राजकीय वृद्धाश्रम, वृन्दावन एन्केलव, जयपुर रोड़, बीकानेर (हनुमानदास मूंदड़ा ट्रस्ट द्वारा संचालित)
2	जोधपुर	राजकीय वृद्धाश्रम, नारी निकेतन परिसर, नागौर रोड़, जोधपुर (नवजीवन संस्थान, लवकुश गृह, 16/558 चौपासनी हा.बो, जोधपुर द्वारा संचालित)
3	कोटा	राजकीय वृद्धाश्रम, विवेकानन्द नगर, कोटा (जागृति मन्दिर समिति, 927, महावीरनगर, II, कोटा द्वारा संचालित)
4	उदयपुर	राजकीय वृद्धाश्रम, डूंगरपुर रोड़, बलीचा के पास, उदयपुर (तारा संस्थान, 238 सेक्टर-6 डिरणमगरी, उदयपुर द्वारा संचालित)
द्विरायु योजनान्तर्गत संचालित वृद्धाश्रमों का नाम एवं पता		
5	अजमेर	जय अम्बे सेवा समिति जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के सामने, रेडक्रास भवन के पास, अजमेर द्वारा हरिभाउ उपाध्याय नगर विस्तार योजनान्तर्गत वृद्धाश्रम संचालित है

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अन्वेषक भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में भारत सरकार वृद्ध कल्याण योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के भिजवाये गये प्रस्तावों की सूची

क्र.स.	जिला का नाम	(Integrated Programme for Senior Citizens)
		नवीनीकरण प्रस्ताव वर्ष 2018-19
स्वयंसेवी संस्थाओं का नाम		
1	कोटा	राजस्थान अनुसूचित जाति महिला एवं शिशु विकास समिति, कोटा द्वारा सीनियर सेकण्डरी स्कूल के पास, डकनिया रेलवे स्टेशन, कोटा।
2	कोटा	भारतीय नवयुवक विकास समिति, नगर परिषद कॉलोनी, कोटा द्वारा अवालीरोजहारी रोड़, नया गाँव, कोटा।
(Integrated Programme for Senior Citizens)		
नवीन प्रस्ताव वर्ष 2018-19		
1	नागौर	ग्रीनवेल चिल्ड्रन सोसायटी, डडवाडी प्रेमनगर, नागौर द्वारा राठौरी कुओं, भक्तसागर के पास, नागौर में 50वृद्ध महिलाओं का वृद्धाश्रम
2	सीकर	श्री कल्याण वीमेन वेलफेयर सोसायटी, पो दातारामगढ़, एसबीआई बैंक के पीछे, सीकर द्वारा दातारामगढ़ बैंक के पीछे, सीकर में 50वृद्ध महिलाओं के लिये वृद्धाश्रम
3	सीकर	सीकर स्वास्थ्य समिति, सीकर द्वारा लुहारु बस स्टैण्ड के पास, एलआईसी ऑफिस के पास सीकर। (IPSr.C)योजना हेतु।
4	भरतपुर	स्वास्थ्य मन्दिर योग एण्ड प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, सी-181, रणजीतनगर, भरतपुर द्वारा आर आर टी सी का संचालन
5	करौली	राज फाण्डेशन, मिजोरा तह. सपोटरा, करौली द्वारा 50वृद्धमहिलाओं के लिये वृद्धाश्रम
6	करौली	राज फाण्डेशन, मिजोरा, तह. सपोटरा, करौली द्वारा मागीलाला योगी सपोटरा में फिजियोथेरेपी क्लिनिक
7	बारां	भारतीय नव युवक विकास समिति, छावनी कोटा द्वारा हॉस्पिटल रोड़ दैनिक दिशा दोज कार्यालय के पास, कृष्णा कॉलोनी, बारां में 50 वृद्धमहिलाओं का वृद्धाश्रम

1

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 13 () / सा0सु0 / वृ.क. / सान्याअवि / 18-17 / 35716

जयपुर, दिनांक: 20/06/11

राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालन के दिशा निर्देश

वृद्धजनों की सम्पत्ति/वित्तीय सुरक्षा, चिकित्सा-स्वास्थ्य, आवास-आश्रय आदि की सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु राष्ट्रीय वृद्धजन नीति बनाई गई है। भारत सरकार ने वृद्धजनों के लिये "माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007" बनाया है। जिसके अध्याय-3 की धारा-19 में राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध नीति से वृद्धाश्रम स्थापित किये जाने का उल्लेख है। अधिनियम 2007 की धारा-32 की पालना में राज्य सरकार द्वारा नियम-2010 बनाये गये हैं। वृद्धजनों के लिये वृद्धाश्रमों की स्थापना किये जाने की राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा की पालना में, राजकीय वृद्धाश्रम भवनों का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ स्वयं सेवी संस्थाओं/धर्मार्थ संस्थाएँ/ट्रस्ट के माध्यम से वृद्धाश्रमों का संचालन किये जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार बनाये जाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र:

(i) ये दिशा निर्देश "राजकीय वृद्धाश्रम भवन में ट्रस्ट/संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालन हेतु दिशा निर्देश" कहलायेंगे।

2. परिभाषाएं:

- (i) राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
- (ii) विभाग से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।
- (iii) प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।
- (iv) जिला कलक्टर से तात्पर्य संबंधित जिले के कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से है।
- (v) आयुक्त/निदेशक से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।
- (vi) जिलाधिकारी से तात्पर्य संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी से है।
- (vii) वृद्ध से तात्पर्य ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिसने 60वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो, से है।
- (viii) निर्धन/गरीब से तात्पर्य अधिनियम, 2007 के अध्याय-3 के नियम-19(2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित ऐसा निर्धन वरिष्ठ नागरिक अभिप्रेत है जिसके पास स्वयं के भरण-पोषण करने के लिये उतने पर्याप्त साधन नहीं हो, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएँ अथवा परिवार अन्त्योदय या केन्द्र/राज्य बी.पी.एल. सूची में हो।
- (ix) "स्वयं सेवी संस्था से तात्पर्य ऐसे स्वयं सेवी संस्था/संगठन से है जो बिन्दु संख्या-4 में वर्णित अनुरूप पंजीकृत तथा व्यक्ति विशेष के लाभार्थ न हो।

- (x) वृद्धाश्रम से तात्पर्य ऐसे आवासीय गृह से है जिसमें वृद्ध आवास/निवासरत हो।
3. योजना के उद्देश्य: योजना का उद्देश्य सभी वर्गों के निर्धन/गरीब वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन-यापन करने के लिये आवास, भोजन-वस्त्र, चिकित्सा-स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल मनोरंजन एवं आध्यात्मिक विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा एवं उल्लास-पूर्वक जीवन जीने की सुविधाएँ प्रदान किया जाना। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्मित राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित ट्रस्ट/धर्मार्थ/स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रमों का संचालन किया जाना है।
4. संस्था/ट्रस्ट के पंजीयन:
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 या राज्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो अथवा,
 - तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सार्वजनिक न्यास अथवा,
 - कम्पनी अधिनियम, 1956/2013 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी
 - वृद्धों का स्व-सहायता समूह जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत या सार्वजनिक न्यास के रूप में रजिस्टर्ड हो या किसी पंचायती राज संस्था, स्थानीय निकाय (Local Body) के तहत संचालित संगठन या इकाई हो।
5. स्वयं सेवी संस्था हेतु पात्रता:
- संगठन/संस्था/ट्रस्ट आवेदन से गत तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत होने तथा संचालित होने का प्रमाण।
 - संस्था व्यक्तिगत/संस्थागत लाभ के लिए नहीं हो।
 - लक्ष्य तथा उद्देश्यों में वृद्ध कल्याण/वृद्धाश्रम संचालन शामिल होना।
 - राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय/विभाग/मंत्रालय/निगम/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा संचालक/संस्था/ट्रस्ट को पूर्व में दण्डित, अपात्र अथवा काली सूची में सम्मिलित नहीं रही हो।
 - संस्था प्रतिष्ठित एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो।
6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज:
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र (परिशिष्ट-“ब”)
 - संस्था की संबंधित जिलाधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंभा (परिशिष्ट-“स”)
 - स्वयं सेवी संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र, संविधान, विधान-नियम, नवीनतम कार्यकारिणी की प्रमाणित सूची, गत तीन वर्षों के सी०ए० द्वारा प्रमाणित आडिट रिपोर्ट, आय-व्ययक विवरण, प्रगति विवरण, बैंक खाते का विवरण एवं एक वर्ष का स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रतियाँ एवं संस्था द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य का विवरण।
 - चिन्हित किये गये निर्धन/गरीब वरिष्ठ नागरिक/वृद्धजनों की सर्वे-सूची जिसमें नाम, पिता का नाम, पता, उम्र, फोटो, आधार कार्ड/पहचान-पत्र/राशन-कार्ड, आय के लिये स्व-घोषित प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज।

- (v) राज्य व केन्द्र सरकार के कार्यालय/विभाग/मंत्रालय/निगम/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा संचालक/संस्था/ट्रस्ट को पूर्व में दण्डित नहीं किया हो अथवा काली सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो, इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र।

7. वृद्धाश्रम में प्रवेश हेतु पात्रता:

गरीब/निर्धन वृद्ध, जिनकी आयु 60वर्ष व उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं रहने को इच्छुक हो, पात्र होंगे। ऐसे वृद्ध जो केन्द्रीय/राज्य की बी.पी.एल. सूची में पंजीकृत होने से वंचित हो या निराश्रित, असहाय हो को भी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की सहमति उपरान्त प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश हेतु जाति व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

8. केन्द्र संचालन की मुख्य शर्तें:

- (i) वृद्धाश्रम वर्ष-पर्यन्त दोनों पक्षों (राज्य सरकार एवं संस्था/ट्रस्ट) के मध्य किये गये एम.ओ.यू. एवं निर्देशों के अनुसार संचालित किये जायेंगे।
- (ii) वृद्धाश्रम के संचालन हेतु आवश्यक दस्तावेज/लेखे/पंजिकादि (यथा कैश-बुक, उपस्थिति, भ्रमण, औषधि, अनावर्तक मद में क्रय सामान, स्टॉक पंजिका, विभाग द्वारा समय-समय पर भेजे गये परिपत्रों/पत्रों की पत्रावली तथा बैंक खाते की पास बुक) का संधारण किये जाने हेतु कार्मिकों की व्यवस्था संस्था प्रबन्धक स्वयं करेंगे।
- (iii) अनुदान सम्बन्धी अभिलेख राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और लेखा परीक्षकों अथवा भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जाँच किये जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- (iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्था उस वर्ष के अनुदान की सनदी लेखाकार से परीक्षा करायेगी तथा लेखापरीक्षित लेखों की प्रति, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करेगी। अनुदान में से व्यय नहीं की गई अवशेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष में समायोजित की जायेगी अथवा राज्य सरकार को वापिस लौटायी जायेगी।
- (v) स्वयं सेवी संस्था अपनी इच्छा से वृद्धाश्रम का संचालन अन्य संस्था को पारस्परिक हस्तान्तरित नहीं कर सकेगी।
- (vi) संस्था/ट्रस्ट द्वारा संचालित केन्द्र/वृद्धाश्रम की जिलाधिकारी की संचालन निरीक्षण रिपोर्ट में सन्तोषजनक व्यवस्था न पाये जाने अथवा एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार संचालन नहीं पाये जाने पर एम.ओ.यू. को निरस्त किये जाने का अधिकार निदेशक/आयुक्त को होगा।
- (vii) वृद्धाश्रम में संचालक संस्था द्वारा वृद्धजनों का उपस्थिति पंजिका का संधारण किया जायेगा तथा उपस्थित पंजिका में वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ही अनुदान जारी किया जायेगा।
- (viii) संस्था/ट्रस्ट को वर्ष में दिये गये राजकीय अनुदान का उपयोगिता प्रमाण एवं निरीक्षण रिपोर्ट के अभाव में अनुदान राशि देय नहीं होगी।

- (ix) अनुदान से सृजित परिसम्पतियों का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा।
 (x) ये शर्तें वृद्धाश्रम संचालन हेतु किये गये सभी एम.ओ.यू. के लिये प्रभावी होगी।

9. संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम केन्द्रों में प्रदत्त की जाने वाली न्यूनतम सुविधाएँ:

1. पीने का स्वच्छ पानी, प्रातः व सायं ताजा पौष्टिक सुपाच्य भोजन, चाय-नाश्ता, फल, ऋतु के अनुसार बिस्तर-कपड़े दन्त-मंजन, नहाने धोने के साबुन, बाल-कटिंग, मनोरंजन के साधन यथा टीवी, समाचार पत्र-पत्रिका, धार्मिक पुस्तकें, योग-प्राणायाम, संगीत-भजन के उपकरण, अन्य समुचित रोजमर्रा की आवश्यक जरूरत/सुविधाएँ की व्यवस्था।
2. वृद्धाश्रमों में आवासियों की प्रारम्भिक चिकित्सा की व्यवस्था, गंभीर बीमारी पर निकटतम चिकित्सालय ले जाने की व्यवस्था के साथ-साथ ही चिकित्सक को ऑन-कॉल बुलाये जाने, आवासी की मृत्यु होने की स्थिति में दाह-संस्कार की व्यवस्था करना, जहाँ निकट सम्बन्धी सक्षम/इच्छुक नहीं है।
3. राजकीय भवन का रख-रखाव, मरम्मत, रंग-रोगन आदि एवं संरक्षण संस्था/ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। बिजली-पानी के बिलों का भुगतान स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा साथ ही किसी भी प्रकार के कर आदि के भुगतान की जिम्मेवारी भी संस्था की होगी।

10. वित्तीय सहायता:

- (i) वृद्धाश्रम संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मैसभत्ता, वस्त्रादि अनुदान राशि के साथ वृद्धों के स्वास्थ्य, विशेष देखभाल, मनोरंजन एवं रचनात्मक गतिविधियों हेतु एक मुश्त देय राशि ही देय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी व्यय संस्था द्वारा वहन किये जायेंगे।

11. संस्था/ट्रस्ट के चयन की प्रक्रिया:

1. राजकीय वृद्धाश्रम भवनों में पंजीकृत, प्रतिष्ठित ट्रस्ट/धर्मार्थ/स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालित किये जाने के लिये निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति जारी कर प्रस्ताव आमन्त्रित किये जायेंगे।
2. जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी/समिति प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों का चयन कर मय अमिशंषा सहित निदेशालय को भिजवाये जायेंगे।
3. एक स्थान/जगह के लिये दो या अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में निदेशालय स्तर पर परीक्षण कर संस्था की आर्थिक स्थिति, प्रतिष्ठा, किये गये कार्यों का मूल्यांकन, प्रगति एवं वृद्ध कल्याण के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर चयन किया जायेगा। तदुपरान्त चयनित ट्रस्ट/संस्था से एमओयू किया जायेगा। एमओयू का प्रारूप परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

4. प्रतिष्ठित, सुदृढ़ आई.एस.ओ संस्था से वृद्धाश्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा चयन के उक्त नियमों में शिथिलता प्रदान किये जाने पर वृद्धाश्रम संचालन के लिये ऐसी संस्था/ट्रस्ट के साथ एम.ओ.यू. किया जा सकेगा।

12. दिशा-निर्देश में शिथिलता का अधिकार:

उक्त दिशा-निर्देशों के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन/सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। आवश्यक होने पर इन नियमों की व्याख्या आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी, जो अन्तिम एवं बाध्यकारी माना जायेगी।

13. दण्डात्मक कार्यवाही के प्रावधान:

संस्था द्वारा दिशा-निर्देशों की अवहेलना, अनुदान राशि का दुरुूपयोग अथवा कोई अनियमितता पाये जाने पर संस्था द्वारा किये गये एमओयू को अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द/निरस्त किया जा सकेगा। गबन राशि वसूली कर बकाया राशि जख्त कर ली जायेगी। गबन राशि वसूल नहीं होने की स्थिति में राजस्थान Public Demands Recovery Act, 1952 के तहत नियमानुसार संस्था परिसम्पत्ति से वसूली कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। दोषी संस्था को भविष्य में विभाग की अन्य कोई भी योजना संचालित करने का अवसर नहीं दिया जायेगा। यह दिशा-निर्देश वित्त(व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 161700715 दिनांक 09-06-17 के द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर जारी किये जाते है।

(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

जयपुर, दिनांक: 20/6/17

क्रमांक : एफ 13 ()/साओसु/वृ.क./ सान्याअवि/16-17/ 35717-96

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज०, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
7. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....

(डॉ० समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अर्बनशा नम्बर, जी 3/1, राजनगर राजस्थानी क्षेत्र, जयपुर
राजकीय वृद्धाश्रम मदन में वृद्धाश्रमसंचालन हेतु
आवेदन पत्र

1. ट्रस्ट/संस्था का नाम:
2. ट्रस्ट/संस्था का स्थाई पता, ई-मेल, सम्पर्क सूत्र:
3. ट्रस्ट/संस्था अध्यक्ष का नाम, पता एवं मोबाईल व ईमेल:
4. अध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक का आधार कार्ड नम्बर
5. संस्था के नियम-संविधान, पंजीयन प्रमाण पत्र-संख्या:
(प्रमाण पत्र, संविधान, उद्देश्य, नवीन कार्यकारिणी
के सदस्यों के नाम, पता तथा प्रमाणित प्रति)
6. वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में कार्य/अनुभव
7. स्टाफ का विवरण:
8. वृद्धजनों की नाम, पते की सर्वे सूची:
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
 - I. गत तीन वर्ष की प्रगति रिपोर्ट,
 - II. संस्था के गत तीन वर्ष के अंकेक्षित लेखे
 - III. विभागीय नियमान्तर्गत ट्रस्ट/संस्था द्वारा केन्द्र का संचालन एवं निर्देश/नियमों को मान्य की बाध्यता सम्बन्धी शपथ पत्र
 - IV. संस्था को भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी भी उपक्रम द्वारा कालीसूची में नहीं होने संबन्धी शपथ पत्र:
 - V. संस्था का बैंक खाता विवरण (पासबुक प्रति संलग्न भी करे):

मैंने योजना के दिशा निर्देशों से भलीभाँति परिचित हूँ और मैं उसकी अपेक्षाओं व शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। मैं इस योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

संस्था अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर
नाम, पता, मुहर सहित तारीख

निरीक्षण रिपोर्ट के लिये प्रपत्र

1. संस्था/संगठन का नाम एवं पता:
2. निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं निरीक्षण दिनांक:
3. सोसायटी किस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नम्बर, दिनांक:
4. वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिये संगठन द्वारा किये गये कार्य:
5. चिकित्सा, जॉच, उपचार की व्यवस्था का ब्यौरा:
6. संगठन द्वारा संचालित अन्य कोई केन्द्र/योजना एवं गतिविधियों पर टिप्पणी:
7. संस्था द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का विवरण:
8. संस्था की प्रगति एवं कार्यों का ब्यौरा:
9. प्राप्त अनुदान एवं व्यय का अद्यतन रिकार्ड विवरण:
10. अन्य आय के स्रोत:
11. संस्था की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी:
12. संस्था के गत वर्षों का सी०ए० द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित आडिट लेखे व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये का विवरण
13. वृद्धजनों के मनोरंजन के साधन एवं प्रशिक्षण के प्रबन्ध का ब्यौरा
14. संस्था/ट्रस्ट की सामान्य प्रतिष्ठा की टिप्पणी:
15. अन्य अतिरिक्त जॉच/निरीक्षण ब्यौरा:
16. अन्य सुझाव
17. निरीक्षणकर्ता की अभिशप्ता सहित/रहित स्पष्ट टिप्पणी.....

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर
नाम, पता/मोहर
तारीख

मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग (MOU)

यह एम.ओ.यू. आज दिनांक..... माह..... सन..... को प्रथम पक्ष..... (जिसे इसमें आगे दानदाता संस्था/ट्रस्ट कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहाँ सन्दर्भ किया हुआ समझा जायेगा) तथा द्वितीय पक्ष राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग (जिसे आगे राज्य सरकार कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहाँ सन्दर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जायेगा, उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जायेगा) के मध्य सम्पन्न किया गया है।

प्रस्तावना: राज्य के सम्भाग मुख्यालयों पर स्थित राजकीय नवनिर्मित वृद्धाश्रम भवनों में वरिष्ठ नागरिक/वृद्धजनों को स्वस्थ, सुरक्षित एवं उमंगपूर्ण जीवन यापन की सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्ट/धर्मार्थ संस्थाएं के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालित किये जाने हैं।

राजस्थान राज्य केसम्भाग मुख्यालय पर स्थित राजकीय वृद्धाश्रम भवन जिसमें चार दीवारी सहितकमरे..... शौचालय, स्नानागृह..... है जिसका क्षेत्रफल..... है पर संस्था/ट्रस्ट द्वारा वृद्धाश्रम का संचालन किया जावेगा। भवन के नक्शे की प्रति संलग्न है।

चूँकि संस्था/ट्रस्ट राजकीय वृद्धाश्रम भवन में वृद्धाश्रम संचालन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रति व्यक्ति प्रति माह देय अनुदान राशि एवं वृद्धों के स्वास्थ्य एवं विशेष देखभाल, मनोरंजन एवं रचनात्मक गतिविधियों हेतु देय एक मुश्त राशि के अतिरिक्त व्यय होने वाली समस्त राशि वहन करने हेतु सहमत है। अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:-

1. उपरोक्त उल्लेखित राजकीय वृद्धाश्रम भवन एकमात्र वृद्धाश्रम संचालन हेतु संस्था/ट्रस्ट को 02 वर्ष की अवधि के लिये दिया जावेगा। राज्य सरकार यदि उचित समझेगी तो दोनों पक्षों की सहमति से अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। राजकीय वृद्धाश्रम भवन का मालिकाना हक पूर्णरूप से राज्य-सरकार में निहित रहेगा।
2. वृद्धाश्रम का नामकरण राजकीय वृद्धाश्रम (ट्रस्ट के सहयोग से संचालित) रखा जायेगा।

3. संस्था को वृद्धाश्रम संचालन हेतु दिये जा रहे भवन की आवासीय क्षमता 25 वृद्धजनों की है इसलिये संस्था भवन में 25 वृद्धजनों की क्षमता का वृद्धाश्रम संचालित करेगी। भविष्य में वृद्धाश्रम में यदि अतिरिक्त आवासीय क्षमता की वृद्धि होती है तो राज्य सरकार वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि कर सकेगी।
4. राजकीय भवन का रख-रखाव, मरम्मत, रंग-रोगन आदि एवं संरक्षण संस्था/ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। बिजली-पानी के बिलों का भुगतान स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा साथ ही किसी भी प्रकार के कर आदि के भुगतान की जिम्मेवारी भी संस्था की होगी।
5. एमओयू की अवधि समाप्ति पर अथवा अवधि पूर्व एम.ओ.यू. के निरस्त होने पर संस्था द्वारा राजकीय भवन (अतिरिक्त भवन सहित) को प्रारम्भिक स्थिति में सरकार को सुपुर्द करना होगा।
6. संस्था/ट्रस्ट को वृद्धाश्रम संचालन हेतु राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर निर्धारित प्रतिवृद्ध प्रतिमाह राशिएम.ओ.यू. की शर्तों की पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार स्वेच्छा से अन्य कोई एक मुश्त अनुदान राशि भी जारी कर सकेगी, इसके लिये संस्था कोई मांग करने की हकदार नहीं होगी।
7. संस्था द्वारा वृद्धाश्रम में निवास कर रहे रहवासियों को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एवं इसकी पालना में बने नियम-2010 में प्रावधित सुविधाएं उपलब्ध करवायी जावेगी तथा नियम-2010 के नियम-19 में उल्लेखित सनियमों और मानकों के अनुसार संचालित होंगे। वृद्धाश्रम में प्रवेश और प्राथमिकता भी इन नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी। राजकीय वृद्धाश्रम में उपयुक्त माहौल व बेहतर प्रदत्त सुविधाएं बनाने हेतु संस्था प्रयासरत रहेगी एवं वृद्धाश्रम भवन में पुनर्वास केन्द्र की सेवाएं भी दी जायेगी।
8. संस्था द्वारा वृद्धाश्रम का संचालन राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रम संचालन हेतु जारी दिशा निर्देशों/नियमों के अनुरूप करना होगा। एम.ओ.यू. अवधि के दौरान दिशा निर्देशों/नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा अनुदान की राशि में परिवर्तन (वृद्धि/कमी) होने पर ऐसे दिशा निर्देश संस्था/ट्रस्ट पर बाध्यकारी होंगे।

9. राजकीय वृद्धाश्रम भवन में संस्था/ट्रस्ट द्वारा यदि वृद्धजनों हेतु अतिरिक्त भवन निर्माण के लिये राशि व्यय किये जाने की इच्छा जाहिर की जाती है तो निर्माण, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी मापदण्डों के आधार पर किया जा सकेगा। निर्माण में सभी सुविधाओं (ब्लूवापट्टी, लिफ्ट, डोरमैट्री आदि) को भी ध्यान में रखा जायेगा। उक्त निर्माण पर होने वाले व्यय का कोई पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जावेगा तथा अतिरिक्त निर्माण पर राजकीय स्वामित्व रहेगा।
10. वृद्धाश्रम भवन की समस्त चल-अचल सम्पत्ति का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित रहेगा। संस्था को वृद्धाश्रम संचालन के अतिरिक्त चल-अचल सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होंगे।
11. राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रम संचालन हेतु प्रति वृद्धजन प्रति माह देय अनुदान (मैल भत्ता भोजन वस्त्रादि) राशि एवं आवासित वृद्धों की चिकित्सा, विशेष देखभाल, मनोरंजन एवं रचनात्मक गतिविधियों हेतु देय एक मुश्त राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं है, उक्त राशि के अलावा खर्च होने वाली अन्य राशि संस्था/ट्रस्ट द्वारा वहन की जायेगी जिसके लिये संस्था/ट्रस्ट सहमत है।
12. वृद्धाश्रम में वृद्धजनों हेतु चिकित्सकीय सुविधाओं/जॉब हेतु लाने-ले जाने सहित सम्पूर्ण व्यवस्था संस्था द्वारा स्वयं के खर्च पर की जायेगी।
13. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु अनावर्तक सामान (पंलग, गद्दे, बर्तन, फर्नीचर इत्यादि) एवं दिन प्रतिदिन की व्यवस्था व नियमित सुचारु वृद्धाश्रम संचालन का प्रबन्ध संस्था को स्वयं करना होगा।
14. वृद्धाश्रम के संचालन में आवश्यकतानुसार कार्मिकों की व्यवस्था स्वयं संस्था करेगी तथा उनका समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
15. संस्था द्वारा वृद्धाश्रम में आवासित वृद्धजनों के सुगम जीवन यापन हेतु समय समय पर योगा, फिजियोथेरेपिस्ट तथा मनोरंजन इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेगी।

16. संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में आवासरत वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विभागीय अधिकारी/प्रतिनिधि को समय समय पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
17. संस्था/ट्रस्ट को दिये गये राजकीय अनुदान का संस्था अलग से खाता रखेगी तथा प्राप्त अनुदान के लेखों का संघारण पृथक से किया जायेगा तथा इनका प्रतिवर्ष आडिट कराया जाकर विभाग को उपयोगिता प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। जिसकी प्राप्ति के पश्चात् ही राजकीय अनुदान जारी किया जायेगा। अनुदान से सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा।
18. संस्था/ट्रस्ट द्वारा संधारित अनुदान सम्बन्धी अभिलेख राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और लेखा परीक्षकों अथवा भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जाँच किये जाने के लिए उपलब्ध कराने हेतु संस्था दायित्वधीन रहेगी।
19. स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट वृद्धाश्रम का संचालन बिना लाभ/हानि के आधार पर संचालित करेगी एवं किसी प्रकार के लाभार्जन करने का प्रयास नहीं करेगी।
20. एम.ओ.यू. की शर्तों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वृद्धाश्रम का संचालन नहीं किये जाने पर तथा निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाये जाने पर एम. ओ.यू. निर्धारित समय/अवधि से पूर्व निदेशक/आयुक्त द्वारा एम.ओ.यू. सकारण निरस्त किया जा सकेगा।

राज्यपाल के लिये एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर	संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
पद नाम	नाम— पता
दिनांक	
1—साक्षी	2—साक्षी

1

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अन्वेषक भवन, जी 3/1, राजाचल रोधीडेन्ती क्षेत्र, जयपुर

आंकड़ा एच 32 () वृ.क./गनि/समाजवि/13-14/

53978

जयपुर, दिनांक 1/07/2013

राजस्थान वृद्धाश्रम योजना-2013

संस्थापना:

राज्य के उपेक्षित वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से बजट घोषणा 2013-14 की क्रियान्विति के तहत जिला एवं तहसील स्तर पर निजी सहभागिता अध्वारित वृद्धाश्रम (old-age home) चलाये जायेंगे। इन वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वृद्धाश्रम योजना के दिशा निर्देश- 2013 बनाये जाते हैं। इस योजना के तहत वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार होंगे:-

उद्देश्य:- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में अधिक से अधिक वृद्ध आश्रमों का संचालन किया जाना है, जिसके अन्तर्गत जरूरतमंद वृद्धों को आवासीय, अनुसूची शिक्षा, मनोरंजनात्मक गतिविधियों के माध्यम से आत्म परितोष,स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जायेगी। इस योजना के माध्यम से गरीब/निराश्रित/बेसहारा तथा परिवार से प्रताड़ित वृद्धजनों को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिये जिला एवं तहसील स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। इस योजना के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।

1. संस्था/ट्रस्ट की मान्यता:

- i. शोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 या राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो अथवा,
- ii. संसदीय पट्टा किराी कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सार्वजनिक न्यास अथवा
- iii. कम्पनी अधिनियम, 1958 की भांश 525 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कम्पनी (charitable company licensed under section 525 companies act, 1958) अथवा,
- iv. कृषी का स्व-सहायता समूह जो शोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत या सार्वजनिक न्यास के रूप में रजिस्टर्ड हो या किसी पंचायती राज संस्था स्थानीय निकाय(local body) के तहत संचालित समूह या इकाई हो।
- v. इसका विधिवत रूप से एक पत्र निकाय गठित हो जिसकी शक्तियां, कर्तव्य व उत्तरदायित्व स्पष्टतः परिभाषित होने चाहिए तथा लिखित में निर्धारित होने चाहिए।
- vi. इससे निर्णय व्यक्ति या निकाय का निकाय के काम के लिए नहीं चलाया जायेगा।

- vii. संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्यों में वृद्ध कल्याण से संबंधित उद्देश्य सम्मिलित हो। तथा इनको पूरा करने के कार्यक्रम संक्षेप में दिया जाये।
- viii. राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय/विभाग एवं मंत्रालय/निगम तथा किसी भी स्वायत्त शासी संस्था द्वारा संचालक/संस्था/ट्रस्ट को पूर्व में दण्डित नहीं किया हो अथवा काली सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो, इस आशय का शपथ पत्र देय होगा।

2. योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए शर्तें:-

योजनान्तर्गत चयनित संस्था के पक्ष में संचालन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक होगा:-

1. वृद्धाश्रमों के भवन निर्माण:- प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर न्यूनतम एक करोड़ रुपये की लागत का वृद्धाश्रम भवन तथा प्रत्येक तहसील में तहसाल स्तर पर न्यूनतम 50 लाख रुपये की लागत का वृद्धाश्रम भवन का भवन निर्माण सहभागिता के आधार पर करवाया जायेगा:-

(i). जिला स्तर पर वृद्धाश्रम का भवन निर्माण- राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रम के भवन के लागत की 50 प्रतिशत, अधिकतम 1 करोड़ रुपये की राशि अंशदान के रूप में स्वयंसेवी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, इसके अतिरिक्त वृद्धाश्रम के संचालन हेतु प्रति आवासी 2000/- रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 1000 आवासियों हेतु सहायता राशि स्वयंसेवी संस्था को उपलब्ध करवायी जावेगी।

(ii). तहसील स्तर पर वृद्धाश्रम का भवन निर्माण- राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रम के भवन के लागत की 50 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रुपये की राशि अंशदान के रूप में स्वयंसेवी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, इसके अतिरिक्त वृद्धाश्रम के संचालन हेतु प्रति आवासी 2000/- रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 1000 आवासियों हेतु सहायता राशि स्वयंसेवी संस्था को उपलब्ध करवायी जावेगी।

2. वृद्धाश्रम निर्माण हेतु आवेदन करने वाली संस्था/ट्रस्ट के नाम से कम से कम 1000 वर्गगज भूमि का पट्टा होना आवश्यक होगा।

3. योजना हेतु आवेदन करने वाली संस्था को अपने आवेदन के साथ भूमि का पट्टा प्रस्तावित भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुबंधित सिविल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं अनुमानित लागत का विवरण, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका/पंचायती राज संस्थान द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति पत्र की प्रति।

4. वृद्धाश्रम भवन में कम से कम 25 बुद्धजनों के निवास एवं उनके लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था का ध्यान रखना होगा।

5. भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि संस्था को परिशोधन की स्वीकृति के समझ जारी की जायेगी, 50 प्रतिशत राशि राज्य का इरा माल की पूर्ण

हो जाने के बाद जारी की जायेगी कि बृद्धाश्रम भवन का निर्माण छत स्तर पर पहुंच चुका है। इस द्वितीय किश्त के लिए भेजे गये आवेदन पत्र के साथ संस्था/संगठन द्वारा अब तक किये गये व्यय का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। शेष 25 प्रतिशत राशि भवन पूर्ण होने के पश्चात् उपलब्ध करायी जायेगी।

6. संस्था को भवन निर्माण का कार्य 18 महिनों में पूर्ण करना होगा।
7. भवन निर्माण हो जाने के बाद, संगठन/संस्था द्वारा राज्य सरकार/विभाग को निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां प्रस्तुत करेगा:-
 - (i). सार्वजनिक निर्माण विभाग या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अनुमोदित संगठनों/एजेन्सियों से इस आशयक का प्रमाण पत्र कि भवन को अनुमोदित योजना व प्राकल्पनों के अनुरूप ही बनाया गया है।
 - (ii). भवन निर्माण पर हुए व्यय के बारे में प्राधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत रूप से संगरीक्षित विवरण
 - (iii). संगठन प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग या किसी अन्य एजेन्सी का अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए निर्दिष्ट अधिकारी कभी भी भवन का निरीक्षण कर सकते है।
 - (iv). निर्माण के दौरान तथा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सरकार कोई भी अनुदेश, जो इस ओर से राज्य सरकार द्वारा सथा स्थिति, जारी किये जा सकेंगे कार्यान्वित करने का दायित्व संगठन प्रमुख का होगा।
8. संगठन/संस्था/ट्रस्ट तीन वर्षों से पजीकृत रहा हो
9. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित/नयनित दानदाता संस्था/ट्रस्ट को गाईडलाइन में निर्धारित शर्तों पर स्वीकृति जारी करने से पूर्व राज्य सरकार के साथ एमओयू करना होगा।
10. भवनों के सभी उपकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्था संचालक को शपथ पत्र देना होगा।
11. बृद्धाश्रम संचालन में दैन्य अनुदान राशि से अधिक राशि व्यय होने पर अतिरिक्त राशि का वहन समिति/संस्थान/ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
12. संस्था द्वारा बृद्धाश्रम संचालन हेतु आवश्यक ससाधन बिजली-पानी-सफाई, चिकित्सा का भार, भवन का रख रखाव, कर्मचारियों की व्यवस्था, प्रबन्धन व्यय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
13. संस्था दिव्य गुरु अनुदान के लिए अलग खाता खोलेगी जो कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और लेखा परीक्षकों अथवा भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जांच किये जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे। अर्थात् समाप्त होने पर संस्था अनुदान के तथ्यों की संतुलित लेखा परीक्षा या कक्षा लेखाकार से लेखा

परीक्षा करायेगी तथा लेखापरीक्षित लेखों की प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजेगी। अनुदान से व्यय न की गई राशि संगठन द्वारा राज्य सरकार को वापिस कर दी जायेगी।

14. इस वृद्धाश्रम की राज्य सरकार के किसी अधिकारी, नियंत्रक, लेखा परीक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी जाँच की जा सकती है। वृद्धाश्रम के लेखे अलग से संधारित किये जायेगे तथा मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेगे। इनकी जाँच किसी भी स्तर से की जा सकती है।

15. वृद्धजनों हेतु निर्मित कराये जाने वाले भवनों में निम्नानुसार न्यूनतम सुविधाओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक है:-

(i) आवास हेतु डोरमेट्रीज में प्रति आवासी 40 वर्गफीट स्थान उपलब्धता। (6 आवासी से अधिक आवासी एक डोरमेट्रीज में न रहे)।

(ii). प्रत्येक डोरमेट्रीज के साथ अटैच, लेट्रिन बाथरूम हो।

(iii) वृद्धाश्रम में ढुलवा उतार और हथपट्टी और आवश्यकानुसार लिफ्ट आदि की व्यवस्था की जाये।

(iii). निःशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से उपयुक्त शौचालयों एवं स्नानागार की व्यवस्था।

(iv) महिलाओं व पुरुषों के लिए प्रथक-प्रथक आवास व्यवस्था।

(v) आवासीय कक्षा में प्राकृतिक प्रकाश व स्वच्छ वायु आने की व्यवस्था तथा पर्याप्त शय्या में पंखे आदि की व्यवस्था।

(vi) स्वच्छ रसोई घर व भोजन कक्षा की व्यवस्था।

(vii) गनीरजान कक्षा में एक समय में कम से कम 60 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था।

(viii) कार्यशाला कक्षा (महिलाओं/पुरुषों हेतु पृथक-पृथक)

(ix) चिकित्सा कक्षा

उक्त आवश्यक कक्षाओं के साथ ही भवन के भीतरी व बाहरी भाग में खुले स्थान (खोलाकूद हेतु समुचित स्थान) की उपलब्धता का ध्यान भवन निर्माण में रखना होगा।

16. समिति द्वारा वृद्धाश्रम संचालन में अनियमितता/शिकायत की जाँच में पुष्टि होने पर अन्य किसी संस्था/ट्रस्ट/संचालक को वृद्धाश्रम के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकेगा अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त कर दिया जायेगा।

17. जिला कलेक्टरों की अधिष्ठाता के साथ जिला एवं तहसील स्तरीय पात्र प्रस्तावों पर विचार कर समान राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

6

6	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
7	उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

- i. जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जायेगी।
- ii. तहसील स्तरीय अभिशपित प्रस्तावों में से संबंधित तहसील हेतु वृद्धाश्रम का संचालन करने के लिये उचित प्रस्ताव का जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन कर मय अभिशपा राज्यस्तरीय चयन समिति को प्रेषित किये जायेंगे।
- iii. जिला स्तर पर एवं जिलों की समस्त तहसील स्तरीय वृद्धाश्रमों का समिति द्वारा वृद्धाश्रम मयन निर्माण, संचालन आदि कार्य का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

21. राज्य स्तरीय चयन समिति:- जिला कलेक्टरों की अभिशपा के साथ जिला एवं तहसील स्तरीय प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर चयन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:-

क्र.सं०	अधिकारी	पद
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि	अध्यक्ष
2	शासन सचिव, पंचायतीराज/ग्रामीण विकास	सदस्य
3	शासन सचिव, नगरीय विकास/स्वायत्त शासन	सदस्य
4	प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
5	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

- i. राज्य स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जायेगी/आवश्यकता होने पर समिति के अध्यक्ष की अनुमति से बैठक कभी भी आमन्त्रित की जा सकती है।
- ii. राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर उपयुक्त प्रस्तावों का चयन किया जायेगा।
- iii. राज्य के समस्त वृद्धाश्रमों के परफॉर्मन्स की समय-समय पर समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी।

22. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं चयन की प्रक्रिया:-

- i. तहसील स्तर पर वृद्धाश्रम संचालन हेतु आवेदन तहसील स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में आमन्त्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों पर विचार कर उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों को मय अभिशपा के जिला स्तरीय समिति को भिजवाये जायेंगे।
- ii. जिला स्तर पर वृद्धाश्रम संचालन हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में जिला स्तरीय समिति द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों को मय अभिशपा के राज्य स्तरीय चयन समिति को भिजवाये जायेंगे।

- III. जिला कलेक्टर जिला एवं तहसील स्तरीय प्राप्त उपयुक्त आवेदन पत्रों को अपनी अभिशंषा के साथ चयन हेतु राज्यस्तरीय चयन समिति को भिजवायेगा।
- IV. जिला कलेक्टर की अभिशंषा के साथ जिला एवं तहसील स्तरीय प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर चयन समिति वृद्धाश्रम भवन निर्माण हेतु संस्थाओं का चयन करेगी।

23. संस्था द्वारा आवासियों को निम्नानुसार न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा:

1. स्वच्छ एवं पोष्टिक भोजन, विस्तर, पलंग वर्ष में कम से कम 4 जोड़ी पहनने के कपड़े, प्रातः व सायं नाश्ता, दो समय चाय, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, नहाने धोने की समुचित व्यवस्था।
2. आवासियों की प्रारम्भिक चिकित्सा की व्यवस्था, गंभीर बीमारी पर निकटतम चिकित्सालय ले जाने की व्यवस्था।
3. इन्डोरगेम व मनोरंजन, समाचार पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था।
4. रचनात्मक कार्य की व्यवस्था।
5. वृद्धों की देख-रेख हेतु केयर-गीवर।
6. संगठन द्वारा आवासियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के सम्बंध में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन लिये बिना, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जो उनके लिए अलाभकारी हो।

24. वृद्धाश्रम में प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

- (1) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवारों के 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र के पुरुष व महिलाएँ।
- (2) गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली (BPL) सूची में पंजीकृत होने से वंचित रहे वृद्धजन, घर से प्रताड़ित, निर्धन, निराश्रित, (Destitute) असाहाय व्यक्ति हों, को भी वृद्धाश्रम में प्रवेश मिल सकेगा। ऐसे वृद्धजन को वृद्धाश्रम में प्रवेश प्रदान करने के अनुमति के लिए जिलास्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति एवं तहसील स्तर पर तहसील स्तरीय समिति अधिकृत होगी।
- (3) अभिलेख द्वारा वृद्धाश्रमों को बी.पी.एल परिवारों अथवा अन्य निर्धन, निराश्रित, असाहाय वृद्धों हेतु निःशुल्क रखे जाने के लिये वाध्य होगा तथा इस तथा को प्रशासनिक विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित करने पर राज्य सरकार से नियमानुसार अनुदान राशि प्राप्त करने लिये अधिकृत होगा।

25. वृद्धाश्रम संचालन हेतु वित्तीय प्रावधान: -

वृद्धाश्रम के संचालन हेतु प्रति आवासी 2000/- रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 100 आवासियों हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी। शरणा गत पति माह वृद्धाश्रम में निवास कर रहे व्यक्तियों को मुख्य निवास पर ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 13 () शासु/३६/साप्ताहिक/12-13/ 53279-54100

जयपुर, दिनांक 1/02/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त
7. शासन सचिव, पंचायती राज/ग्रामीण विकास/नगरीय विकास/स्वायत्त शासन/सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता (मवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टरों को जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भिजवाने की व्यवस्था हेतु निर्देशित करावे।
11. संयुक्त निदेशक, आयोजना विभाग, पीपीपी सैल, योजना भवन, जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी
13. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिचीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(अजीत कुमार चतुर्वेदी)
-उप सचिव
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
प्रदेशीय मन्त्र, जी २/१, राजस्थान भवन, नवीन क्षेत्र, जयपुर

राजस्थान वृद्धाश्रम योजना-2013
आवेदन पत्र

1. संगठन/संस्था का नाम
2. पता:
3. सम्पर्क सूत्र:
मोबाइल/वेसिक/फैक्स/ई-मेल
4. किस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
(प्रमाण पत्र, संविधान, उद्देश्य, नवीन कार्यकारिणी
के सदस्यों के नाम, पता तथा प्रमाणित प्रतियाँ)
5. वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में अनुभव
6. जिरा भूमि पर वृद्धाश्रम भवन का निर्माण होना
है उसकी स्पष्ट हकदारी का प्रमाण
7. परतायित नियोजित स्टाफ का विवरण
8. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
गत तीन वर्ष की प्रगति रिपोर्ट, संस्था के गत
तीन वर्ष के अकेक्षित लेखे, नॉनज्यूडिशियल
स्टाम्प पर संस्था अध्यक्ष/सचिव द्वारा राज्य
सरकार के नियमों की पालना के लिये वचनबद्धता
संस्था को भारत सरकार/राज्य सरकार
अथवा किसी भी उपक्रम द्वारा कालीसूची
में नहीं होने संबंधी शपथ पत्र
संस्था का बैंक खाता विवरण (पाश्चवुक प्रति संलग्न करें)
9. परियोजना रिपोर्ट जिसमें परतायित इमारत का नक्शा, तकमीना व प्रस्ताव के सिद्धान्तित अनुमोदित
हो जाने के बाद संस्था/संगठन को सचरनात्मक प्राक्कलनों के साथ योजना के ब्लू प्रिन्ट परस्तुत
करना होगा कि भवन के निर्माण की अनुमति/अनुमोदित प्रमाण पत्र तथा प्राक्कलनों का
शासनात्मक निर्माण विभाग से अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा प्रमाणपत्र जारी या अनुमोदित मूल्यांकन
द्वारा शासनात्मक निर्माण विभाग से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होगा कि वर समाप्त कार्य के
लिए शासनात्मक निर्माण विभाग को पर्यटित उसे से प्रतिक नहीं है।

मैंने इस योजना का पढ़ लिया है और मैं उसकी अपेक्षाओं व शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। मैं
इस योजना की सभी शर्तों का अनुमोदन करने का वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर नाम पता/मुहर जारीकर्ता

12

12. सम्पर्क व्यक्ति, उसका फोन नं./फैक्स नं. आदि

13. बैंकरा के नाम व खाता संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि योजना के दिशा-निर्देशानुसार व आवेदन-पत्र में दर्शाये गये तथा संस्था द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। सभी दस्तावेज पूर्णतः सही पाये गये हैं एवं संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तथा राजस्थान वृद्धाश्रम योजना 2013 के अन्तर्गत वृद्धाश्रम का संचालन सुचारु रूप से किया जा रहा है। मैं संस्था की गतिविधियों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम:

जिला:

राज्य:

वृद्धाश्रम में आवासित वृद्धजनों की मासिक सूचना


प्रपत्र - 21

वृद्धाश्रम तयारीत करने वाली संस्था का नाम:
 वृद्धाश्रम अधीक्षक का नाम:
 तहसील: जिला:

जिला नवरीय अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का नाम:

क्र. सं.	वृद्ध व्यक्ति का नाम	आयु	लिंग		जाति			निवास का पता	वृद्धाश्रम में प्रवेश की तिथि		वृद्धाश्रम में ठहरने के दिनों की संख्या	विशेष
			स्त्री	पुरुष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	मिछकी जाति		सामान्य	वृद्धाश्रम में प्रवेश की तिथि		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
0												

3. स्वयंसेवी संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं संविधान मय पंजीकरण संख्या।
 4. स्वयंसेवी संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने का प्रमाण-पत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वयं सेवी संगठनों के प्रकरणों में यह शर्त लागू नहीं होगी।
 5. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवार्थे बिना किसी जाति, धर्म एवं भाषा के भेदभाव के सभी को उपलब्ध कराई जायेगी।
 6. स्वयंसेवी संस्था के पास सेवाश्रम/देखभाल केन्द्र चलाने हेतु प्राप्त भवन व स्टाफ तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हों।
 7. प्रत्येक लाभार्थी का नाम मय पते की सूची तथा राशनकार्ड व फोटो सहित पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 8. स्वयंसेवी संस्था की कार्यकारिणी द्वारा वृद्धाश्रम संचालित करने का पारित प्रस्ताव।
5. वृद्धाश्रम में प्रवेश हेतु पात्रता :
1. वृद्ध व्यक्ति राजस्थान राज्य का मूलनिवासी होना चाहिए।
 2. वृद्ध महिला/पुरुष की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक की हो।
 3. वृद्ध व्यक्ति निःसहाय एवं निराश्रित हो।
 4. वृद्ध व्यक्ति संतानहीन एवं स्वयं के परिवार से प्रताड़ित हो।
 5. वृद्ध व्यक्ति आजीविका चलाने में असमर्थ हो।
 6. वृद्ध व्यक्ति छूत या सक्रांमक रोग से पीड़ित नहीं हो।
 7. वृद्ध व्यक्ति पागल या विकृष्ट नहीं हो।
 8. वृद्ध व्यक्ति भिखारी नहीं हो।
6. वृद्धाश्रम संचालन की शर्तें :
1. प्रत्येक वृद्धाश्रम में 50 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के होने अनिवार्य है।
 2. स्वयंसेवी संस्था को पहले 25 वृद्धों के रहने की स्वीकृति दी जायेगी, इसके बाद स्वयंसेवी संस्था की सेवा संतोषजनक होने पर वृद्धों की संख्या



9

- 2 वर्ष बाद विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर 50 वृद्धों तक बढ़ाई जा सकती है।
3. जिस स्वयंसेवी संस्था को 50 वृद्धों की स्वीकृति दी गई है अगर वहाँ 50 वृद्ध नहीं पाये जाते हैं तो उस वृद्धाश्रम की वृद्ध क्षमता वापस 25 करने का अधिकार निदेशक समाज कल्याण विभाग को होगा।
 4. स्वयंसेवी संस्था के उद्देश्यों में वृद्ध कल्याण शामिल होना अनिवार्य है।
 5. स्वयंसेवी संस्था को वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
 6. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा संचालित स्वयंसेवी संस्था को 1 वर्ष का अनुभव ही पर्याप्त होगा।
 7. स्वयंसेवी संस्था द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को वर्ष में एक बार किसी धार्मिक स्थल का भ्रमण कराया जायेगा।
 8. स्वयंसेवी संस्था द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को आवश्यकता होने पर राजकीय चिकित्सालय में ले जाकर उनकी जाँच कराई जायेगी तथा वृद्धों का निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जायेगी।
 9. स्वयंसेवी संस्था द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को दौत, चश्मा, बेंत आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी।
 10. वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिमाह एक बैठक कराई जायेगी जिसमें उनकी समस्याओं पर विचार कर उनका निवारण किया जायेगा।
 11. एक स्वयंसेवी संस्था को एक ही वृद्धाश्रम संचालित करने की अनुमति दी जायेगी।
 12. यदि किसी कारण से स्वयंसेवी संस्था को चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं किया जा सका है तो उस स्वयंसेवी संस्था को अगले वर्ष के बजट प्रावधान में से बकाया राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
 13. वृद्धाश्रम का संचालन जहाँ विद्यालय का संचालन किया जा रहा है उस स्थल पर नहीं किया जा सकेगा। यदि वृद्धाश्रम एवं विद्यालय एक ही

h

कैम्पस में संचालित किये जा रहे हैं तो ऐसे वृद्धाश्रम की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

7. वृद्धाश्रम में दी जाने वाली सुविधाओं की सम्बंध में :

1. प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को निःशुल्क पंलग, बर्तन, बिस्तर व अन्य आवश्यक सामान स्वयंसेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वृद्ध व्यक्ति को माह में 2 नहाने के साबुन व 2 कपड़े धोने के साबुन उपलब्ध कराये जायेंगे। वृद्ध व्यक्ति अपने कपड़े स्वयं ही धोयेगा।
3. वृद्ध व्यक्ति को माह में 50 ग्राम का दन्तमंजन पाउडर दिया जायेगा।
4. वृद्ध व्यक्ति की दो माह में एक बार बाल कटिंग कराई जायेगी।
5. वृद्ध व्यक्ति की बैडसीट प्रत्येक 15 दिवस में स्वयंसेवी संस्था द्वारा धुलवाई जायेगी।

8. वृद्धाश्रम में भोजन व मनोरंजन की उपलब्धता के सम्बंध में

1. वृद्ध व्यक्तियों को प्रातः 8.00 बजे से 9.00 बजे की मध्य पोये/ब्रेड/बिस्किट/ भुने हुए चने एवं चाय का नाश्ता दिया जायेगा।
2. वृद्ध व्यक्तियों को दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे के मध्य दोपहर का भोजन दिया जायेगा। जिसमें एक हरी सब्जी एवं चपातियाँ होंगी।
3. वृद्ध व्यक्तियों को सायंकाल 4.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य चाय दी जायेगी।
4. वृद्ध व्यक्तियों को रात्रिकालीन भोजन 8.00 बजे से 9.00 बजे के मध्य दिया जायेगा, जिसमें दाल, चपाती तथा कुछ सलाद दी जायेगी।
5. वृद्ध व्यक्तियों को प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को स्पेशल डाईट दी जायेगी। जिसमें खीर/हलुवा/स्थानीय व्यंजन को शामिल किया जायेगा।
6. वृद्ध व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए वृद्धाश्रम में एक रंगीन टीवी, पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, संगीत के उपकरण, धार्मिक पुस्तकें आदि नियमित उपलब्ध रहेगी।

9. वृद्धाश्रमों का निरीक्षण :

1. जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक 3 माह में एक बार वृद्धाश्रम का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

6.

2. निदेशालय स्तर पर वृद्धाश्रम योजना के प्रभारी अधिकारी द्वारा वर्ष में एक बार प्रत्येक वृद्धाश्रम का निरीक्षण अवश्य किया जायेगा।
3. निदेशालय के निदेशक/अतिरिक्त निदेशक दौरे पर हो तो वृद्धाश्रम का निरीक्षण यथासम्भव अवश्य करें।
4. जिलाधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही स्वयंसेवी संस्था को अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

10. वृद्धाश्रम पर संघारित किये जाने वाले रिकार्ड :

1. वृद्धाश्रम में आवासी व्यक्तियों की उपस्थिति पंजिका।
2. वृद्धाश्रम के लिए क्रय किये गये सामान के लिए क्रय पंजिका, जिसमें क्रय की तिथि के अनुसार सामान का नाम, मूल्य, मात्रा व जिस दुकान से सामान क्रय किया गया है का नाम अंकित होंगे।
3. वृद्धाश्रम के लिए क्रय किये गये सामान को उपभोग के लिए आश्रम के सदस्यों को अर्पित करने की विवरण पंजिका, जिसमें जो उपभोग के लिए सामान/सामग्री आदि दिये गये हैं, उनका विवरण होगा।
4. भ्रमण पंजिका।
5. कैश-बुक।
6. स्टॉक रजिस्टर।
7. बैंक खाते की पास-बुक।
8. भोजन पंजिका।
9. नाशता पंजिका।
10. विभाग को भेजे जाने वाले मानचित्रों व पत्रों व विभाग से प्राप्त होने वाले पत्रों की पत्रावली।
11. स्वास्थ्य पंजिका, जिसमें चिकित्सक द्वारा वृद्धाश्रम के सदस्यों के स्वास्थ्य को चैक कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर औषधि उपलब्ध करवाये जाने से संबंधित विवरण होगा।
12. मनोरंजन आदि के लिए की गई व्यवस्थाओं की पंजिका।

h

11. वृद्धाश्रम संचालन हेतु स्टाफ व्यवस्था :

1. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु एक मैनेजर की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम को संचालित करेगा।
2. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु एक लिपिक की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम के रिकार्ड को संचालित करेगा।
3. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु एक लेखाकार (अंशकालीन) की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम के लेखें सम्बन्धी कार्य को संचालित करेगा।
4. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु दो केयरटेकरों की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम की उचित देखभाल करेंगे।
5. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु एक रसोइया की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम में रहने वाले आवासियों के लिए भोजन व नाश्ता बनायेगा।
6. वृद्धाश्रम के संचालन हेतु एक सफाईकर्मी की नियुक्ति की जायेगी जो वृद्धाश्रम की साफ-सफाई करेगा।

12. स्वयंसेवी संस्था को अनुदान एवं बजट प्रावधान :

1. वृद्धाश्रम संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था को स्वीकृत बजट का 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयंसेवी संस्था का स्वयं का होगा।
2. वृद्धाश्रम संचालन हेतु स्वीकृत बजट परिशिष्ट 2 के अनुसार होगा।
3. किसी भी मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था का प्रथम बजट एवं प्रथम अनुदान स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जायेगा। उसके बाद निदेशक समाज कल्याण विभाग की बजट की कुल अधिकतम सीमा के अधीन स्वीकृति जारी कर बजट जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
4. जिलाधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को वर्ष में दो बार अनुदान स्वीकृत करेगा।
5. स्वयंसेवी संस्था को प्रत्येक वर्ष स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र व सनदी लेखाकार से बैलेन्स शीट प्रस्तुत करनी होगी।
6. सहायता अनुदान मात्र उन परियोजन हेतु देय होगा जिसकी मान्यता दी हुई है।

स्वयंसेवी संस्था से यह राशि वसूल भी की जायेगी। अगर ऐसी स्वयंसेवी संस्था की राशि बकाया है तो उसे जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही ऐसी दोषी स्वयंसेवी संस्था को भविष्य में कभी भी समाज कल्याण विभाग की कोई भी योजना संचालित करने का अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

1.4 नियमों में शिथिलता

इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। इन नियमों की व्याख्या निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी और वही अन्तिम एवं बन्धनकारी माना जायेगा।

Signature
विशिष्ट शासन सचिव 31-3-06
जयपुर, दिनांक 31-3-2006

क्रमांक: एक 13 () () (सू.न./नियम/सकवि/2005/16649-60

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, समाज कल्याण एवं सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संभागीय अध्यक्ष
6. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यावास।
7. परियोजना निदेशक (एस.सी.पी.), मुख्यावास।
8. जिला कलक्टर,
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग,
10. आदेश पत्रावली।

Signature
मूल्यांकन अधिकारी

70

परिशिष्ट '1'

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

वृद्धाश्रम योजना

आवदेन प्रपत्र

- 1 स्वयंसेवी संस्था का नाम
- 2 स्वयंसेवी संस्था का पूर्ण पता
- 3 स्वयंसेवी संस्था का दूरभाष न०.....
- 4 क्या संस्था भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम 21) के अन्तर्गत पंजीकृत है
- 5 यदि हाँ तो पंजीयन क्रमांक व दिनांक
- 6 क्या संस्था को वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है। हाँ/नहीं
- 7 यदि हाँ तो संस्था द्वारा वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में किये गये कार्यों के विवरण संलग्न करें।
- 8 क्या संस्था अन्य गतिविधियां भी संचालित कर रही है। हाँ/ नहीं
- 9 यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें.....
- 10 क्या संस्था भारत सरकार/राज्य सरकार से किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त कर रही है। हाँ/ नहीं
- 11 यदि हाँ तो स्वीकृत अनुदान की वर्षवार राशि दें।
- 12 क्या संस्था विदेशी अनुदान/ स्वदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है। हाँ/नहीं
- 13 यदि हाँ तो तीन वर्ष का विवरण दें।
- 14 क्या संस्था के पास वृद्धाश्रम संचालन हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध है।
- 15 यदि हाँ तो भवन का पूर्ण विवरण संलग्न करें।

अध्यक्ष/सचिव

h

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अभ्येदक भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमिक: एफ13.1/सा.सु./इ.ए./सान्यप्रवि/13-14/65107-

जयपुर दिनांक 2/09/2013

आदेश

वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु वृद्धाश्रम संचालन नियम 2006 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है।

सं.	दिनांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	विशेष विवरण
3. स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन (अ)		वृद्धाश्रम का संचालन करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे तथा सक्षम स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्था को निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में आवेदन करना होगा। निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों की जांच जिलाधिकारी से करायेगा। जिलाधिकारी से अभिशंका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरान्त आदेश जारी किये जायेंगे।	जिला एवं तहसील मुख्यालय पर वृद्धाश्रमों का संचालन करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे तथा सक्षम स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन जिलाधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंका के आधार पर जिला कलेक्टर के द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किया जायेगा।	
B. वृद्धाश्रम संचालन की शर्तें (1)		प्रत्येक वृद्धाश्रम में 50 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति / जनजाति के होने अनिवार्य है।	विलोपित	
C. वृद्धाश्रम संचालन की शर्तें (2)		स्वयंसेवी संस्थाओं पहले 25 वृद्धों के रहने की स्वीकृति दी जायेगी, इसके बाद स्वयंसेवी संस्था की सेवा सन्तोषजनक होने पर वृद्धों की संख्या दो वर्ष बाद विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर 50 वृद्धों तक बढ़ाई जा सकती है।	जिला मुख्यालय पर अधिकतम 50 वृद्धों (2यूनिट) एवं तहसील मुख्यालय पर अधिकतम 25 (1यूनिट) वृद्धों के रहने की स्वीकृति दी जायेगी।	एक यूनिट (25 वृद्ध)
B. (अ) वृद्धाश्रम भवन		नवीन दिन्दु	वृद्धाश्रम हेतु लिये जाने वाले किराये के भवन में निम्नानुसार सुविधाओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक है:- 1. महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक-पृथक लेट्रिन एवं बाथरूम हों। 2. निभक्त व्यक्तियों के लिए अलग से उपयुक्त शौचालयों एवं स्नानागार की व्यवस्था। 3. महिलाओं व पुरुषों के लिए पृथक-पृथक आवागमन व्यवस्था। 4. आगरोपकरणों का प्राकृतिक	

		<p>प्रकाश व स्वच्छ वायु आने की व्यवस्था तथा पर्याप्त संख्या में परखे आदि की व्यवस्था।</p> <p>5. स्वच्छ रसोई घर व सौजन कक्ष की व्यवस्था</p> <p>6. मनोरंजन कक्ष में एक समय में कम से कम स्वीकृत क्षमता अनुसार व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था।</p> <p>7. चिकित्सा कक्ष उक्त आवश्यक कक्षों के साथ ही भवन के भीतरी व बाहरी भाग में खुले स्थान (खेलकूद हेतु समुचित स्थान) की उपलब्धता का ध्यान रखना होगा।</p> <p>उक्त के लिये प्रयास किया जाये कि नगरीय विकास विभाग, राजस्थान द्वारा वृद्धाश्रम निर्माण हेतु आवंटित किये जाने वाले 1000वर्गगज के भूखण्ड के आधार पर किराये के भवन में उपयुक्त सुविधाएं न्यूनतम 800वर्गगज (यथासंभव) में उपलब्ध हो।</p>
--	--	---

प्रतिनिधि मिन्ड को सुनिश्चित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य लेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मंत्री सौभाग्य न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. सभाीय आयुक्त _____।
6. जिला कलक्टर _____।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद _____।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास
10. उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
11. आदेश पत्रावली

(डा० मनजीत सिंह) 22/8/13
 प्रमुख शासन सचिव
 जयपुर दिनांक 2/09/2013

Comptroller
 22/8/13

वृद्धाश्रम हेतु बजट प्रावधान

(अ)	क्र.सं.	पद	संख्या	मासिक व्यय	माह	व्यय
	1	मैनेजर	1	4000	12	48000
	2	लेखाकार (अंशकालीन)	1	1500	12	18000
	3	केयर टेकर	2	2500	12	60000
					योग:-	126000
(ब)	1	मकान किराया		6000	12	72000
	2	लाईट पानी		2000	12	24000
	3	आवस्यीय भोजन	25	1750	12	525000
	4	पत्र पत्रिका		250	12	3000
					योग	624000
					योग (अ+ब)	750000
					-10 प्रतिशत संस्था का हिस्सा	75000
					संस्था को देय राशि	675000

(स)

- 1 रजाई, गद्दे, तकिये, पंलग, बर्तन, पंखे, कुलर व अन्य सामान क्रय हेतु 30000

नोट :-

- स्वयंसेवी संस्था को अनावर्तक मद में 30000 रुपये प्रति 5 वर्ष पश्चात स्वीकृत किये जायेंगे।
- मकान किराये का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा :-
 - संभाग मुख्यालय पर (जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, एवं भरतपुर) 6000 रुपये मासिक।
 - जिला मुख्यालय पर 5000 रुपये मासिक।
 - अन्य शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3500 रुपये मासिक।

वृद्धाश्रम नियम, 2006 के अंतर्गत आवेदन पत्र

- 1 संगठन/संस्था का नाम :
पता :
फोन नम्बर :
मोबाईल नम्बर :
फैक्स :
- 2 किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है :
रजिस्ट्रेशन संख्या व रजिस्ट्रेशन की तारीख :
व विधान एवं उद्देश्यों की प्रति (सत्यापित प्रति लगाएं)
- 3 विदेशी अभिदाय अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन (यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्राप्त सहायता का सत्यापित विवरण) : हाँ/नहीं
- 4 प्रबंध मंडल/शासी निकाय के सदस्यों के नाम एवं पता तथा वर्तमान प्रबंध मंडल के गठन की तारीख (सत्यापित प्रतियाँ) :
- 5 संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :
 - i पिछले 3 वर्षों की वार्षिक/प्रगति रिपोर्ट की प्रति जिसमें तुलनपत्र हो
 - ii संगठन/संस्था द्वारा पिछले 3 वर्षों की प्राप्ति व भुगतान लेखा (आय-व्यय का सबदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित लेखे)
- 6 संस्था की चल व अचल सम्पत्तियों का प्रमाणित ब्यौरा :
- 7 परियोजना का विस्तृत विवरण (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) :
 - 1 क्षेत्र जहाँ परियोजना प्रारम्भ की जानी है अथवा की जा रही है, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का विवरण
 - 2 सम्मिलित किये जाने वाले लाभार्थियों का लक्ष्य समूह (महिला/पुरुष)। यदि केन्द्र महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए है तो उनके रहने की पृथक्-पृथक् व्यवस्था की विवरण। (परियोजना के मानचित्र में पृथक्-पृथक् दर्शाया जाये)
 - 3 प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं तथा लाभार्थियों से लिया जाने वाला प्रभार, यदि कोई हो तो उनका विवरण

निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रपत्र
वृद्धाश्रम नियम, 2006 के अंतर्गत संचालित वृद्धाश्रम

- 1 निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद :
- 2 निरीक्षण का दिनांक :
- 3 संस्था/संगठन का नाम, पता :
- 4 संस्था सचिव/अध्यक्ष के सम्पर्कसूत्र, मो. नम्बर :
- 5 संस्था द्वारा जहाँ केन्द्र संचालित किया जा रहा उस स्थान का पूर्ण पता :
- 6 निरीक्षण के समय उपस्थित वृद्धजनों की संख्या :

स्त्री			पुरुष			योग
SC	ST	Disabled	SC	ST	Disabled	

- 7 संस्था की अन्य आय व स्रोत :
- 8 संस्था/संगठन द्वारा अन्य कोई योजना/केन्द्र का संचालन किया जा रहा योजना/केन्द्र का नाम एवं पता :
- 9 मासिक उपस्थित पंजिका अनुसार वृद्धजनों की प्रवेशित संख्या :

स्त्री			पुरुष			योग
SC	ST	Disabled	SC	ST	Disabled	

- 10 वृद्ध व्यक्तियों को देय सुविधाओं का विवरण :
 - i वृद्ध व्यक्ति के लिए संगठन द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं व सेवा का ब्यौरा :
 - ii क्या संगठन ने वृद्ध व्यक्तियों की चिकित्सा जांच और उपचार की व्यवस्था की है :
 - iii वृद्ध व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्षमता का स्तर बनाए रखने के लिए प्रदान की जा रही पोषाहार स्पेशल डाईट का ब्यौरा :
 - iv वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए संगठन द्वारा क्या किया गया है तथा उनका उत्पीड़न रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। :

- v क्या प्राप्त अनुदान और हुए व्यय का उचित व अद्यतन नियमानुसार रिकार्ड संधारण किया जा रहा है?
- vi क्या संगठन को पहले जारी किए गए वर्षवार अनुदान का उचित उपयोग किया गया है यदि हां, चार्टर्ड लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें
- vii वृद्ध व्यक्तियों के मनोरंजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए किए गए प्रबंध का ब्यौरा
- 11 वृद्धाश्रम में बिजली-पानी एवं सफाई आदि की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है अथवा नहीं ?
- 12 वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को कराये गये भ्रमण स्थल का नाम व दूरी
- 13 स्टाफ का ब्यौरा :
- 14 संस्था द्वारा संचालित केन्द्र का भवन पूर्ण सुरक्षित उपयुक्त है अथवा नहीं?
- 15 बैंकर्स के नाम व खाता संख्या :

प्रमाणित किया जाता है कि योजना के दिशा-निर्देशानुसार व आवेदन-पत्र में दर्शाये गये तथा संस्था द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। सभी दस्तावेज पूर्णतः सही पाये गये हैं एवं संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तथा योजनान्तर्गत वृद्धाश्रम का संचालन सुचारु रूप से किया जा रहा है। मैं संस्था की गतिविधियों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ।

हस्ताक्षर :

नाम व पदनाम :

समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए

केंद्रीय सेक्टर योजना

(01.04.2018 की स्थिति के अनुसार संशोधित)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
नई दिल्ली

www.socialjustice.nic.in

समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम

1. प्रस्तावना

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी में सतत वृद्धि हुई है। वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 1951 में 1.98 करोड़ थी, जो 2001 में बढ़कर 7.6 करोड़ और 2011 में बढ़कर 10.38 करोड़ हुई है। पूर्वानुमानों से यह संकेत मिलता है कि भारत में 60+ आयु के व्यक्तियों की संख्या 2021 में बढ़कर 14.3 करोड़ और 2026 में बढ़कर 17.3 करोड़ हो जाएगी। जीवन प्रत्याशा में सतत वृद्धि होने से लम्बी आयु तक जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या और अधिक हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में, वरिष्ठ नागरिकों को आबादी के अनुपात में सतत वृद्धि होने के मुख्य कारणों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सामान्य सुधार होना एक कारण है। यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है कि वे न सिर्फ लम्बी आयु तक जीवन जीते हैं बल्कि सुरक्षित, सम्मानपूर्ण एवं सृजनशील जीवन जीते हैं।

भारतीय समाज के परम्परागत मूल्यों एवं मानकों में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देना और देखभाल करने पर बल दिया जाता था। तथापि, हाल के समय में समाज में धीरे-धीरे लेकिन निश्चित तौर पर संयुक्त परिवार प्रणाली में विघटन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भावात्मक, शारीरिक और वित्तीय सहायता की कमी से काफी संख्या में माता-पिता की उनके परिवारों द्वारा उपेक्षा की जा रही है। ये वरिष्ठ नागरिक पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की कमी में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वृद्धावस्था एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है और वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक और स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने और वरिष्ठ नागरिकों की भावात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील सामाजिक वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है।

2. लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मौलिक सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान करते हुए तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों(एनजीओ)/पंचायती राज संस्थाओं(पीआरआई)/स्थानीय निकायों और व्यापक स्तर पर समुदाय की क्षमता निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करने के माध्यम से सृजनशील एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

3. दृष्टिकोण

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों और पात्र गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों आदि जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों को निम्नलिखित प्रयोजनों, जिनका उल्लेख पैरा 6 में किया गया है के लिए सहायता प्रदान की जाएगी:-

- (i) वरिष्ठ नागरिकों विशेष रूप से निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों की आधारभूत आवश्यकताओं अर्थात् भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखरेख की जरूरतों को पूरा करने वाले कार्यक्रम;
- (ii) क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों (आरआरटीसी) के माध्यम से विशेषकर बच्चों/युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच अंतर-पीढ़ी संबंधों को बनाने और सुदृढ़ करने वाले कार्यक्रम;
- (iii) क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों (आरआरटीसी) के माध्यम से सक्रिय एवं उत्पादक वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम;

- (iv) वरिष्ठ नागरिकों को संस्थागत तथा गैर-संस्थागत देखभाल/सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम;
- (v) क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों (आरआरटीसी) के माध्यम से वृद्धावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान, एडवोकेसी और जागरूकता निर्माण कार्यक्रम; और
- (vi) वरिष्ठ नागरिकों के सर्वोत्तम हित में कोई अन्य कार्यक्रम।

4. योजना के अंतर्गत सहायता के लिए ग्राह्य कार्यक्रम

(i) क्रमशः कम से कम 25 निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों अथवा 50 वरिष्ठ महिला नागरिकों को भोजन, देखभाल और आश्रय प्रदान करने के लिए संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत सहित वरिष्ठ नागरिकों गृहों/वरिष्ठ महिला नागरिक गृहों (एसएजीवाई) का अनुरक्षण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वरिष्ठ नागरिक गृह/50 वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए वरिष्ठ महिला नागरिक गृह (वृद्ध विधवाओं के लिए बहु-सुविधा देखभाल केंद्र का विलय करके) को संचालित करने हेतु परियोजना के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन सुविधाएं आदि निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक गृह, जिसमें वरिष्ठ महिला नागरिक गृह भी शामिल हैं, बड़े आकार का होता है (50 अथवा 75 अथवा 150 लाभार्थियों वाला), तो उस स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल मनोरंजन और विविध मर्दों के संबंध में अनुपातिक आधार पर ऐसे वरिष्ठ नागरिक गृहों का अनुरक्षण करने के लिए सहायता अनुदान संस्वीकृत किया जाता है। 50 सहवासियों वाली परियोजनाओं के लिए, भवन का किराया 25 सहवासियों वाले गृह के लिए निर्धारित किराए से 50 प्रतिशत अधिक होगा। 50 सहवासियों वाले वरिष्ठ नागरिकों के गृह के लिए एक अतिरिक्त कुक और एक मल्टी टास्किंग स्टाफ होगा। कार्यान्वयन एजेंसियां अपने स्वयं के संसाधनों से इन गृहों के लिए अतिरिक्त मर्दों/अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। संगठनों को **परिशिष्ट-I** के अनुसार व्यय करने की अनुमति होगी।

(क) लागत संबंधी मानदंडों में अधीक्षक/डॉक्टर/नर्स/कुक/मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) आदि को मानदेय के रूप में दी जाने वाले राशि शामिल है। इस परियोजना के लिए नियुक्त किए जाने स्टाफ की न्यूनतम अपेक्षित अर्हता और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता और कर्तव्य
1	अधीक्षक (पूर्णकालिक)	अर्हता – स्नातक जिसे 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए ऐसे केंद्रों को संचालित करने का अनुभव हो अथवा ऐसे केंद्रों को संचालित करने की प्रदर्श क्षमता हो और कम्प्यूटर चलाने का कार्यसाधक ज्ञान हो। कर्तव्य – परियोजना का संपूर्ण प्रबंधन।
2	डॉक्टर (अंशकालिक)	अर्हता – एमबीबीएस/बीएएमएस/बीएचएमएस कर्तव्य – डॉक्टर सभी लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए सप्ताह में कम से कम दो बार केंद्र का दौरा करेगा। डॉक्टर आपात स्थिति में लाभार्थियों की जांच भी करेगा। जहां तक संभव हो, केंद्र के नजदीक रहने वाले डॉक्टर को ही नियुक्त किया जाए।
3	योग चिकित्सक (अंशकालिक)	अर्हता – किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से योग में डिप्लोमा। कर्तव्य – योग चिकित्सक सप्ताह में कम से कम तीन बार प्रतिदिन एक घंटे के लिए केंद्र आएगा। उसे प्रतिदिन 400 रुपए तक और 5000 रुपए की मासिक सीमा तक मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता और कर्तव्य
4	सामाजिक कार्यकर्ता/ परामर्शदाता (अंशकालिक)	अर्हता – किसी विषय में स्नातक और संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। उसने राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी/क्षेत्रीय संसाधन तथा प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और उसे स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। कर्तव्य – सहवासियों की भावनात्मक स्थिति का आकलन करना और उन्हें यथापेक्षित परामर्शी सेवाएं प्रदान करना। सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता प्रतिदिन कम से कम दो घंटे के लिए केंद्र आएगा।
5	नर्स (अंशकालिक)	अर्हता – एग्जलरी नर्स मिड वाइफ (एएनएम) के रूप में अर्हता प्राप्त और उसने किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी चिकित्सा संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। कर्तव्य – नर्स सहवासियों की बुनियादी चिकित्सा जांच के लिए सप्ताह में पांच दिन प्रतिदिन कम से कम दो घंटे के लिए परियोजना आएगी और नर्सिंग/बुनियादी जरा-चिकित्सा देखभाल सेवा भी प्रदान करेगी।
6	कुक (पूर्णकालिक)	अर्हता – 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो और उसे कम से कम तीन वर्ष के लिए स्थानीय भोजन बनाने का अनुभव हो। कर्तव्य – सहवासियों के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार करना जिसमें प्रातःकालीन चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय और रात्रि भोजन शामिल है।
7	मल्टी टार्किंग स्टाफ (एमटीएस) (3) (पूर्णकालिक)	अर्हता – 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो और उसे इस कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। कर्तव्य – चौकीदार, हेल्पर, क्लीनर के कार्यों का निर्वहन करना। वह दिन में कम से कम दो बार सभी कमरों, बरामदों/खुले स्थान और रसोईघर को साफ करेगा, दिन में कम से कम तीन बार बाथरूम को साफ करेगा और जब कभी आवश्यक होगा अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।

(ख) इस योजना में से मल्टी सर्विस सेंटर (एमएससी) संबंधी परियोजना को निकाल दिया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 से इन परियोजनाओं के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। तथापि, मौजूदा एमएससी के पास संगठन की क्षमता, परियोजना का स्थल आदि के आधार पर राज्य सरकार की विशिष्ट सिफारिशों के बशर्ते और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से इन परियोजनाओं को 25 सहवासियों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृहों में परिवर्तित करने का विकल्प होगा।

(ii) अल्जाइमर/मनोभ्रंश बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित कम से कम 20 वरिष्ठ नागरिकों, जिन्हें सतत नर्सिंग देखभाल और राहत की आवश्यकता है अथवा उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अल्जाइमर/मनोभ्रंश बीमारी से पीड़ित हैं, के लिए सतत देखभाल गृहों और वरिष्ठ नागरिक गृहों का अनुरक्षण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन एजेंसियों जिनका धर्मार्थ अस्पतालों/नर्सिंग होमों/चिकित्सा संस्थाओं/कालेजों को चलाने का उल्लेखनीय ट्रेक रिकार्ड है, को सहायता अनुदान दिया जाता है। ऐसी एजेंसियां अल्जाइमर/मनोभ्रंश बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए कम से कम 20 वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो गंभीर अपंगता से पीड़ित हैं, को चलाने के लिए सहायता अनुदान पाने की पात्र हैं। इन संगठनों को परिशिष्ट-II के अनुसार व्यय करने की अनुमति दी जाएगी।

(क) लागत संबंधी मानदंडों में अधीक्षक/प्रबंधक/कुक आदि को दिया जाने वाला मानदेय शामिल है। इस परियोजना के लिए नियुक्त स्टाफ के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता और कर्तव्य
1	अधीक्षक (पूर्णकालिक)	अर्हता – स्नातक जिसे 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए ऐसे केंद्रों को संचालित करने का अनुभव हो अथवा ऐसे केंद्रों को संचालित करने की प्रदर्श क्षमता हो और कम्प्यूटर चलाने का कार्यसाधक ज्ञान हो। कर्तव्य – परियोजना का संपूर्ण प्रबंधन।
2	डॉक्टर (अंशकालिक)	अर्हता – एमबीबीएस/बीएएमएस/बीएचएमएस कर्तव्य – डॉक्टर सभी लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए सप्ताह में कम से कम दो बार केंद्र का दौरा करेगा। डॉक्टर आपात स्थिति में लाभार्थियों की जांच भी करेगा। जहां तक संभव हो केंद्र के नजदीक रहने वाले डॉक्टर को ही नियुक्त किया जाए।
3	योगा चिकित्सक (अंशकालिक)	अर्हता – किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से योगा में डिप्लोमा। कर्तव्य – योगा चिकित्सक सप्ताह में कम से कम तीन बार प्रतिदिन एक घंटे के लिए केंद्र में आएगा। उसे प्रतिदिन 400 रुपए तक और 5000 ररुपए की मासिक सीमा तक मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
4	सामाजिक कार्यकर्ता/ परामर्शदाता (अंशकालिक)	अर्हता – किसी विषय में स्नातक और संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। उसके पास राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी)/क्षेत्रीय संसाधन तथा प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसे स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। कर्तव्य – सहवासियों की भावनात्मक स्थिति का आकलन करना और उन्हें यथाअपेक्षित परामर्शी सेवाएं प्रदान करना। सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता प्रतिदिन कम से कम दो घंटे के लिए केंद्र में आएगा।
5	नर्स (2) (अंशकालिक)	अर्हता – एग्जलरी मिड वाइफ (एएनएम) के रूप में अर्हता प्राप्त होना चाहिए और उसने किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी चिकित्सा संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। कर्तव्य – नर्स सहवासियों की बुनियादी चिकित्सा जांच के लिए परियोजना में आएगी और नर्सिंग/बुनियादी जरा-चिकित्सा देखभाल भी प्रदान करेगी।
6	कुक (पूर्णकालिक)	अर्हता – 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो और उसे कम से कम तीन वर्ष के लिए स्थानीय भोजन बनाने का अनुभव हो। कर्तव्य – सहवासियों के लिए प्रतिदिन भोजन बनाना जिसमें प्रातःकालीन चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, संध्या की चाय और रात्रि भोजन शामिल है।
7	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) (3) (पूर्णकालिक)	अर्हता – 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो और उसे इस कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। कर्तव्य – चौकीदार, हेल्पर, क्लीनर के कर्तव्यों का निर्वहन करना। वह दिन में कम से कम दो बार सभी कमरों, बरामदों/खुले स्थान और रसोईघर को साफ करेगा, दिन में कम से कम तीन बार बाथरूम को साफ करेगा और जब कभी आवश्यक होगा अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।

(ख) अल्जाइमर/मनोभ्रंश से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा देखभाल केंद्र {डीसीसी (मनोभ्रंश)}, परियोजना को सतत देखभाल गृहों और अल्जाइमर/मनोभ्रंश से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए गृहों के साथ विलय किया जाएगा। वित्त वर्ष 2018-19 से डीसीसी (मनोभ्रंश) परियोजनाओं के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

तथापि, इन प्रयोजनाओं को चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों को अल्जाइमर/मनोभ्रंश से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा देखभाल केंद्रों को सतत देखभाल गृहों की परियोजनाओं और अल्जाइमर/मनोभ्रंश से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए गृहों, जिनमें 20 सहवासी रहते हैं, में परिवर्तित करने का विकल्प होगा बशर्ते कि राज्य सरकार ने संगठन की क्षमता, परियोजना के स्थल आदि के बारे में विशिष्ट रूप से सिफारिश की हो और उसके संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया हो।

(iii) ग्रामीण, विलग और पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहे सचल मेडिकेयर यूनिटों का अनुरक्षण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मलिन बस्तियों, ग्रामीण और अगम्य क्षेत्रों जहां स्वास्थ्य की उपयुक्त देखभाल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए परियोजना हेतु सहायता अनुदान दिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करने तथा उसके लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना है।

प्रत्येक मेडिकेयर यूनिट प्रत्येक माह कम से कम 400 वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगा। प्रत्येक मेडिकेयर यूनिट इन क्षेत्रों (मलिन बस्तियों, ग्रामीण और अगम्य क्षेत्रों जहां स्वास्थ्य की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं) में प्रतिमाह कम से कम दस बार दौरा करेगा।

इस परियोजना के अंतर्गत सहायता अनुदान उन एजेंसियों को प्रदान किया जाएगा जिनका वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने का एक विश्वसनीय ट्रैक रिकार्ड है। जिन संगठनों का वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रमाणिक ट्रैक रिकार्ड है, वे वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। इस परियोजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम/चिकित्सा संस्थाएं/कालेज भी पात्र हैं। इन संगठनों को परिशिष्ट-III के अनुसार व्यय करने की अनुमति दी जाएगी।

इस परियोजना में नियुक्त स्टाफ के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता और कर्तव्य निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता और कर्तव्य
1	डॉक्टर	अर्हता – एमबीबीएस/बीएएमएस/बीएचएमएस कर्तव्य – डॉक्टर प्रतिमाह कम से कम 10 बार परियोजना का दौरा करेगा और प्रतिमाह कम से कम 400 वरिष्ठ नागरिकों की जांच करेगा। वह जब कभी भी आवश्यक होगा, उपलब्ध होगा।
2	नर्स	अर्हता – एग्जलरी मिड वाइफ (एएनएम) के रूप में अर्हता प्राप्त होना चाहिए और उसने किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी चिकित्सा संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। कर्तव्य – नर्स प्रतिमाह कम से कम 10 बार परियोजना का दौरा करेगी और प्रतिमाह कम से कम 400 वरिष्ठ नागरिकों की जांच करेगी। वह जब कभी भी आवश्यक होगा, उपलब्ध होगी।
3	ड्राइवर	अर्हता – 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो। उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। कर्तव्य – वह प्रति माह कम से कम दस बार और जब कभी आवश्यक होगा ड्यूटी करेगा।
4	आयोजक	अर्हता – कम से कम 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो और स्थानीय भाषा से भली भांति परिचित हो। कर्तव्य – सचल मेडिकेयर यूनिट के सभी दौरों जिसमें लॉजिस्टिक व्यवस्था शामिल है को आयोजित करने के लिए सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता और कर्तव्य
5	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	अर्हता – 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो और उसे इस कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। कर्तव्य – चौकीदार, हेल्पर, क्लीनर के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और जब कभी भी आवश्यक होगा सहायता प्रदान करेगा।

(iv) **वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक** इस परियोजना के अंतर्गत सहायता अनुदान उन एजेंसियों को दिया जाएगा जिनका प्रति माह कम से कम 50 वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक चलाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु परियोजनाओं को संचालित करने का विश्वसनीय ट्रैक रिकार्ड होगा। इस परियोजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम/चिकित्सा संस्थाएं/कालेज भी पात्र हैं। संगठन को **परिशिष्ट-IV** के अनुसार व्यय करने की अनुमति दी जाएगी।

इस परियोजना में नियुक्त स्टाफ के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता और कर्तव्य
1	फिजियोथैरेपिस्ट (पूर्णकालिक)	अर्हता – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथैरेपी में अपेक्षित डिग्री होनी चाहिए। कर्तव्य – डॉक्टर प्रति माह कम से कम 50 वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिदिन सेवाएं प्रदान करेगा।
2	फिजियोथैरेपी तकनीशियन	अर्हता – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथैरेपी में अपेक्षित डिप्लोमा होना चाहिए। कर्तव्य – कर्तव्यों में फिजियोथैरेपिस्ट की सहायता करना। विभिन्न किस्म की फिजियोथैरेपी में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करना (फिजियोथैरेपिस्ट के पर्यवेक्षण के अधीन) शामिल हैं। वह प्रति माह कम से कम 50 वरिष्ठ नागरिकों को प्रति दिन सेवा प्रदान करेगा।
3	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	अर्हता – 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हो और उसे इस कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। कर्तव्य – चौकीदार, हेल्पर, क्लीनर के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और जब कभी भी आवश्यक होगा सहायता प्रदान करेगा।

टिप्पणी: महिला वरिष्ठ नागरिक को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से फिजियोथैरेपिस्ट अथवा फिजियोथैरेपी तकनीशियन दोनों में से कम से कम एक महिला होनी चाहिए।

(v) **क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों का अनुरक्षण** – इस मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) महत्वपूर्ण सहयोगी भागीदार होंगे। ये केंद्र क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करेंगे और क्षेत्रीय स्तर पर संसाधन केंद्र होंगे। इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित इन केंद्रों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए किए जाने वाले व्यापक कार्यकलापों में निगरानी और तकनीकी सहायता प्रदान करना, एडवोकेसी और नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल हैं। ये केंद्र राज्य सरकार के संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, स्कूलों और कालेजों, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिटों, पंचायती राज संस्थाओं आदि के साथ संपर्क करने के लिए कार्य करेंगे। इन संगठनों को **परिशिष्ट-V** के अनुसार व्यय करने की अनुमति दी जाएगी।

लागत संबंधी मानदंडों में फिजियोथैरेपिस्ट/योगा/चिकित्सक आदि को दिया जाने वाला मानदेय शामिल है। इस परियोजना के लिए नियुक्त स्टाफ के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता और कर्तव्य
1	समन्वयक (पूर्णकालिक)	<p>अर्हता – समाज कार्य में स्नातक, ऐसे केंद्रों का प्रबंधन करने के लिए कम से कम तीन वर्ष की अवधि का अनुभव अथवा ऐसे केंद्रों को संचालित करने के लिए प्रदर्श क्षमता और कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो।</p> <p>कर्तव्य – परियोजना का समग्र प्रभारी, वार्षिक कार्य-योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी, आरआरटीसी के मेंडेट को पूरा करना अर्थात डेटाबेस तैयार करना, अनुसंधान करना, आईईसी सामग्री को डिजाइन करना, आयोजना, परिवेक्षण करना एवं क्षमता निर्माण कैलेण्डर तैयार करना, एनजीओ की निगरानी करना, योजना के अंतर्गत अनुदानग्राही एनजी.ओ की सूची तैयार करना एवं कार्यान्वित करना, परस्पर बातचीत करना, परियोजनाओं की निगरानी करना, सुग्राहीकरण एवं जागरूकता पैदा करना।</p> <p>एक वर्ष में कम से कम 25 परियोजनाओं का निरीक्षण।</p>
2	लेखाकार –सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर (पूर्णकालिक)	<p>अर्हता – लेखांकन के ज्ञान सहित स्नातक एवं कम्प्यूटर में काम करने का ज्ञान।</p> <p>कर्तव्य – लेखों का संकलन, कम्प्यूटर में डाटाबेस एवं सूचना एकत्र करना, रिकॉर्ड और फाइलों का रख-रखाव, प्रशिक्षणार्थियों, रिसोर्स व्यक्तियों, लाभार्थियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के रिकॉर्ड का रख-रखाव।</p>
3	सपोर्ट स्टाफ (2) (पूर्णकालिक)	<p>अर्हता – 10वीं पास अवश्य होना चाहिए और उसे कम्प्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>कर्तव्य – परियोजना के रिकॉर्डों का फिजिकल रख-रखाव, परियोजना कार्यालय की सामान्य साफ-सफाई एवं रख-रखाव, अन्य गैर-लिपिकीय कार्य, अन्य स्टाफ के नेमी कार्यालयीय कार्य में सहायता देना जिसमें बुनियादी कम्प्यूटर कार्य, पोस्टेज, रजिस्ट्रों का रख-रखाव, अनुवर्ती कार्य एवं समग्र प्रासशानिक सहायता प्रदान करना शामिल हैं।</p>

(vi) राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति (एनपीएससी) के उपबंधों के कार्यान्वयन सहित अन्य कोई कार्यकलाप, जिसे योजना के उद्देश्य को पूरा करने में उपयुक्त माना जाए पात्र एजेंसियों/संस्थानों/संगठनों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पात्रता अनुसार, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और सहायता की मात्रा का निर्धारण मंत्रालय द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर हर बार किया जाता है। (परिशिष्ट-VI)

(vii) जिन परियोजना-प्रकारों को ड्रॉप करने अथवा किसी अन्य कम्पोनेंट के साथ विलय करने अथवा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान को अंतरित करने का प्रस्ताव है, उनकी स्थिति **परिशिष्ट-VII** पर देखें।

5. परियोजना को सहायता की सीमा

- योजना में विनिर्दिष्ट परियोजना की लागत का 90% भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी संबंधित संगठन/संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।
- तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/पंचायती राज संस्थान/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं के मामले में 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- (iii) इसी प्रकार, स्कूलों, कालेजों, शिक्षण संस्थाओं और पंजीकृत युवा संगठनों जैसे नेहरू युवक केन्द्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), वृद्धजनों के लिए कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के मामले में योजना में विनिर्दिष्ट परियोजना लागत का शत-प्रतिशत तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

6. कार्यान्वयन एजेंसियां

इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित एजेंसियों को सहायता स्वीकृत की जाएगी:—

- i. पंजीकृत सोसाइटियों/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/स्थानीय निकायों के माध्यम से आईपीएससी योजना के अंतर्गत, यथा-संभव अस्पतालों के परिसरों में, परियोजनाओं को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को अग्रता प्रदान की जाएगी।
- ii. गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन।
- iii. सरकार द्वारा स्वायत्त/अधीनस्थ निकायों के रूप में स्थापित संस्थाएं अथवा संगठन
- iv. सरकारी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाएं, धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम और नेहरू युवक केन्द्र संगठन (एन.वाई.के. एस.) जैसे मान्य युवा संगठन।

7. इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों हेतु पात्रता मानदंड

- (i) गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन को एक उचित अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए ताकि इसे कारपोरेट स्तर और कानूनी रूप प्राप्त हो जाए तथा इसके कार्यकलापों के लिए एक समूह दायित्व स्थापित हो।
- (ii) यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अथवा संगत राज्य सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम दो वर्ष से कार्यशील हो अथवा तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी।

न्यूनतम दो वर्ष कार्य करने का मानदण्ड राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मामले में लागू नहीं होगा। राज्य सरकारें यथा संभव अस्पतालों के परिसरों में परियोजनाएं स्थापित करने की संभावना का पता लगा सकती हैं। इसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं अल्प सेवित क्षेत्रों/कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के मामले में, दो वर्ष की यह शर्त लागू नहीं होगी।

- (iii) संगठन का सुव्यवस्थित ढंग से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए और लिखित संविधान में इसकी शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों का सुस्पष्ट एवं सुपरिभाषित निर्धारण होना चाहिए। इसकी उपयुक्त प्रशासनिक संरचना और विधिवत गठित प्रबंध/कार्यकारी समिति हो।
- (iv) संगठन को इसके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलाया एवं नियंत्रित किया जाता है।
- (v) संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य तथा इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए।

- (vi) संगठन किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लाभार्थ संचालित नहीं होना चाहिए; संगठन के पास ऐसी परियोजनाओं का संचालन करने के लिए प्रमाणित अर्हता और क्षमताएं होनी चाहिए।

8. योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तों, आवेदन-पत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा अन्य शर्तों के साथ सहायता की सीमा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश इस खंड में दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संयुक्त सचिव (समाज रक्षा) तथा नीति आयोग/अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रतिनिधियों के बतौर सदस्य सहित, सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है।

8.1 प्रस्ताव प्रस्तुत करने और सहायता अनुदान जारी करने के लिए प्रक्रिया-विधि

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान पर कार्रवाई करने के लिए जारी सामान्य दिशा-निर्देशों और समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) – 2017 के संगत प्रावधानों के अनुसरण में विचार किया जाएगा। इस समय प्रचलित दिशा-निर्देशों के आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया-विधि अपनाई जाएगी:-

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत/अग्रेषित/संस्तुत किए जाएंगे:-

- (i) सभी प्रस्तावों में कवर किए जाने वाले लक्षित समूह के लाभार्थियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- (ii) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु सभी नये प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्र में सभी संगत दस्तावेजों के साथ संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से ऑनलाइन (<http://ngograntsje.gov.in>) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iii) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा, जारी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान जारी करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सभी संगत दस्तावेजों के साथ वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने पर तत्काल राज्य सरकारों को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- (iv) नई परियोजनाओं की संस्वीकृति और जारी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान जारी रखने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रस्तावित एजेंसियों, जिसकी जांच इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई है, के आधारभूत कार्यकरण और उपयुक्तता की जांच करनी चाहिए। ऐसे सभी प्रस्तावों पर राज्य सहायता अनुदान समिति द्वारा विचार किया जाएगा और राज्य सरकार की सिफारिशों को वरीयता विनिर्दिष्ट करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को एक साथ भेज दिया जाएगा। चालू परियोजनाओं के बकाया अनुदान हेतु सिफारिशों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वर्तमान वित्त वर्ष में सहायता अनुदान जारी करने के लिए विशिष्ट सिफारिश होगी।
- (v) नये मामलों को अग्रेषित करते समय राज्य/संघ राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा से वंचित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को वरीयता दी जाए। नये मामलों की जांच करने वाली मंत्रालय की जांच समिति अन्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ इसे भी ध्यान में रखेगी।

- (vi) कार्यान्वयन एजेंसी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता प्राप्त होने से पहले निर्धारित प्रपत्र में बॉण्ड भरना होगा। मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बॉण्ड को स्वीकृत किए जाने के पश्चात् ही निधियों का स्थानान्तरण किया जाएगा। तथापि, जारी परियोजनाओं के मामले में निधियां जारी करने के लिए आवेदन के साथ उपर्युक्त के अनुसार निष्पादित बॉण्ड संलग्न होना चाहिए।
- (vii) **निरीक्षण:**— इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के निरीक्षण का प्रमुख दायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है। सहायता अनुदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही जारी किया जाएगा। मंत्रालय समय-समय पर निरीक्षण की प्रकृति, प्रकार और आवधिकता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा। आवश्यकतानुसार मंत्रालय अपनी स्वयं की एजेंसियों/अपने अधिकारियों द्वारा भी क्षेत्र निरीक्षण कर सकता है।
- (viii) **अनुदानों की समाप्ति:**— यदि मंत्रालय परियोजना की प्रगति से सहमत नहीं है अथवा वह यह पाए कि कार्यान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा इन नियमों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है, तो मंत्रालय के पास सहायता अनुदान समाप्त करने और दण्ड ब्याज सहित पहले से संस्वीकृत सहायता अनुदान की राशि की वसूली करने का अधिकार है।
- (ix) **स्थान परिवर्तन:**— परियोजनाओं के स्थान में परिवर्तन केवल मंत्रालय पूर्वानुमोदन से अथवा इस मंत्रालय को सूचित करते हुए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।
- (x) **ऑन-लाइन प्रोसेसिंग:**— मंत्रालय ने एनजीओ के आवेदन ऑन-लाइन प्रस्तुत करने और इन पर कार्रवाई करने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आवेदनों की अपलोडिंग इस समय एनआईसी के जिला सूचना केन्द्र द्वारा की जाएगी। जिला सूचना केन्द्र को एनआईसी हेडक्वार्टर द्वारा नये प्रोसेसिंग मोड के संबंध में उपयुक्त रूप से सलाह दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रोसेस फ्लो के लिए आवेदनों को जिला स्तर और राज्य स्तर पर ऑन-लाइन प्रोसेस किया जाएगा, जहां सत्यापन और अनुमोदन जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रत्येक योजना के लिए नामित अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाएगा। एनजीओ द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी कागजी दस्तावेज (मूल) भौतिक रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा रखे जाएंगे। विभिन्न योजनाओं के तहत सभी आवेदक एनजीओ को प्रथम दृष्टया ऑन-लाइन पंजीकृत करना होगा। जिला और राज्य स्तर पर एनआईसी यूनिट संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ एनजीओ को यथासंभव सहायता उपलब्ध कराए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं के लिए एनजीओ प्रस्ताव ऑन-लाइन आवेदन और प्रोसेसिंग ट्रेकिंग प्रणाली हेतु उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका मंत्रालय के वेब पोर्टल ngograntsje.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर यथा उपलब्ध आवेदन प्रपत्र संदर्भ हेतु अनुबंध (अनुबंध-II) पर दिया गया है। सहायता अनुदान हेतु आवेदन करने से पहले एनजीओ को नीति आयोग के एनजीओ-पीएस पोर्टल पर ही पंजीकरण करना चाहिए और आवेदन पत्र के संगत कॉलम में पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

8.2 सहायता के लिए शर्तें

- (i) अनुदान ग्राही संगठन/संस्था/स्थापना को केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी/व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए।
- (ii) यदि संगठन ने उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, किसी अन्य सरकारी स्रोत से पहले ही अनुदान प्राप्त किया है अथवा प्राप्त करने की आशा है, तो सामान्यतः केंद्रीय अनुदान हेतु आंकलन ऐसे अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान को ध्यान में रखने के पश्चात् ही किया जाएगा।

- (iii) अनुदान ग्राही संगठन को इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के लिए अलग-अलग लेखे रखने होंगे। ये भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सदैव खुले होंगे। यह आंतरिक लेखापरीक्षा अथवा समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली में प्रकट किए जाएंगे। ये लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए भी खुले रहेंगे।
- (iv) अनुदान ग्राही संगठन को सरकारी अनुदान से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्राप्त सभी सम्पत्तियों की रिपोर्ट स्टॉक रजिस्टर में रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर इसे लेखापरीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में, सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 (भारत सरकार) के प्रावधान लागू होंगे।

8.3 इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृह/अन्य परियोजनाओं जिनके लिए सहायता अनुदान मांगा गया है, का पंजीकरण, प्रबंधन और निगरानी

- (i) परियोजनाओं का पंजीकरण (योजना के पैरा 4 में उल्लिखित) – सभी संस्थाएं चाहे वे किसी सरकारी/गैर-सरकारी/स्वैच्छिक/निजी संगठन अथवा सोसायटी/न्यास द्वारा संचालित हैं तथा वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल और कल्याण हेतु रिहायशी/अन्य सुविधाएं प्रदान करती हैं, माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007, समय-समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नामित पंजीकरण प्राधिकारी के साथ एक सेवा प्रदाता के रूप में ऑनलाइन पंजीकृत होने चाहिए।
- (ii) यदि ऐसी पंजीकृत संस्था एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007 की धारा 19, समय-समय पर यथा संशोधित, के अंतर्गत यथा परिभाषित आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहती हैं, तो राज्य सरकार समुचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात ऐसी संस्थाओं के पंजीकरण को रद्द अथवा स्थगित, जैसा मामला हो, कर सकती है।
- (iii) केंद्रीय सरकार एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007, समय-समय पर यथा संशोधित के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक निर्धारित करेगी।

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित मानकों का अनुपालन किया जाएगा:-

- (क) **पोषण** – पर्याप्त मात्रा, अच्छी गुणवत्ता, औसत 1700 कौलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ (स्थानीय दशाओं के अनुसार) लाभार्थियों को प्रत्येक दिन प्रदान किया जाना होगा। परियोजनाओं के लिए दलहनों का प्रापण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा यथा संभव अधिकृत सरकारी एजेंसियों/भंडार गृहों से किया जाएगा। दैनिक सांकेतिक मेन्यू निम्नानुसार हो सकता है (स्थान, जलवायु और सहवासियों की परंपरागत भोजन आदतों का ध्यान रखते हुए उपयुक्त परिवर्तनों के अध्यक्षीन):-

सुबह की चाय	काफी/चाय और बिस्किट/रस्क/फैन पफ
नाश्ता	दलिया/कार्नाफ्लेक्स (दूध के साथ)/इडली/वड़ा/उपमा/ओट/पोहा/चिवड़ा/पराठा/टोस्ट/पाव/ढोकला (दैनिक) और उबला अंडा अथवा मौसमी फल (एक सप्ताह में दो बार)
दोपहर का भोजन	चपाती, चावल, दाल/सांभर, एक हरी सब्जी, दही, सलाद (दैनिक) और विशेष भोजन (शाकाहारी/मांसाहारी) और मिठाई (हलवा/ खीर इत्यादि) (सप्ताह में एक बार)
सांय की चाय	काफी/चाय और बिस्किट/रस्क/फैन पफ
रात्रि का भोजन	चपाती/चावल/डोसा/उत्पम, दाल/सांभर, एक मौसमी सब्जी/खिचड़ी

(उक्त मेन्यू केवल सांकेतिक स्वरूप का है। कार्यान्वयन एजेंसियां एक दिन में 1700 कैलोरी तक सहवासी की पसंद/स्वाद के अनुसार मेन्यू में उपयुक्त रूप से परिवर्तन कर सकती हैं।)

(ख) **चिकित्सा सुविधाएं/मेडिकेयर** – परियोजना में फर्स्ट एड किट (डॉक्टर की सलाह के अनुसार) ग्लूकोमीटर, बीपी निगरानी मशीन, वजन मशीन तथा दवाएं जैसा कि एक डॉक्टर द्वारा लिखा जाए। जहां तक संभव हो, डॉक्टर का आवास परियोजना के निकट होना चाहिए।

जिला प्रशासन के समन्वय से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाना चाहिए।

(ग) **शारीरिक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण** – राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत इस योजना की परियोजनाओं के लिए लाभार्थियों को व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, दांत, चश्में, क्रेचेस, वाकर्स इत्यादि जैसे उपकरण लाभार्थियों को प्रदान किए जाने हैं। लाभार्थियों को उपकरण आरवीवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार वितरित किए जाएंगे।

इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां जिला प्रशासन के माध्यम से भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) (आरवीवाई की कार्यान्वयन एजेंसी) को सहायक यंत्रों की आवश्यकता (आरवीवाई में निर्धारित प्रपत्र में) भेज सकती हैं। जिला प्रशासन आवश्यकता की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सरकारी चिकित्सकों द्वारा आंकलन के पश्चात एलिम्को (इस मंत्रालय को सूचना देते हुए) को यंत्रों की आवश्यकता हेतु आवेदन अग्रेषित करेगा। एलिम्को द्वारा ये उपकरण 60 दिन के भीतर सेंटरों में सहवासियों को प्रदान किए जाएंगे।

इस योजना में जहां कहीं राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कार्यान्वयन एजेंसी है, परियोजना के सहवासियों के लिए उपकरणों की आवश्यकता सीधे संबंधित जिला प्रशासन द्वारा एलिम्को के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) **मनोरंजन** – प्रत्येक सेंटर पर कार्यान्वयन एजेंसी को पुस्तकें, 3-4 पत्रिकाएं, 2-3 समाचार पत्र (क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा में), निकटतम धार्मिक/सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण (एक माह में दो बार), कैरम, शतरंज, ताश जैसे खेल, एक केबल कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन सहित एक कम्प्यूटर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। सभी परियोजनाओं में सहवासियों के लिए वाचन हेतु एक पृथक कक्ष होना चाहिए।

(ङ) कार्यान्वयन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि योजना में यथा निर्धारित न्यूनतम स्टाफ की सेवाएं प्रत्येक परियोजना में उपलब्ध हों।

(च) **सुरक्षा** – कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जानी है।

(छ) **कपड़े** – स्थानीय जलवायु, मौसम और परंपरागत मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी सहवासियों को चार जोड़ी कपड़े (सलवार कुर्ता/साड़ी-ब्लाउज-पेटीकोट/शर्ट-पैंट/कुर्ता-पायजामा/धोती-कुर्ता/लुंगी-कुर्ता और ऊनी कपड़े) प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने चाहिए। प्रत्येक सहवासी को एक तकिया और एक कंबल प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

(ज) **कक्ष** – लाभार्थियों के लिए उनके सुगम आवागमन हेतु बिस्तरों के बीच पर्याप्त स्थान के साथ समुचित रूप से रोशनदानयुक्त कक्ष। लाभार्थियों के सामान के भंडारण हेतु गृह में स्थान उपलब्ध होना चाहिए। फर्श फिसलनरोधी होने चाहिए।

(झ) **स्नान गृह और शौचालय** – प्रत्येक परियोजना में महिला और पुरुषों के लिए पृथक-पृथक शौचालय होने चाहिए। वेस्टर्न स्टाइल फिक्सड/रिमूवेबल कोमोड्स वाला कम से कम एक शौचालय होना चाहिए। प्रत्येक गृह में

स्नान गृहों और शौचालयों में सहवासियों के लिए सुगम पहुंच हेतु जहां कहीं अपेक्षित हो रैम्प सुविधाएं और रेलिंग होनी चाहिए। स्नान गृहों और शौचालयों में फिसलनरोधी टायलें और हाथ सहारे के लिए रेलिंग होनी चाहिए।

- (ज) **स्वास्थ्य और सफाई** – सभी कमरों, बरामदों, आंगन और रसोई की एक दिन में कम से कम दो बार सफाई होनी अनिवार्य है। स्नान गृहों और शौचालयों की एक दिन में कम से कम तीन बार सफाई होनी चाहिए।
- (ट) विविध भुगतानों में बिजली, पानी, इंटरनेट, लेखन सामग्री, डाक टिकट, फर्नीचर, जेनरेटर/इनवर्टर का रख-रखाव, रसोई के लिए ईंधन की लागत, बेडशीट बदलने के लिए भुगतान शामिल हैं।
- (ठ) **अनावर्ती अनुदानों में निम्नलिखित वस्तुएं शामिल होंगी:-**

क्र.सं.	परियोजना का प्रकार	अनुमत वस्तु
1	वरिष्ठ नागरिक गृह	फर्नीचर, कुर्सियां, बेड और चटाई (बेडशीट तथा तकिए के साथ-साथ), लाभार्थियों की वस्तुओं के लिए अल्मारी, बर्तन, गैस स्टोव, पंखा, डेजर्ट कूलर, वाटर प्यूरीफायर, ग्राइंडर/जूसर, हॉटकेस/माइक्रोवेव ओवेन, वाटर टैंक, इलेक्ट्रिक मोटर एवं पम्प, वाशिंग मशीन, टेलिविजन, कम्प्यूटर, फ्रिज, इनवर्टर, वाटर कूलर, गीज़र और अन्य आवश्यक वस्तुएं।
2	राहत देखभाल गृह/ सतत देखभाल गृह/ डिमेंशिया/एल्जाइमर रोगियों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह	फर्नीचर, कुर्सियां, बेड और चटाई (बेडशीट तथा तकिए के साथ-साथ), लाभार्थियों की वस्तुओं के लिए अल्मारी, बर्तन, गैस स्टोव, पंखा, डेजर्ट कूलर, वाटर प्यूरीफायर, ग्राइंडर/जूसर, हॉटकेस/माइक्रोवेव ओवेन, वाटर टैंक, इलेक्ट्रिक मोटर एवं पम्प, वाशिंग मशीन, टेलिविजन, कम्प्यूटर, फ्रिज, इनवर्टर, वाटर कूलर, गीज़र और अन्य आवश्यक वस्तुएं।
3	क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र	कुर्सियां, मेजें, पुस्तक रैक, अल्मारी, कम्प्यूटर टेबल, कम्प्यूटर, प्रिंटर, अम्पलीफायर, माइक, एलसीडी प्रोजेक्टर, स्क्रीन डिजिटल कैमरा, लैब/आवश्यक उपकरणों सहित प्रदर्शन कक्ष, फोटो कॉपियर, संदर्भ पुस्तकों सहित पुस्तकालय, प्रशिक्षण हाल, फर्नीचर।

- (iv) वरिष्ठ नागरिक गृहों की एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में परिभाषित किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा रेटिंग की जाएगी।

8.4 गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज

- (i) संबंधित कार्यक्रमों/सेवाओं में संगठन की विशेषज्ञता/अनुभव के बारे में प्रमाण।
- (ii) एसोसिएशन का गठन, संगम ज्ञापन और लक्ष्य एवं उद्देश्यों का ब्यौरा।
- (iii) प्रबंधन मंडल का गठन, मौजूदा सदस्य, मौजूदा प्रबंधन मंडल के गठन की तारीख।
- (iv) अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट।
- (v) एक ही परियोजना के लिए केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभाग/किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले अनुदान से संबंधित सूचना।
- (vi) पिछले दो वर्षों के लिए संगठन/संस्था की बैलेन्स शीट और समेकित पूरी प्राप्तियां और भुगतान का विवरण और पिछले वर्ष की बैलेन्स शीट की एक प्रति। यह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा सरकार प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए; और

- (vii) सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मांगी सहायता अनुदान राशि के लिए संस्था/संगठन के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विधिवत निष्पादित बॉण्ड ।
- (viii) संगठन को अपने लाभार्थियों और स्टाफ के सदस्यों की सूची उनके आधार संख्या (जहां संभव हो) सहित प्रस्तुत करनी होगी ।
- (ix) अल्जाइमर और डिमेंशिया रोग से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए गृहों को सहायता के मामले में संगठन को सरकारी अस्पताल से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि लाभार्थी अल्जाइमर अथवा डिमेंशिया रोग, जैसा भी मामला हो, से पीड़ित हैं ।

8.5 गैर-सरकारी संगठनों के मामलों में अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें :-

- (क) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करना संगठन के मुखिया का दायित्व है ।
- (ख) अनुदानग्राही संस्था को मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के संबंध में अलग लेखे रखने होंगे ।

8.6 विविध

- (i) कार्यान्वयन एजेंसियों को सहवासियों के लिए सुविधाओं का पैकेज, जिसका प्रस्ताव में सुस्पष्ट उल्लेख किया गया हो, उपलब्ध कराना होगा और जो केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना सहवासियों के अहित में बदला नहीं जाएगा ।
- (ii) सभी कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व यथा लागू सांविधिक अनुमोदनों और निकासियों का अनुसरण करेंगी ।
- (iii) अनुदानग्राही संगठन अर्थात् राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/पंचायती राज संस्थाएं/स्थानीय निकाय/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के संबंध में संगठन के अध्यक्ष/सचिव के नाम से पृथक संयुक्त/चालू खाता रखेंगे ।
- (iv) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु अनावर्ती अनुदान (जहां कहीं लागू हो) फिजियोथेरेपी क्लीनिकों को छोड़कर प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अनुमत होंगे बशर्ते कि संगठन द्वारा इसके लिए अनुरोध किया गया हो । चालू परियोजनाओं के लिए एकबारगी अनावर्ती सहायता अनुदान को वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से पूरा किया जाए । यह धनराशि एससीडब्ल्यूएफ से आईपीएसआरसी में पुनर्विनियोजित की जाएगी ।

अनुबंध-I

लागत मानदण्ड, जिसके अनुसार विभिन्न परियोजनाओं को जारी रखने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता मुहैया करवाई जाएगी **परिशिष्ट-I** से **परिशिष्ट-V** में दिए गए हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति (एनपीएसआरसी) के प्रावधानों के कार्यान्वयन सहित, कोई अन्य कार्यक्रमलाप, जो योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिक उपयुक्त है, **परिशिष्ट-VI** में शामिल किए गए हैं। वे परियोजनाएं, जो समाप्त कर दी गईं अथवा कुछ अन्य किस्म की परियोजनाओं में मिला दी गईं हैं या राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी, **परिशिष्ट-VII** में दी गईं हैं।

परिशिष्ट-I

1. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) (25 वरिष्ठ नागरिकों हेतु) के तहत आने वाले गृहों सहित वरिष्ठ नागरिक गृहों/50 वृद्ध महिलाओं हेतु वरिष्ठ नागरिक गृहों का अनुरक्षण

(योजना का पैरा 4(i) देखें)

(राशि रूपए में)

क्रम सं.	मद		लागत मानदण्ड (वार्षिक)
I.	आवर्ती व्यय (क से ड):—	* X श्रेणी	2160375
		* Y श्रेणी	2124375
		* Z श्रेणी	2100375
(क)	स्टाफ मानदेय (निम्न (i) से (vi) तक का कुल)		768000
	i. अधीक्षक (पूर्णकालिक)		150000
	ii. सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता (अंशकालिक)		96000
	iii. योगा चिकित्सक (अंशकालिक)		60000
	iv. नर्स (अंशकालिक)		78000
	v. रसोइया (पूर्णकालिक)**		96000
	vi. मल्टी टास्किंग स्टाफ(एमटीएस) पूर्णकालिक**		288000
(ख)	भवन किराया (या यदि अपना भवन हो तो किराए की 10 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण)	* X श्रेणी	240000
		* Y श्रेणी	204000
		* Z श्रेणी	180000
(ग)	स्वास्थ्य देखभाल (निम्न (i) से (vi) तक का कुल)		1032375
	(i) भोजन (योजना के पैरा 8.3(iii) (क) में उल्लिखित मदों हेतु)		684375
	(ii) डॉक्टर (पूर्णकालिक)		198000
	(iii) दवाइयां (योजना के पैरा 8.3(iii) (ख) में उल्लिखित मदों हेतु)		50000
	(iv) कपड़े/तेल, साबुन (योजना के पैरा 8.3(iii) (घ) में उल्लिखित मदों हेतु)		100000
(घ)	मनोरंजन		60000
(ड)	विविध और आकस्मिक व्यय (योजना के पैरा 8.3(iii) (ट) में उल्लिखित मदों हेतु)		60000
II.	अनावर्ती मदें (योजना के पैरा 8.3(iii) (ठ) में उल्लिखित मदों हेतु)		200000 #
	कुल (I + II)	* X श्रेणी	2360375
* Y श्रेणी		2324375	
* Z श्रेणी		2300375	

* X, Y, और Z केन्द्र सरकार में मकान किराया भत्ता आहरित करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत शहरों की तीन श्रेणियां हैं।

** 50 लाभार्थियों के वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए एक अतिरिक्त एमटीएस तथा रसोइया प्रदत्त कराया जाएगा।

50 लाभार्थियों के वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए अनावर्ती अनुदान के रूप में 3,00,000/- रूपए। परियोजना के आरंभिक अनुमोदन और प्रत्येक 05 वर्ष के बाद, कार्यान्वयन एजेंसी से अनुरोध किए जाने की शर्त पर, स्वीकार्य है।

नोट:

- किसी सहवासी का देहांत होने की स्थिति में, 10,000/- रूपए प्रति व्यक्ति की दर से क्रिया कर्म व्यय अथवा किया गया वास्तविक व्यय, जो कम हो, उसकी प्रतिपूर्ति संगठन को की जाएगी।
- 50 सहवासी की एक परियोजना के लिए निर्धारित किराया दरों का 50 प्रतिशत अधिक भवन किराया भत्ता अदा किया जाएगा अर्थात् शहरों के X, Y अथवा Z श्रेणियों के लिए प्रति वर्ष 3,60,000/- रु0, 3,06,000/- रु0 या 2,70,000/- रु0।
- जहाँ तक संभव हो, लाभार्थियों का राष्ट्रीय बीमा योजना (आरएसबीवाई) में नामांकन किया जाए।
- यदि वरिष्ठ नागरिक गृह और वृद्ध महिलाओं हेतु वरिष्ठ नागरिक गृह बड़े आकार के हैं (50 अथवा 75 अथवा 150 लाभार्थियों के लिए) तो ऐसे वरिष्ठ नागरिक गृहों को अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन तथा विविध एवं आकस्मिक व्यय मदों के आनुपातिक आधार पर संस्वीकृत किया जाएगा।

परिशिष्ट-II

2. अल्जाइमर/डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए सतत देखभाल गृहों/वरिष्ठ नागरिक गृहों का अनुरक्षण : (योजना का पैरा 4 (ii) देखें)(20 वरिष्ठ नागरिकों हेतु)

(राशि रूप में)

क्रम सं.	मदें		लागत मानदंड (वार्षिक)
I,	आवर्ती व्यय (क से ड):—	* X श्रेणी	2400500
		* Y श्रेणी	2364500
		* Z श्रेणी	2340500
(क)	स्टाफ मानदेय (निम्न (i) से (vi) तक का कुल)		1398000
	i. चिकित्सक (पूर्णकालिक)		396000
	ii. अधीक्षक (पूर्णकालिक)		150000
	iii. योगा चिकित्सक(अंशकालिक)		60000
	iv. सामाजिक कार्यकर्ता (अंशकालिक)		96000
	v. नर्स (2) (अंशकालिक)		312000
	vi. रसोइया (अंशकालिक)		96000
	vii. मल्टी टास्किंग स्टाफ(एमटीएस) (3) पूर्णकालिक		288000
(ख)	भवन किराया (या यदि अपना भवन हो तो किराए की 10 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण)	* X श्रेणी	240000
		* Y श्रेणी	204000
		* Z श्रेणी	180000
(ग)	स्वास्थ्य देखभाल (दवाइयां, पोषण तथा साफ-सफाई) (निम्न (i) से (iii) तक का कुल)		722500
	(i) पोषण (योजना के पैरा 8.3(iii) (क) में उल्लिखित मदों हेतु)		547500
	(ii) दवाइयां/परीक्षण (योजना के पैरा 8.3(iii) (ख) में उल्लिखित मदों हेतु)		75000
	(iii) वस्त्र, विशेष साबुन, डाइपर्स, डिस्पोजेबल (योजना के पैरा 8.3(iii) (घ) में उल्लिखित मदों हेतु)		100000
(घ)	रोग विज्ञान परीक्षण सामग्री		40000
(ड)	विविध और आकस्मिक व्यय (टीवी, कैमरा बोर्ड, समाचार पत्रों के अलावा योजना के पैरा 8.3(iii) (ट) में उल्लिखित मदों हेतु)		60000
II.	अनावर्ती मदें (योजना के पैरा 8.3(iii) (ठ) में उल्लिखित मदों हेतु)		200000
कुल (I + II)		* X श्रेणी	2600500
		* Y श्रेणी	2564500
		* Z श्रेणी	2540500

* X, Y, और Z शहरों की तीन श्रेणियां केन्द्रीय सरकार में मकान किराया भत्ता आहरित करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत हैं।

नोट:

- किसी सहवासी का देहांत होने की स्थिति में, 10,000/- रूपए प्रति व्यक्ति की दर से क्रिया कर्म व्यय अथवा किया गया वास्तविक व्यय, जो कम हो, उसकी प्रतिपूर्ति संगठन को की जाएगी।
- सभी लाभार्थियों का राष्ट्रीय बीमा योजना(आरएसबीवाई) में नामांकन अपेक्षित है।

परिशिष्ट –III

3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल चिकित्सा एकक (योजना कै पैरा 4 (iii) को देखें)

क्रम सं०	मर्दे	लागत मानदण्ड (वार्षिक)
I.	स्टाफ मानदेय (क) से (ड.)	750000
(क)	चिकित्सक को मानदेय	318000
(ख)	नर्स	120000
(ग)	ड्राइवर	108000
(घ)	संगठनकर्ता	108000
(ड.)	मल्टी टार्सिकग स्टाफ	96000
II.	दवाएं और पैथोलॉजिकल जांच	288000
III.	ईधन और वैन का अनुरक्षण	52800
IV.	आकस्मिक प्रभार	30000
	कुल	1120800

परिशिष्ट –IV

4. वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक (योजना के पैरा 4 (iv) से संदर्भित)

क्रम सं०	मर्दे		लागत मानदण्ड (वार्षिक)
I.	आवर्ती व्यय (क से च):—	* X श्रेणी	648000
		* Y श्रेणी	636000
		* Z श्रेणी	618000
(क)	फिजियोथैरेपिस्ट को मानदेय (पूर्णकालिक)		168000
(ख)	फिजियोथैरेपिस्ट तकनीशियन को मानदेय(पूर्णकालिक)		120000
(ग)	मल्टी टार्सिकग स्टाफ को मानदेय (पूर्णकालिक)		96000
(घ)	उपकरणों का अनुरक्षण		48000
(ड.)	आकस्मिक व्यय (दवाइयां, बिजली, पानी आदि)		132000
(च)	भवन किराया (या यदि अपना भवन हो तो किराए की 10 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण)	* X श्रेणी	84000
		* Y श्रेणी	72000
		* Z श्रेणी	54000
II.	अनावर्ती मर्दे — बोन डेनसीटोमीटर, लेजर थैरेपी उपकरण, शार्ट वेव मेडिकल डायथरमी, इंटरफैरिंशल थैरेपी और अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे मशीन, हाइड्रोकुलेटर, नर्व व मसल्स स्टीमुलेटर, कम्प्यूटर सर्वाइकल और लम्बर ट्रेक्सन बेड, शोल्डर वील और पुली, बहु-वर्जिश व्यायामशाला, ट्रेडमिल, एक्सरसाइज स्टेयर केस, इंफरा रेड लेम्प फ्लोर मॉडल, पैराफीन वैक्स बाथ आदि जैसे आवश्यक फिजियो थैरेपी उपकरण		1030000
	कुल (I + II)	* X श्रेणी	1678000
		* Y श्रेणी	1666000
		* Z श्रेणी	1648000

* X, Y, और Z शहरों की तीन श्रेणियां केन्द्रीय सरकार में मकान किराया भत्ता आहरित करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत हैं।

परिशिष्ट –V

5. क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (योजना का पैरा 4 (v) देखें)

(राशि रूपए में)

क्रम सं०	मर्दे		लागत मानदण्ड (वार्षिक)
घ	आवर्ती व्यय (1 से 7):-	* X श्रेणी	1200800
		* Y श्रेणी	1164800
		* Z श्रेणी	1134800
1	मानव संसाधन (निम्न (क) से (ग) तक का कुल)		576000
क	समन्वयकर्ता		240000
ख	सहायक स्टाफ(2)		216000
ग	लेखाकार-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर		120000
2	(क) बाइंडिंग प्रिंटिंग, स्टेशनरी और डाक टिकट (रीडर फ्रेंडली सामग्री, पाठ्यक्रम सामग्री, एडवोकेसी सामग्री)		75000
	(ख) टेलीफोन/इंटरनेट प्रभार 1500/- रूपए प्रति माह की दर से		18000
3	(i) भवन का किराया (या स्वयं के भवन के मामले में किराए का 10 प्रतिशत की दर से रख-रखाव)	* X श्रेणी	228000
		* Y श्रेणी	192000
		* Z श्रेणी	162000
4	वाहन किराया		144000
5	वार्षिक क्षेत्र स्तरीय कार्यशाला		46000
6	आकस्मिक व्यय		88800
7	पुस्तकालय		25000
II.	अनावर्ती मर्दे (योजना के पैरा 8.3 (iii) (ठ) में उल्लिखित मर्दे हेतु)		225000
		* X श्रेणी	1425800
		* Y श्रेणी	1389800
		* Z श्रेणी	1359800
	कुल (I + II)		

* X, Y, और Z शहरों की तीन श्रेणियां केन्द्रीय सरकार में मकान किराया भत्ता आहरित करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत हैं।

परिशिष्ट-VI

6. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन सहित योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विचारित उपयुक्त अन्य कार्य-कलाप (योजना के पैरा 4(vi) को देखें)

मामले दर मामले पर प्रत्येक अवसर पर मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जा रही पात्रता और सहायता की मात्रा के अनुसार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र एजेंसियों/संस्थानों/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

7. वे परियोजनाएं, जो समाप्त कर दी गईं अथवा कुछ अन्य किस्म की परियोजनाओं में मिला दी गईं या राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

(i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहु सेवा केन्द्र

योजना से समाप्त होने वाली परियोजनाएं। ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2018–19 से सहायता नहीं दी जाएगी। फिर भी, गैर सरकारी संगठनों/संगठनों को एमएससी/डीसीसी की परियोजनाओं को संगठन की क्षमता, परियोजना के स्थान आदि के संबंध में राज्य सरकार की विशिष्ट सिफारिशों के अध्यक्षीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से उन्हें 25 सहवासियों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह के रूप परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।

(ii) अल्जाइमर/डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों का संचालन

वर्ष 2018–19 से मौजूद अल्जाइमर/डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों को बंद कर दिया जाएगा। फिर भी, 2018–19 से परियोजना को अल्जाइमर/डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए सतत देखभाल गृहों/वरिष्ठ नागरिक गृहों में मिला दिया जाएगा।

(iii) वृद्ध विधवाओं के लिए बहु-सुविधा देखभाल केन्द्र

परियोजना को वरिष्ठ नागरिक गृहों में मिला दिया गया है।

(iv) मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तथा जिला स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैल्पलाइन सहित वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैल्पलाइन तथा सलाह केन्द्र

2018–19 से योजना से परियोजना समाप्त कर दी जानी है।

(v) विद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थियों के संवेदीकरण हेतु कार्यक्रम

परियोजना को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में हस्तांतरित किया जाना है, इस योजना के तहत अनुदान सहायता प्राप्त कर रही मौजूदा परियोजनाओं को एनआईएसडी द्वारा सहायता की जाएगी।

(vi) एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007 और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति से संबंधित कार्यक्रमों सहित जागरूकता सृजन कार्यक्रम

परियोजना को राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान में हस्तांतरित किया जाना है, इस योजना के तहत अनुदान सहायता प्राप्त कर रही मौजूदा परियोजनाओं को एनआईएसडी द्वारा सहायता की जाएगी।

(vii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वयंसेवक ब्यूरो

2018–19 से परियोजना समाप्त की दी जानी है।

(viii) वृद्ध संघ/वरिष्ठ नागरिक संघ/स्व सहायता समूहों का गठन— परियोजना को योजना से समाप्त कर दिया जाना है। फिर भी, “लक्षित समूह को प्रशिक्षण के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों का कौशल प्रशिक्षण तथा पुनः कौशल प्रशिक्षण” किस्म की एक नई परियोजना आरंभ की जानी है और राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा वित्त पोषित की जाएगी।

अनुबंध-II

समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।

समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान के लिए
आवेदन व मॉनीटरिंग प्रपत्र

(पहली किस्त और नए मामलों के लिए)

भाग – क

1. वित्त वर्ष जिसके लिए सहायता अनुदान हेतु आवेदन किया गया:	_____
2. संगठन का नाम:	_____
3. (क) परियोजना का स्वरूप:	_____
(ख) परियोजना को प्रारंभ करने की तारीख:	____ / ____ / ____
(ग) परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान के प्रारंभ होने का वर्ष:	_____
(घ) क्या परियोजना को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है:	हां/नहीं
4. संगठन का पंजीकरण करने की तारीख:	____ / ____ / ____
5. पंजीकृत कार्यालय का पता:	_____ (एसटीडी कोड) टेली. नं.: (एसटीडी कोड) फैक्स नं.: ईमेल:
6. (क) स्थल का पूर्ण पता जहां कार्यक्रम/परियोजना/योजना को कार्यान्वित किया जाना है:	_____ (एसटीडी कोड) टेली. नं.: (एसटीडी कोड) फैक्स नं.: ईमेल:
(ख) निकटतम रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड:	_____
7. क्या भवन:	स्वयं का / किराए पर / पट्टे पर / दान में मिला हुआ है। (कृपया उपयुक्त बाक्स के सामने ✓ को अंकित करें)
8. (क) क्या भवन का उपयोग केवल इसी कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है?:	_____
(ख) यदि नहीं तो किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा दें:	_____
9. (क) भवन का क्षेत्रफल:	_____ (वर्ग मीटर में)
(ख) कमरों की संख्या:	_____
10. क्या पूर्व में संस्वीकृत किए गए अनुदान के लिए अलग से कोई परियोजनावार लेखा रखा गया है?	हां/नहीं
11. (क) क्या बैंक खातों को संयुक्त रूप से प्रचालित करने के सिद्धांत का अनुकरण किया जा रहा है?:	हां/नहीं

* कृपया बताएं : परियोजना का प्रकार।

12. विगत वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए सहायता अनुदान के संबंध में बैंक खातों का ब्यौरा:

क्र. सं.	वित्त वर्ष के लिए सहायता अनुदान	संस्वीकृत पत्र संख्या	तारीख	आवर्ती राशि	अनावर्ती राशि	बैंक खाता सं.	बैंक का नाम और पता	संयुक्त खाते को प्रचालित करने वाले व्यक्तियों के नाम
1.								
2.								

(अलेखापरीक्षित) 13. क्या आवेदन पत्र के साथ लेखों का विवरण प्रस्तुत किया गया है: (कृपया उपयुक्त बॉक्स के सामने ✓ अंकित करें)

14. मंत्रालय से अनावर्ती सहायता अनुदान के लिए मांगी गई सहायता राशि

लागत शीर्ष समूह	लाख रुपए में
(क) आवर्ती	
(ख) अनावर्ती	
(ग) कुल	

15. क्या प्रपत्र-I के अनुसार लाभार्थियों की सूची जोड़ी गई:	हां/नहीं
16. क्या प्रपत्र-II के अनुसार प्रबंधन समिति की सूची जोड़ी गई:	हां/नहीं
17. क्या प्रपत्र-III के अनुसार कर्मचारियों की सूची जोड़ी गई:	हां/नहीं
18. क्या संगठन एनजीओ-पीएस पोर्टल में नीति आयोग के पास पंजीकृत है? यदि हां, पंजीकरण संख्या इंगित करें।	हां/नहीं

(उपयुक्त बॉक्स में ✓ का निशान लगाएं)

भाग-ख

लाभार्थियों तथा प्रोग्राम से संबंधित ब्यौरा

- केन्द्र का स्वरूप एवं अवस्थिति (प्रत्येक केन्द्र के लिए पृथक प्रपत्र भरा जाना है):
- सेवा प्रदत्त वरिष्ठ नागरिकों की संख्या

60-70 वर्ष के बीच	70-80 वर्ष के बीच	80 वर्ष से अधिक

3. केन्द्र में रहने वाले लाभार्थियों की श्रेणी/पृष्ठभूमि:

	संख्या	प्रतिशत
i. निम्न आय/स्वयं की सहायता नहीं कर सकते हैं		
ii. उच्च आय, किंतु देखभाल करने वाला कोई नहीं		
iii. विधवा/विधुर		
iv. देखभाल करने के लिए संतान नहीं		
v. संतान हैं, किंतु देखभाल नहीं करते हैं।		

	संख्या	प्रतिशत
vi. गंभीर रूप से बीमार हैं और इस कारण, परिवार द्वारा उनका परित्याग कर दिया गया है		
vii. परिवार में झगड़ा होने की वजह से केन्द्र में रह रहे हैं।		
viii. समाज सेवा करने के उद्देश्य से केन्द्र में रहना शुरू किया।		
ix. केन्द्र ज्वाइन करने का कोई अन्य कारण		

4. केन्द्र में निम्नलिखित सुविधाओं की उपलब्धता:

बिजली	पेयजल	शौचालय की सुविधा

5. वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय जांच और इलाज का ब्यौरा:

i) दवाइयों पर वार्षिक व्यय

चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष

ii) क्या पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है।

पूर्णकालिक	अंशकालिक

iii) यदि डॉक्टर की उपलब्धता अंशकालिक रूप से है, प्रतिमाह दौरा (विजिट) की संख्या _____

iv) प्रति दौरा अंशकालिक डॉक्टर को प्रदत्त शुल्क _____

v) क्या कोई नर्सिंग सेवा उपलब्ध है हां/नहीं

vi) पूरे वर्ष के दौरान सेवा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (एमएमयू के मामले में) _____

vii) प्रति माह मोबाइल वैन द्वारा किए गए दौरों की औसत संख्या (एमएमयू के मामले में) _____

viii) पूरे वर्ष के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के इलाज हेतु उनके साथ संपर्क करने की संख्या (गैर-संस्थागत सेवाओं के मामले में) _____

6. पोषण सहायता :

प्रतिदिन भोजन की संख्या	सुबह का नाश्ता/शाम की चाय	औसत दैनिक खर्च

7. मनोरंजन के लिए व्यवस्था

समाचार पत्र	
पुस्तकें	
पत्रिकाएं	

भ्रमण	
पिकनिक	
फिल्म शो	
धार्मिक सभा	

8. केन्द्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या सेवाएं हैं:

	संख्या	प्रतिशत
i. पोषण सहायता के लिए		
ii. मनोरंजन के लिए		
iii. स्वास्थ्य कारण के लिए		
iv. व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए		
v. केन्द्र के माध्यम से समाज सेवा प्रदान करने के लिए		
vi. अन्य कोई कारक (कृपया स्पष्ट करें)		

9. लाभकारी कार्यकलाप:

क) क्या लाभार्थियों के लिए लाभकारी कार्यकलाप हेतु कोई सुविधाएं हैं: हां/नहीं

ख) यदि उपर्युक्त का उत्तर हां में है, तो कृपया ऐसे कार्यकलापों के स्वरूप का ब्यौरा दें:

- i) इन कार्यकलापों में शामिल व्यक्तियों की संख्या: _____
- ii) निम्नलिखित के लिए इन कार्यकलापों से होने वाली वार्षिक आय:
लाभार्थी: रुपये _____
केन्द्र: रुपये _____

10. अन्य कार्यकलाप (लाभकारी कार्यकलापों के अतिरिक्त):

i) क्या केन्द्र द्वारा कोई समाज सेवा शुरू की गई है: हां/नहीं

क) विशिष्ट क्षेत्र का अनुसरण करके: हां/नहीं

ख) अनाथालय, जे.जे. संस्थान आदि जैसी स्थापित संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करके: हां/नहीं

ii) लाभार्थियों/केन्द्र द्वारा समुदाय को किस स्वरूप की सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

क. शिक्षण	हां/नहीं
ख. पौधारोपण	हां/नहीं
ग. व्यावसायिक प्रशिक्षण	हां/नहीं
घ. क्रेच सेवा	हां/नहीं
ङ. अन्य कोई सामुदायिक सेवा	हां/नहीं
च. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	हां/नहीं

11. क्या किसी अन्य संगठन/संस्था के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है। यदि हां, तो कृपया प्रत्येक सेवा के लिए संगठन के नाम का उल्लेख करें।
- पोषण
 - मनोरंजन
 - स्वास्थ्य
 - व्यावसायिक प्रशिक्षण
 - अन्य कोई क्षेत्र

भाग – ग

12. संगठन का निधि प्रवाह:

निम्नलिखित पर व्यय का ब्यौरा:	समग्र संगठन के लिए			इस परियोजना के लिए		
	क्रम सं. 3 (ग) भाग-क में इंगित सहायता अनुदान सहायता के वित्त वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष (नई परि-योजनाएं)	चालू वर्ष बजटीय/वास्तविक	क्रम सं. 3 (ग) भाग-क में इंगित सहायता अनुदान सहायता के वित्त वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष बजटीय/वास्तविक
I. वित्त वर्ष						
II. कुल आय, जिसमें से:						
(i) कार्यालय के कार्मिकों द्वारा वित्त पोषित, प्राइवेट सेक्टर से अंशदान						
(ii) विदेशी अंशदान से वित्त पोषी						
(iii) स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन/राज्य सरकार						
(iv) केंद्र सरकार से अनुदान कृपया पृथक रूप से प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कैपार्ट से इंगित करें)						
(v) लाभार्थी अंशदान/प्रयोक्ता प्रभार						
(vi) विविध आय						
(vii) ऊपर उल्लिखित नहीं कोई अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट करें)						
III. कुल व्यय, जिसमें से:						
(i) आवर्ती						
(ii) गैर-आवर्ती						

निम्नलिखित पर व्यय का ब्यौरा:	समग्र संगठन के लिए			इस परियोजना के लिए		
	क्रम सं. 3 (ग) भाग-क में इंगित सहायता अनुदान सहायता के वित्त वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष (नई परि-योजनाएं)	चालू वर्ष बजटीय/वास्तविक	क्रम सं. 3 (ग) भाग-क में इंगित सहायता अनुदान सहायता के वित्त वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष बजटीय/वास्तविक
IV) निम्नलिखित पर व्यय का ब्यौरा:						
(i) वेतन एवं पारिश्रमिक						
(ii) किराया: (क) भवन (ख) फर्नीचर एवं फिक्सर (ग) संयंत्र एवं मशीनरी						
(iii) यात्रा, दैनिक, इत्यादि भत्ता						
(iv) अन्य प्रशासनिक लागत						
(v) लाभार्थियों पर व्यय: (क) नकद:						
(vi) लाभार्थियों पर व्यय: वस्तु में i. भोजन: ii. यूनिफॉर्म/कपड़ा: iii. दवाइयां: iv. परिवहन सुविधा: v. मनोरंजन/खेल: vi. विविध:						
(vi) संगठन द्वारा वहन की गई सामग्री लागत: (पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए) क) _____ ख) _____ ग) _____						
(vii) प्रति लाभार्थी लागत						

13. सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि सूचना रिकॉर्डों के अनुसार है तथा लेखाओं की लेखा परीक्षा कर दी गई है/की जानी है तथा संगठन के कार्मिकों के सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास की दृष्टि से सही है और इसके अवलोकन एवं संतोष के पश्चात, उन्होंने दिनांकके संकल्प के तहत अधोहस्ताक्षरी को प्राधिकृत है कि वह सामाजिक न्याय और अधिकारिदा मंत्रालय, भारत सरकार से जिस योजना के लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया गया था, उसकी निगरानी के प्रयोजनार्थ सूचना के विवरण को सत्यापित कर प्रस्तुत करें।

2. मैं एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इस योजना के नियमों एवं विनियमों को पढ़ा हूँ और मैं उन्हें पालन करने की शपथ लेता हूँ। इस प्रबंधन की ओर से, मैं निम्नलिखित शर्तों के प्रति अपनी सहमति भी व्यक्त करता हूँ:

- क. केंद्रीय अनुदान से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अर्जित सभी परिसंपत्तियों को उन प्रयोजनों जिनके लिए यह अनुदान प्रदान किया गया है, के सिवाय किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भारग्रस्त अथवा उपयोग नहीं किया जाएगा यदि संगठन किसी भी समय बंद हो जाता है, ऐसी संपत्तियां भारत सरकार के पास वापस हो जाएंगी।
- ख. परियोजना की लेखाओं का उपयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से रखरखाव किया जाता है। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी उनकी कभी भी जांच की जा सकेगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विवेक पर उनकी कभी भी जांच परीक्षण किया जा सकता है।
- ग. क्या राज्य अथवा केंद्र सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई आधार है कि अनुदान का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है; भारत सरकार आगे की किस्तों का भुगतान रोक सकती है और पूर्ववर्ती अनुदान की वसूली किसी भी तरीके से कर सकती है जैसा कि वह निर्णय लें।
- घ. यह संगठन समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संगठन के कार्यकलाप हेतु अपेक्षित पदों के प्रति नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों/विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के प्रति सहमत है।
- ङ. एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि किसी अन्य स्रोत (सरकारी-निजी अथवा बाह्य) से इसी परियोजना के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है।

भवदीय,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

पता:

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

प्रथम किस्त अथवा नए मामले के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- क. परियोजना, जिसके लिए सहायता अनुदान मांगी गई है तथा समग्र संगठन के लिए 4 भागों में लेखा
- i. आय एवं व्यय का विवरण
 - ii. प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण
 - iii. तुलन पत्र
 - iv. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- ख. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संगठन की कार्यकलाप संबंधी रिपोर्ट
- ग. चालू वर्ष के दौरान परियोजना के बजट अनुमान
- घ. प्रपत्र—I में लाभार्थियों का ब्यौरा
- ङ. प्रपत्र—II में प्रबंधन समिति का ब्यौरा
- च. प्रपत्र—III में कर्मचारियों का ब्यौरा
- छ. रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट की प्रति
- ज. संस्था के बहिर्नियम/उप-विधियां/अनुच्छेद
- झ. पूर्ववर्ती वर्ष में जारी अनुदानों के संदर्भ में उपयोग प्रमाणपत्र

टिप्पणी: नई परियोजनाओं के मामले में, लेखाओं की लेखा परीक्षा की जानी चाहिए और पूर्ववर्ती दो वर्षों का लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में उपयोग प्रमाण पत्रों (यूसी) की अपेक्षा नहीं होती है।

INTEGRATED PROGRAMME FOR SENIOR CITIZENS

A Central Sector Scheme to improve the quality of life of the Senior Citizens (Revised as on 01.04.2018)



सत्यमेव जयते

**Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment.
New Delhi**

www.socialjustice.nic.in

Contents

S. No.	Contents	Page No.
1	Introduction	37
2	Aims and Objectives	37
3	Approach	37
4	Details of Programmes admissible for assistance under the Scheme	38-43
5	Extent of support to the Project	43
6	Implementing Agencies eligible for receiving assistance under the Scheme	43
7	Eligibility Criteria for Assistance to the Non-Governmental Voluntary Organizations	43
8	Detailed Guidelines of the Scheme & Procedure for submission of proposals	44-49
9	Annexure-I: Types of Projects admissible (details of Appendices I to VII)	50
10	i. Maintenance of Senior Citizens' Homes/ Senior Citizens' Homes for 50 elderly Women including those under Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) (for 25 senior citizens)(APPENDIX- I)	51
11	ii. Maintenance of Continuous Care Homes and Homes for senior citizens afflicted with Alzheimer's disease/ Dementia(for 20 senior citizens) (APPENDIX- II)	52
12	iii. Mobile Medicare Unit for Senior Citizens (APPENDIX-III)	53
13	iv. Physiotherapy Clinics for Senior Citizens (APPENDIX-IV)	53
14	v. Regional Resource and Training Centre (APPENDIX-V)	54
15	vi. Other Activities considered suitable to meet the objectives of the Scheme, including implementation of the provisions of National Policy for Senior Citizens (NPSrC) (APPENDIX-VI)	54
16	vii. Projects which now stand dropped or merged with some other project types or shall now be implemented through National Institute of Social Defence. (APPENDIX-VII)	55
17	Annexure-II: Application-Cum-Monitoring Form For Grant-In-Aid To Voluntary Organisations Working In The Field Of Integrated Programme For Senior Citizens	56-63

INTEGRATED PROGRAMME FOR SENIOR CITIZENS

1. INTRODUCTION

There has been a steady rise in the population of senior citizens in India. The number of elderly persons has increased from 1.98 crore in 1951 to 7.6 crore in 2001, and 10.38 crore in 2011. The projections indicate that the number of 60+ in India will increase to 14.3 crore in 2021 and 17.3 crore in 2026. Continuous increase in life expectancy means that more people are now living longer. General improvement in the health care facilities over the years is one of the main reasons for continuing increase in proportion of population of senior citizens. Ensuring that they not merely live longer, but lead a secure, dignified and productive life is a major challenge.

The traditional norms and values of the Indian society laid stress on showing respect and providing care for the aged. However, in recent times, society is witnessing a gradual but definite decline of the joint family system, as a result of which a large number of parents are being neglected by their families exposing them to lack of emotional, physical and financial support. These older persons are facing a lot of problems in the absence of adequate social security. This clearly reveals that ageing has become a major social challenge and there is a need to provide for the economic and health needs of the elderly and to create a social milieu, which is conducive and sensitive to the emotional needs of the elderly.

2. AIMS AND OBJECTIVES

The main objective of the Scheme is to improve the quality of life of the Senior Citizens by providing basic amenities like shelter, food, medical care and entertainment opportunities and by encouraging productive and active ageing through providing support for capacity building of State/ UT Governments/ Non-Governmental Organizations (NGOs)/Panchayati Raj Institutions (PRIs) / local bodies and the community at large.

3. APPROACH

Assistance under the Scheme will be given to the Implementing Agencies such as State/ UT Governments /Panchayati Raj Institutions / local bodies and eligible Non-Governmental/Voluntary Organizations etc. as mentioned in **Para 6**, for the following purposes:

- (i) Programmes catering to the basic needs of Senior Citizens particularly food, shelter and health care to the destitute elderly;
- (ii) Programmes to build and strengthen intergenerational relationships particularly between children / youth and Senior Citizens, through Regional Resource and Training Centres (RRTC);
- (iii) Programmes for encouraging Active and Productive Ageing, through RRTCs;
- (iv) Programmes for providing Institutional as well as Non-Institutional Care/ Services to Senior Citizens;
- (v) Research, Advocacy and Awareness building programmes in the field of Ageing through RRTCs; and
- (vi) Any other programmes in the best interest of Senior Citizens.

4. PROGRAMMES ADMISSIBLE FOR ASSISTANCE UNDER THE SCHEME

(i) *Maintenance of Senior Citizens' Homes/ Senior Citizens' Homes for 50 elderly Women including those under Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)* to provide food, care and shelter for a minimum number of 25 destitute Senior Citizens or for 50 elderly women, respectively. Grant-in-aid is given for a project for running a Senior Citizens' Home for 25 Senior Citizens / Senior Citizens' Homes for Women (merging the Project of 'Multi Facility Care Centres for Older Widows') for 50 elderly women, where they will be provided food, shelter, care, recreation facilities, etc. free of cost. If the senior citizens' home, including the Senior Citizens' Homes for Women, is of larger size (say for 50 or 75 or 150 beneficiaries), the grant-in-aid for maintenance of such Senior Citizens' Home will be sanctioned on proportionate basis on the items of healthcare, recreation and miscellaneous. For a project of 50 inmates, building rent shall be 50% higher of prescribed rent of the Homes of 25 inmates. Additional 01 cook and 01 Multi Tasking Staff will be paid for the senior citizens' home of 50 inmates. The implementing Agencies are free to provide additional items/other amenities in these homes from their own resources. The organizations shall be allowed to incur the expenditure as given in **APPENDIX-I**.

(a) Cost norms include payment of honorarium to superintendent/ Doctor/ Nurse/ cook/ Multi Tasking Staff (MTS) etc. The minimum qualification required and duties of the staff engaged in the project are as follows:

S. No.	Name of the Post	Minimum qualification and duties
1	Superintendent (full time)	Qualification -Graduate with experience of managing such centers for a minimum period of 3 years or demonstrable capability for running such centres and having working knowledge of computers. Duties -Overall management of the project.
2	Doctor (part time)	Qualification -MBBS/ BAMS/ BHMS. Duties -Doctor must visit the centre at least twice a week for health check-up of all the beneficiaries. The doctor is bound to attend the beneficiaries in emergency. As far as possible Doctor residing near the centre should be engaged.
3	Yoga therapist (part time)	Qualification -Diploma in Yoga from a recognized Institute. Duties -Yoga therapist should visit the Centre at least three times in a week for a minimum one hour per day. Honorarium per day should not be more than Rs. 400 /-with a monthly ceiling of Rs. 5000/
4	Social Worker/ Counselor (part time)	Qualification -Graduate in any discipline with three years' experience in the field. He/ She must hold a Certificate of relevant Training Course from National Institute of Social Defence (NISD) / Regional Resource and Training Centre (RRTC) and should have knowledge of local language. Duties -To assess the emotional status of the inmates and to render counseling services as may be required. The Social Worker/ Counselor should attend the Centre at least 2 hours everyday.

5	Nurse (part time)	<p>Qualification -Should be qualified as Auxiliary Nurse Midwife (ANM) and should have received training from recognized government / private medical institution.</p> <p>Duties-Nurse should visit the project for a minimum of 2 hours per day for 5 days in a week, for basic medical checkup of the inmates and also to provide nursing/ basic geriatric care.</p>
6	Cook(full time)	<p>Qualification– Should have passed 8th Standard and should have experience of cooking local food for minimum 3 years.</p> <p>Duties-Prepare the daily food for the inmates including Morning Tea, Breakfast, Lunch, Evening Tea and Dinner.</p>
7	Multi Tasking Staff [MTS] (3) (full time)	<p>Qualification-Should have passed 8th Standard and should have experience of working for minimum 2 years in similar capacity.</p> <p>Duties – To perform the duties of Chowkidaar, Helper, Cleaner. Must clean all the rooms, verandah/ courtyard and kitchen at least 2 times a day, cleaning of bathrooms and toilets at least 3 times a day, and to extend assistance as & when required.</p>

(b) Project of Multi Service Centre (MSC) to be deleted from the Scheme. Such projects shall not be assisted from the financial year 2018-19. However, the existing MSCs shall have the option to convert the projects into Senior Citizens' Homes for 25 inmates subject to specific recommendations of the State Government on the capacity of the Organization, space of the project, etc. and with the approval of Ministry of Social Justice and Empowerment.

(ii) ***Maintenance of Continuous Care Homes and Homes for senior citizens afflicted with Alzheimer's disease/ Dementia*** for a minimum of 20 Senior Citizens who are seriously ill requiring continuous nursing care and respite or those who are afflicted with Alzheimer's disease/ Dementia. Grant-in aid is given to agencies who have shown a credible track record in running Charitable Hospitals/ Nursing Homes/Medical Institutions/Colleges. Such agencies will be eligible for grants for running and maintenance of continuous care and Homes for senior citizens afflicted with Alzheimer's disease/ Dementia for a minimum of 20 Senior Citizens suffering from mild to severe disability. The organizations shall be allowed to incur expenditure as given in **APPENDIX-II**.

(a) Cost norms include payment of honorarium to superintendent/ manager/ cook etc. The minimum qualification required and duties of the staff engaged in the project are as follows:

S. No.	Name of the Post	Minimum qualification and duties
1	Superintendent (full time)	<p>Qualification -Graduate with experience of managing such centres for a minimum period of 3 years or demonstrable capability for running such centres and having working knowledge of computers.</p> <p>Duties-Overall management of the project.</p>
2	Doctor (full time)	<p>Qualification -MBBS/ BAMS/ BHMS.</p> <p>Duties -Doctor must visit the centre everyday for health check-up and medical assistance of all inmates. The doctor is bound to attend the beneficiaries in emergency. As far as possible Doctor residing near the centre should be engaged.</p>

S. No.	Name of the Post	Minimum qualification and duties
3	Yoga therapist (part time)	Qualification -Diploma in Yoga from a recognized Institute. Duties- Yoga therapist should visit the Centre at least three times in a week for a minimum one hour per day. Honorarium per day should not be more than Rs. 400 /- with a monthly ceiling of Rs. 5000/-
4	Social Worker/ Counselor (part time)	Qualification - Graduate in any discipline with three years' experience in the field. He/ She must hold a Certificate of relevant Training Course from National Institute of Social Defence (NISD) / Regional Resource and Training Centre (RRTC) and should have-knowledge of local language. Duties- To assess the emotional status of the inmates and to render counseling services as may be required. The Social Worker/Counselor should attend the Centre at least 2 hours everyday.
5	Nurse (2) (part time)	Qualification - Should be qualified as Auxiliary Nurse Midwife (ANM) and should have received training from recognized government / private medical institution. Duties- Nurse should visit the project for medical checkup of the inmates and also to provide nursing/ basic geriatric care everyday.
6	Cook(full time)	Qualification – Should have passed 8th Standard and should have experience of cooking local food for minimum 3 years. Duties- Prepare the daily food for the inmates including Morning Tea, Breakfast, Lunch, Evening Tea and Dinner.
7	Multi Tasking Staff [MTS] (3) (full time)	Qualification- Should have passed 8th Standard and should have experience of working for minimum 2 years in similar capacity. Duties – To perform the duties of Chowkidaar, Helper, Cleaner. Must clean all the rooms, verandah/ courtyard and kitchen at least 2 times a day, cleaning of bathrooms and toilets at least 3 times a day, and to extend assistance as & when required.

(b) Project of Day Care Centres for Senior Citizens afflicted with Alzheimer's/Dementia [(DCC (Dementia))] to be merged with Continuous Care Homes and Homes for senior citizens afflicted with Alzheimer's disease/ Dementia. The projects of DCC (Dementia) shall not be assisted from the financial year 2018-19. However, the NGOs/Organizations running such projects shall have the option to convert the projects of Day Care Centres for Senior Citizens afflicted with Alzheimer's/Dementia into Continuous Care Homes and Homes for senior citizens afflicted with Alzheimer's disease/ Dementia for 20 inmates subject to specific recommendations of the State Government on the capacity of the Organization, space of the project, etc. and with the approval of Ministry of Social Justice and Empowerment.

(iii) **Maintenance of Mobile Medicare Units** to provide medical care to the Senior Citizens living in rural, isolated and backward areas. Grant-in-aid to be given for a project for Senior Citizens living in slums, rural and inaccessible areas where proper health care facilities are not available. The project aims to enable Senior Citizens to assume an active role in maintaining and improving their own health and in encouraging others to do the same.

Each Medicare Unit should cover minimum 400 Senior Citizens per month. Each MMU should make at least 10 trips per month to such areas (slums, rural and inaccessible areas where proper health care

facilities are not available).

Grant-in-aid under this project will be given to agencies that have shown a credible track record in working for the cause of elderly. Organizations that have a proven track record in providing free medical care to the people are eligible for funding. Recognized Charitable Hospitals/Nursing Homes/Medical Institutions/ Colleges are also eligible. The organizations shall be allowed to incur expenditure as given in **APPENDIX-III**.

The minimum qualification required and duties of the staff engaged in the project are as follows:

S. No.	Name of the Post	Minimum qualification and duties
1	Doctor	Qualification - MBBS/ BAMS/ BHMS. Duties -Doctor must cover a minimum of 400 senior citizens per month, with a minimum of 10 trips per month. He/ She should be available as and when required, too.
2	Nurse	Qualification -Should be qualified as Auxiliary Nurse Midwife (ANM) and should have received training from recognized government / private medical institution. Duties -Nurse must cover a minimum of 400 senior citizens per month, with a minimum of 10 trips per month. He/ She should be available as and when required, too.
3	Driver	Qualification –Should have passed at least 8 th Standard. Must possess a valid driving license. Duties -Must perform duties for a minimum of 10 trips per month and as and when required.
4	Organizer	Qualification -Should have passed at least 12 th Standard and should be well versed with local language. Duties – Shall be overall responsible for holding all the trips of the Mobile Medicare Units, including logistic arrangement.
5	Multi Tasking Staff [MTS]	Qualification -Should have passed 8 th Standard and should have experience of working for minimum 2 years in similar capacity. Duties – To perform the duties of Chowkidaar, Helper, Cleaner and to extend assistance as and when required.

(iv) **Physiotherapy Clinics for Senior Citizens** Grant-in-aid under this project to be given to agencies that have shown a credible track record in running projects for the welfare of the Senior Citizens for running of physiotherapy clinic for a **minimum of 50 Senior Citizens per month**. Recognized Charitable Hospitals/Nursing Homes/Medical Institutions/Colleges are also eligible. The organizations shall be allowed to incur expenditure as given in **APPENDIX-IV**.

The minimum qualification required and duties of the staff engaged in the project are as follows:

S. No.	Name of the Post	Minimum qualification and duties
1	Physiotherapist (full time)	Qualification –Must possess a requisite degree in Physiotherapy from a recognized university. Duties -Doctor must provide services daily, to a minimum of 50 Senior Citizens per month.

S. No.	Name of the Post	Minimum qualification and duties
2	Physiotherapy Technician (full time)	Qualification –Must possess a requisite diploma in Physiotherapy from a recognized institute. Duties – Duties include assisting the Physiotherapist, assisting the senior citizen patients in various types of physiotherapy (under supervision of the physiotherapist). Must provide services daily, to a minimum of 50 Senior Citizens per month.
3	Multi Tasking Staff [MTS] (full time)	Qualification -Should have passed 8th Standard and should have experience of working for minimum 2 years in similar capacity. Duties – To perform the duties of Chowkidaar, Helper, Cleaner and to extend assistance as and when required.

Note: In order to assist female senior citizens, at least one of the Physiotherapist or the Physiotherapy Technician should be a female.

(v) **Maintenance of Regional Resource and Training Centres.** Regional Resource and Training Centres (RRTCs) will be key collaborating partners for ensuring effective implementation of the policies and programmes of the Ministry. They will also act as a clearing house and be a resource centre at the regional level. Broad activities would include monitoring and providing technical support, advocacy and networking, training and capacity building for effective delivery of service by the Centres for Senior Citizens, funded by the Ministry. They are also expected to interface with concerned State Government departments, local bodies, schools and colleges, Nehru Yuva Kendra Sangathan, National Service Scheme units, Panchayati Raj Institutions etc. for forging linkages. The organizations shall be allowed to incur expenditure as given in **APPENDIX-V**.

Cost norms include payment of honorarium to physiotherapist/ Yoga therapist etc. The minimum qualification required and duties to be performed for each post is as follows:

S. No.	Name of the Post	Minimum qualification and duties
1	Coordinator (Full time)	Qualification -Graduate in Social Work with experience of managing such centres for a minimum period of 3 years or demonstrable capability for running such centres and having working knowledge of computers. Duties -Overall incharge of the Project, responsible for preparing annual action plan, fulfilling the mandate of RRTC i.e. database generation, research, designing IEC material, planning, supervising & capacity building calendar, NGO monitoring, , preparing & implementing list of grantee NGOs under the Scheme, interaction, monitoring of projects, sensitization & awareness generation. Inspection of at least 25 projects in a year.
2	Accountant-cum-Computer Operator (full time)	Qualification -Graduate with knowledge of accounts and working knowledge of computers. Duties -Compilation of Accounts, computerizing collected database & information, maintaining records & files, maintaining records of trainees, resource persons, beneficiaries and NGOs.
3	Support Staff (2) (full time)	Qualification –must have passed 10th Standard and should have working knowledge of computers. Duties -Physical maintenance of records of the projects, general cleanliness & upkeep of the project office, other non-clerical work, Assisting in routine office work of other staff which includes basic computer work, postage, maintaining of registers, follow up and overall admin support.

(vi) **Other activities considered suitable to meet the objectives of the scheme, including implementation of the provisions of National Policy for Senior Citizens (NPSrC)** Eligible agencies/institutions/organisations will be granted financial assistance under this programme, as per the eligibility and quantum of assistance being determined by the Ministry on each occasion on a case to case basis (**APPENDIX-VI**)

(vii) Status of those projects types which are proposed to be dropped or merged with some other component or transferred to National Institute of Social Defence is **APPENDIX-VII**

5. EXTENT OF SUPPORT TO THE PROJECT

- (i) Up to 90% of the cost of the project indicated in the scheme will be provided by the Government of India and the remaining shall be borne by the Organization/ Institution concerned.
- (ii) However in case the projects being run by the State/Union Territory/ Panchayati Raj Institution/ Local Bodies, 100% financial assistance shall be granted.
- (iii) Similarly in the case of Schools, Colleges, Educational Institutions and recognized Youth Organizations such as Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) and the National Service Scheme (NSS) undertaking programmes and services for Older Persons, up to 100% of the cost of project indicated in the scheme shall be provided by the Government.

6. IMPLEMENTING AGENCIES

Under the Scheme, assistance will be sanctioned to the following agencies subject to the terms and conditions laid down by this Ministry:

- i. Priority would be given to the State Governments / UT Administrations for supporting the projects under the Scheme of IPSrC through Registered Societies/ Panchayati Raj Institutions (PRIs) / Local bodies, in the vicinity of Hospitals, as far as possible;
- ii. Non-Governmental/Voluntary Organizations;
- iii. Institutions or Organizations set up by Government as autonomous/ subordinate bodies;
- iv. Government Recognized Educational Institutions, Charitable Hospitals/ Nursing Homes, and recognized youth organizations such as Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS);

7. ELIGIBILITY CRITERIA FOR THE NON-GOVERNMENTAL/ VOLUNTARY ORGANISATIONS FOR ASSISTANCE UNDER THE SCHEME

- i) The Non-Governmental/Voluntary Organization should be a registered body, under an appropriate Act, so that it gets a corporate status and a legal personality and a group liability is established for its activities.
- ii) It should be registered either under the Societies Registration Act, 1860 or relevant State Societies Registration Act and has already been working for at least two years; or a Public Trust registered under any law for the time being in force or a Charitable Company licensed under of Companies Act, 2013.

The criteria of working for at least 2 years shall not be applicable in the case of State Governments/UT Administrations. State Governments may explore the possibility for setting up of the projects in the vicinity of Hospitals, as far as possible. Similarly in the case of the North Eastern region, J&K, Desert areas and under serviced/under-represented

areas, this condition of two years will not be applicable.

- iii) The Organization shall have a properly constituted managing body with its powers, duties and responsibilities clearly defined and laid down in a written Constitution; It shall have an appropriate administrative structure and a duly constituted Managing/ Executive Committee;
- iv) The organization is initiated and governed by its own members on democratic principles.
- v) The aims and objects of the organization and programmes in fulfillment of those aims and objects are specifically laid down;
- vi) The Organization shall not run for profit to any individual or a body of individuals; The Organization should possess proven credentials and capabilities to handle such projects.

8. DETAILED GUIDELINES OF THE SCHEME & PROCEDURE FOR SUBMISSION OF PROPOSALS

The detailed guidelines regarding eligibility conditions for availing grant-in aid under the scheme, procedure of submission of applications and other terms and conditions along with the extent of support are provided in this Section. These guidelines may be modified from time to time, according to needs, with the approval of the Minister for Social Justice & Empowerment on the recommendations of the Committee constituted under the Chairpersonship of Secretary (SJ&E) with Joint Secretary (Social Defence) and representatives of NITI AAYOG / other concerned Ministries/ Departments and Integrated Finance Division of the Ministry of Social Justice and Empowerment as Members.

8.1. PROCEDURE FOR SUBMISSION OF PROPOSALS AND RELEASE OF GRANT-IN-AID

All proposals received under the Scheme will be considered in accordance with general guidelines issued for processing of cases for grant-in aid to the NGOs by the Ministry and the relevant provisions of the General Financial Rules (GFR) -2017 as amended from time to time. Based on the guidelines currently in prevalence, the following procedure will be followed:

Applications in the prescribed proforma shall be submitted / forwarded/recommended by the State Government / Administration of the Union Territory in the following manner:

- (i) All proposals should clearly indicate the target group of beneficiaries to be covered.
- (ii) All fresh proposals for sanction of projects under the Scheme shall be submitted online (<http://www.ngograntsje.gov.in>) in the prescribed proforma along with relevant documents through the concerned State Governments/UT Administrations.
- (iii) The applications for release of grant-in aid for ongoing projects shall be submitted by the NGOs online to the State Government in the prescribed proforma along with relevant documents immediately at the commencement of the financial year,
- (iv) The State Governments / Union Territory Administrations would have the ground functioning and suitability of the proposing agencies examined through its field functionaries for sanction of the new projects and also for continuation of the grant-in aid for ongoing projects. All such proposals would be considered by the State Grant-in aid Committee and recommendations of the State Government would be sent in one lot to the Ministry of Social Justice and Empowerment indicating the inter se priority. The recommendations for arrears of grants relating to ongoing projects will be considered only if there is also a specific recommendation for release of grant-in

aid for the current financial year.

- (v) While forwarding new cases, the State/UT should ensure that proposals from service deficient areas are accorded priority. The Screening Committee of the Ministry for scrutinizing the new cases would take this into consideration along with other prescribed guidelines.
- (vi) The implementing Agency shall, before it receives assistance from Ministry of Social Justice & Empowerment, execute a bond in the prescribed proforma. The transfer of funds would be done only after acceptance of the Bond by the competent authority in the Ministry. However, in respect of on-going projects, the application for release of funds should accompany with the bond executed on the above lines.
- (vii) **Inspection:** The primary responsibility for inspection of the projects undertaken under this scheme will lie with the State Government /UT Administration concerned. The grant-in aid would be released only on the basis of the Inspection Report of the State Government /UT Administration. The Ministry from time to time may issue guidelines regarding the nature, type and periodicity of the Inspection. Whenever necessary, the Ministry may get field inspection conducted by its own agencies / officers also.
- (viii) **Termination of Grants:** If the Ministry is not satisfied with the progress of the Project or it finds that these rules/ guidelines are being seriously violated by the implementing agencies, it reserves the right to terminate the grant-in-aid and recover the amount of grant-in aid already sanctioned with penal interest.
- (ix) **Change of Location:** Change of location of the projects shall be made only with the prior approval of the Ministry or the State Government/ UT Administration under intimation to this Ministry.
- (x) **Online Processing:** The Ministry has introduced a computerized system for on-line submission and processing of application of NGOs. The uploading of the applications in electronic mode will be done, for the time being, by the District Informatics Centers of the NIC. The District Informatics Centers have been suitably advised about the new processing mode by the NIC Headquarters. The process flow in the electronic mode would require the applications to be processed online at the District level and the State level where verifications and approvals would be authenticated by digital signatures by the designated officer for each Scheme at the District level and the State level. All paper documents (originals) submitted by the NGOs would be held by the District Social Welfare Officer, in physical form. All the applicant NGOs under various schemes may be got registered online in the first instance. The NIC units at district & State level will be available to render all possible assistance to the concerned officials as well as the NGOs. A user Manual for NGO Proposal Online Application and Processing Tracking System for Schemes of Ministry of Social Justice & Empowerment is available on the web-portal ngograntsje.gov.in of the Ministry. The application form as available on the website is annexed for reference (**Annexure-II**). Before applying for Grant-in-Aid, the

NGO should register itself on the NGO-PS portal of the NITI AAYOG and the Registration number should be indicated in the relevant column of the Application form.

8.2 CONDITIONS FOR ASSISTANCE

- (i) The Grantee organization / Institution / Establishment shall be open to inspection by an officer of the Central Government and the State Government or any agency/persons authorized by them

including third party inspections.

- (ii) If an organization has already received or is expected to receive a grant from some other Government sources for the purpose for which the application is being made under this Scheme; assessment for central grant will normally be made after taking into account grant from such other sources.
- (iii) The Grantee organization shall maintain separate accounts of the Grants received under the Scheme. They shall always be open to check by an officer deputed by the Government of India. This shall be open to a system of internal audit or concurrent audit. They shall also be open to test check by the Comptroller and Auditor General of India.
- (iv) The Grantee organization shall maintain a record of all assets acquired wholly or substantially out of Government grant in the Stock Register and present these to the Auditor when required to do so. In this regard the provisions of the General Financial Rules, 2017 (Govt. of India) would be applicable.

8.3 REGISTRATION, MANAGEMENT AND MONITORING OF SENIOR CITIZEN HOMES/ OTHER PROJECTS FOR WHICH GRANT IN AID IS SOUGHT UNDER THIS SCHEME

- (i) **Registration** of the projects (mentioned in para 4 of the Scheme) – All institutions, whether run by a Government/ Non-Governmental / Voluntary/ Private Organization or Society/ Trust and providing residential / other facilities to senior citizens for their care and welfare, shall be registered online as a service provider with the designated Registration Authority in the State/ UT in accordance with the provision of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (MWPSA) Act, 2007, as amended from time to time.
- (ii) **If such registered institution fails** to provide the necessary amenities as defined under Section 19 of MWPSA Act, 2007, as amended from time to time, the State Government may after following the due procedure, cancel or withhold the registration of such institutions, as the case may be.
- (iii) The Central Government shall prescribe **Minimum Standards** required for the establishment and maintenance of Senior Citizens' Homes under the MWPSA Act, 2007, as amended from time to time.

The following standards shall be followed by the implementing agencies for the projects under the Scheme:

- (a) **Nutrition** – Adequate quantity, good quality, variety in food stuff (as per local conditions) containing an average of 1700 calories and 50 grams protein to be provided to the beneficiaries, everyday. Procurement of pulses (dal) for the projects should be made by the implementing agencies from the authorized Government agencies/ stores, as far as possible. The Daily indicative menu may be as under (subject to suitable modifications having regard to location, climatic conditions and conventional food habits of the inmates) :

Morning Tea	Coffee/ Tea and Biscuits/ Rusks/ Fan Puffs
Breakfast	Daliya/ Cornflakes (with Milk)/ Idli/ Vada/ Upma/ Oats/Poha/ Chiwda/Parantha/ Toast/ Paav/ Dhokla (daily) PLUS Boiled Egg or Seasonal fruits (twice a week)

Morning Tea	Coffee/ Tea and Biscuits/ Rusks/ Fan Puffs
Lunch	Chapati, Rice, Dal/ Sambhar, One Green Vegetable, Curd, Salad (Daily) PLUS Special Meal (Veg/ Non-Veg) and Sweet (Halwa/ Kheer, etc.) (once a week)
Evening Tea	Coffee/Tea and Biscuits/ Rusks/ Fan Puff
Dinner	Chapati/ Rice/ Dosa/ Utthapam , Dal / Sambhar, One seasonal Vegetable/ Khichdi

(The above menu is only of indicative in nature. Implementing Agencies can suitably modify the Menu to suit the inmates palate/ tastes, amounting to 1700 calories in a day)

- (b) **Medical facilities/ Medicare**-The project should have first aid kit (as advised by Doctor), glucometer, BP monitoring machine, weighing machine and medicines, as prescribed by a Doctor. As far as possible, the residence of the Doctor should be near the project.

Regular Health Camps to be organized by implementing agencies in coordination with the District Administration.

- (c) **Physical aids and assisted living devices**– Devices such as wheelchairs, hearing aids, dentures, spectacles, crutches, walkers, etc. to be provided to the beneficiaries of the Projects of the Scheme, under RASHTRIYA VAYOSHRI YOJANA (RVY). Devices shall be distributed to beneficiaries as per guidelines of RVY.

The implementing agencies of this Scheme may place requirement (in pro forma prescribed in RVY) of assistive devices to Artificial Limbs Manufacturing Corporation (ALIMCO) (implementing agency of RVY) through District Administration. The District Administration will forward the application for requirement of devices to ALIMCO (under intimation to this Ministry), after assessment by Government Doctor(s) within 30 days of receipt of the requirement. The devices shall be delivered to the inmates at the centres within 60 days by ALIMCO.

Where the State Government/UT Administration is the implementing agency in the Scheme, the requirement of devices for the inmates of the projects shall directly be placed to the ALIMCO by the District Administration concerned.

- (d) **Recreation** – At each centre the implementing agency must provide Books, 3-4 Magazines, 2-3 newspapers (in regional/ local language), Outings at nearby places (2 in a month)-religious/ cultural, Games like carroms, chess, cards, one cable connection, one computer with internet connection. All projects should have a separate room for reading for the inmates.
- (e) Implementing agencies shall ensure that the services of minimum staff as prescribed in the Scheme are available in each project.
- (f) **Security**-necessary security arrangements to be made in the projects by the implementing agencies.
- (g) **Clothing** – Keeping in view local climate, weather conditions and traditional norms all the inmates must be provided with 4 pairs of clothing (like salwarkurta/ saree-blouse-petticoat/ shirt-pant/ kurta –pyjama/dhoti-kurta/lungikurta and woolens) every year. One pillow and one Blanket must be provided to each inmate.
- (h) **Rooms** – Properly ventilated rooms with sufficient space between the beds of the beneficiaries for their easy movement. Provision for storage of the belongings of the beneficiaries should be available in the homes. Floors should be anti-slippery.

- (i) **Bathrooms and toilets** –Each project should have separate toilets for females and males. There should be at least one toilet with western style fixed / removable commodes. Each Home should have ramp facilities and railings for easy access to the inmates at bathrooms and toilets, wherever required. Bathrooms and toilets must have anti-slippery tiles and railings for hand support.
- (j) **Hygiene and Sanitation**-All the rooms, verandah/ courtyard and kitchen must be cleaned at least 2 times a day. Bathrooms and toilets must be cleaned at least 3 times a day.
- (k) **Miscellaneous payments** include payments for electricity, water, internet, stationery, postage, maintenance of furniture, generator/ inverter, cost of fuel for cooking, replacement of bed sheets.
- (l) **Non-Recurring grants** shall include the following items:

S No.	Type of Project	Item Admissible
1	Senior Citizens Homes	Furniture, Chairs, Beds and mattresses (alongwith bed sheets and pillows), Almirahs for belongings of beneficiaries, utensils, gas stove, fan, desert cooler, water purifier, grinder/ juicer, Hot case/ microwave oven, water tank, electric motor & pump, washing machine, television, computer, refrigerator, inverter, water cooler, geyser and other items as required.
2	Respite Care Homes/ Continuous Care Homes/Home for Senior Citizens with Dementia/Alzheimer's Patients	Furniture, Chairs, Beds and mattresses (alongwith bed sheets and pillows), Almirahs for belongings of beneficiaries, utensils, gas stove, fan, desert cooler, water purifier, grinder/ juicer, Hot case/ microwave oven, water tank, electric motor & pump, washing machine, television, computer, refrigerator, inverter, water cooler, geyser and other items as required.
3	Regional Resource and Training Centres	Chairs, Tables, Bookrack, Almirah, Computer table, Computer, Printer, Amplifier, Mike, LCD Projector, Screen, Digital Camera, Lab/ Demonstration room with necessary equipments, Photocopier, Library with reference books, Training Halls, furniture.

- (iv) Senior Citizen Homes shall be rated by an appropriate authority as defined in MWPS Act, 2007 (as amended from time to time).

8.4 ADDITIONAL DOCUMENTS TO BE PROVIDED BY NON-GOVERNMENTAL VOLUNTARY ORGANIZATIONS

- (i) Proof regarding the expertise / experience the organization in related programmes /services.
- (ii) The constitution of the Association, Memorandum of Association and details of aims and objectives
- (iii) Constitution of the Board of Management, present membership, date of constitution of present Board of Management.
- (iv) Latest Annual Report.
- (v) Information relating to the grants received or likely to be received from other Departments of Central Government/ State Government/ any other source for the same project.
- (vi) A statement containing the balance sheet and the consolidated full receipt and payment account of the organization / institution for the last two years and a copy of the balance sheet for the

previous year. These should be certified by a Chartered Accountant or a Government authority; and

- (vii) A bond in a format prescribed by the Government, on a non-judicial stamp paper, for the amount of grant-in aid being sought, duly executed by the controlling authority of the institution / organization.
- (viii) Organization will furnish the list of beneficiaries and the staff members with their AADHAAR Numbers (wherever possible).
- (ix) In case of assistance to Homes for Senior Citizens afflicted with Alzheimer's disease/ Dementia it would be necessary for the Organization to obtain certificates from Government Hospitals certifying that the beneficiaries are suffering from Alzheimer's disease or Dementia as the case may be.

8.5 ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS IN RESPECT OF NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

- (a) It shall be the duty of the head of the Organization to carry out any instructions, which may be issued in this regard by the Central Government or the State Government as the case may be.
- (b) The grantee institution will maintain separate accounts in respect of the grant obtained from the Ministry.

8.6 MISCELLANEOUS

- (i) The Implementing Agency shall provide a package of facilities to the inmates which shall be clearly specified in the proposal and which shall not be varied to the disadvantage of the inmates without the prior approval of the Central Government.
- (ii) All the Implementing Agencies shall comply with statutory approvals and clearances as applicable before implementation of the project.
- (iii) The Grantee organizations, i.e. the State Governments / UT Administrations/ Panchayati Raj Institutions / local bodies/ Voluntary Organisations/ Non-Governmental Organisations shall maintain separate joint/current account in the name of the President / Secretary of the organization, in respect of the grants received under this programme.
- (iv) Non-recurring grants (wherever applicable) to the projects under the Scheme will be admissible after every five years, except physiotherapy clinics, subject to requests for the same by the Organization. One time non-recurring grant in aid for ongoing projects may be met from the Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF). The amount will be reappropriated from SCWF to IPSrC.

Annexure-I

The cost norms as per which grant in aid shall be provided to implementing agencies for maintenance of various projects is given in **Appendix-I** to **Appendix-V**. Any other activity, which is considered suitable to meet the objectives of the scheme, including implementation of the provisions of National Policy for Senior Citizens (NPSrC) has been included in **Appendix-VI**. Projects which now stand dropped or merged with some other project types or shall now be implemented through National Institute of Social Defence are given in **Appendix-VII**.

APPENDIX-I**1. Maintenance of Senior Citizens' Homes/ Senior Citizens' Homes for 50 elderly Women including those under Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) (for 25 senior citizens)****(Referred to at para 4(i) of the scheme)***(Amt. in Rs.)*

S. No.	Items		Cost Norms (Annual)
I.	Recurring Expenditure (a to e):-	* X Category	2160375
		* Y Category	2124375
		* Z Category	2100375
(a)	Staff Honorarium (total of (i) to (vi) below)		768000
	(i) Superintendent (full time)		150000
	(ii) Social Worker/ Counsellor (Part time)		96000
	(iii) Yoga Therapist (part time)		60000
	(iv) Nurse (part time)		78000
	(v) Cook (full time) **		96000
	(vi) Multi Tasking Staff (MTS) (3) Full Time **		288000
(b)	Building Rent (or Maintenance @ 10% of rent in case of owned building)	* X Category	240000
		* Y Category	204000
		* Z Category	180000
(c)	Health Care (total of (i) to (iv) below)		1032375
	(i) Food (for items as mentioned in para 8.3 (iii) (a) of the Scheme)		684375
	(ii) Doctor (part time)		198000
	(iii) Medicare (for items as mentioned in para 8.3 (iii) (b) of the Scheme)		50000
	(iv) Clothing/ Oil, Soap. (for items as mentioned in para 8.3 (iii) (g) of the Scheme)		100000
(d)	Recreation		60000
(e)	Miscellaneous & unforeseen (for items as mentioned in para 8.3 (iii) (k) of the Scheme)		60000
II.	Non-Recurring Items (for items as mentioned in para 8.3 (iii) (l) of the Scheme)		200000#
	Total (I + II)	* X Category	2360375
		* Y Category	2324375
		* Z Category	2300375

* X, Y, and Z are the three categories of cities classified for the purpose of drawing House Rent Allowance in Central Government.

** One additional MTS and Cook shall be paid for the senior citizens' homes of 50 beneficiaries.

Rs. 3,00,000/- as non-recurring grant for Homes with 50 beneficiaries. Admissible at the initial approval of the project and thereafter every 5 years, subject to request from the implementing agency.

Note:

- (i) In case of demise of any inmate, funeral expenses @ Rs. 10,000/- per person or the actual expenses incurred, whichever is less, shall be reimbursed to the organization.
- (ii) Building rent shall be 50% higher of prescribed rent, for a project of 50 inmates, i.e Rs. 3,60,000/-, Rs. 3,06,000/- or Rs. 2,70,000/- per annum for X, Y or Z category of cities.
- (iii) So far as possible the beneficiaries should be enrolled with the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY)
- (iv) If the senior citizens' home is of larger size (say for 50 or 75 or 150 beneficiaries) and senior citizen home for elderly women, the grant-in-aid for maintenance of such Senior Citizens' Home will be sanctioned on proportionate basis on the items of Healthcare, recreation and miscellaneous & unforeseen.

APPENDIX -II

2. Maintenance of Continuous Care Homes and Homes for senior citizens afflicted with Alzheimer's disease/ Dementia (Referred to at Para 4 (ii) of the Scheme)(for 20 senior citizens)

(Amt. in Rs.)

S. No.	Items		Cost Norms (Annual)
I.	Recurring Expenditure (a to e):-	* X Category	2400500
		* Y Category	2364500
		* Z Category	2340500
(a)	Staff Honorarium (total of (i) to (vi) below)		1398000
	(i) Doctor (full time)		396000
	(ii) Superintendent (full time)		150000
	(iii) Yoga Therapist (part time)		60000
	(iii) Social Worker (Part time)		96000
	(iv) Nurse (2) (full time)		312000
	(v) Cook (Full time)		96000
(vi) Multi Tasking Staff (MTS) (3) (Full time)		288000	
(b)	Building Rent (or Maintenance @ 10% of rent in case of owned building)	* X Category	240000
		* Y Category	204000
		* Z Category	180000
(c)	Health Care (Medicine, Nutrition and Hygiene)(total of (i) to (iii) below)		722500
	(i) Nutrition (for the items as mentioned in para 8.3 (iii) (a) of the Scheme)		547500
	(ii) Medicine/ tests (for items as mentioned in para 8.3 (iii) (b) of the Scheme)		75000
	(iii) Clothing, Special soap, diapers, disposables (for items as mentioned in para 8.3 (iii) (g) of the Scheme)		100000
(d)	Pathological Test Material		40000
(e)	Miscellaneous and unforeseen (for items as mentioned in para 8.3 (iii) (k) of the Scheme, apart from TV, carom boards, newspaper)		60000
II.	Non-Recurring Items (for items as mentioned in para 8.3 (iii) (l) of the Scheme)		200000
Total (I + II)		* X Category	2600500
		* Y Category	2564500
		* Z Category	2540500

*X, Y, and Z are the three categories of cities classified for the purpose of drawing House Rent Allowance in Central Government.

Note:

- (i) In case of demise of any inmate, funeral expenses @ Rs. 10,000/-per person or the actual expenses incurred, whichever is less, shall be reimbursed to the organization.
- (ii) All beneficiaries are required to be enrolled with the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY).

APPENDIX -III**3. Mobile Medicare Unit for Senior Citizens (Referred to at Para 4 (iii) of the Scheme)**

S. No.	Items	Cost Norms (Annual)
1	Staff Honorarium (a) to (e)	750000
(a)	Honorarium to Doctor	318000
(b)	Nurse	120000
(c)	Driver	108000
(d)	Organizer	108000
(e)	Multi Tasking Staff	96000
II.	Medicines and pathological Tests	288000
III.	Fuel and Maintenance of Van	52800
IV.	Contingency Charges	30000
	Total	1120800

APPENDIX -IV**4. Physiotherapy Clinics for Senior Citizens (Referred to at Para 4 (iv) of the Scheme)**

S. No.	Items		Cost Norms (Annual)
I.	Recurring Expenditure (a to f):-	* X Category	648000
		* Y Category	636000
		* Z Category	618000
(a)	Honorarium to Physiotherapist (Full time)		168000
(b)	Honorarium to Physiotherapy Technician (full time)		120000
(c)	Honorarium to Multi Tasking Staff (full time)		96000
(d)	Maintenance of Equipments		48000
(e)	Incidental expenses (medicines, electricity, water, etc.)		132000
(f)	Buidling Rent (or Maintenance @ 10% of rent in case of owned building)	* X Category	84000
		* Y Category	72000
		* Z Category	54000
II.	Non-Recurring Items Necessary physiotherapy equipments like Bone densitometer, Laser therapy equipment, short wave medical diathermy, Interferential therapy and ultrasound, X-Ray Machine, Hydroculator, Nerve and Muscle Stimulator, Computer cervical and lumber Traction Bed, shoulder wheel and pulley, Multi exercise gym, treadmill, Exercise staircase, Infra red lamp floor model, paraffin wax bath, etc.		1030000
Total (I + II)		* X Category	1678000
		* Y Category	1666000
		* Z Category	1648000

* X, Y, and Z are the three categories of cities classified for the purpose of drawing House Rent Allowance in Central Government.

APPENDIX-V

5. Regional Resource and Training Centre (Referred to at Para 4 (v) of the Scheme)

(Amt. in Rs.)

S. No.	Items		Cost Norms (Annual)
I.	Recurring Expenditure (1 to 7):-	* X Category	1200800
		* Y Category	1164800
		* Z Category	1134800
1	Human Resources (total of (a) to (c) below		576000
a	Coordinator		240000
b	Support Staff (2)		216000
c	Accountant-cum-Computer Operator		120000
2	(a) Binding, Printing, Stationery and Postage (reader friendly material, course material, advocacy material)		75000
	(b) Telephone/ Internet Charges @ 1500 per month		18000
3	Building Rent (or Maintenance @ 10% of rent in case of owned building)	* X Category	228000
		* Y Category	192000
		* Z Category	162000
4	Hiring of Vehicles		144000
5	Annual Regional Level Workshops		46000
6	Contingencies		88800
7	Library		25000
II.	Non-Recurring (for items as mentioned in para 8.3 (iii) (I) of the Scheme)		225000
Total (I + II)		* X Category	1425800
		* Y Category	1389800
		* Z Category	1359800

* X, Y, and Z are the three categories of cities classified for the purpose of drawing House Rent Allowance in Central Government.

APPENDIX-VI

6. Other Activities considered suitable to meet the objectives of the Scheme, including implementation of the provisions of National Policy for Senior Citizens (NP Sr C) (Referred to at Para 4 (vi) of the Scheme)

Eligible agencies/institutions/organizations will be granted financial assistance under this programme, as per the eligibility and quantum of assistance being determined by the Ministry on each occasion on a case to case basis.

APPENDIX-VII

7. Projects which now stand dropped or merged with some other project types or shall now be implemented through National Institute of Social Defence.**(i) Multi Service Centers for Senior Citizens**

Project to be deleted from the Scheme. Such projects shall not be assisted from the financial year 2018-19. However, the NGOs/Organisations may be allowed to convert the projects of MSC / DCC into Senior Citizens' Homes for 25 inmates subject to specific recommendations of the State Government on the capacity of the Organization, space of the project, etc. and with the approval of Ministry of Social Justice and Empowerment.

(ii) Running of Day Care Centres for Senior Citizens afflicted with Alzheimer's/Dementia

Day Care Centres for Senior Citizens afflicted with Alzheimer's/Dementia shall cease to exist from 2018-19. However, the project merged with the Continuous Care Homes and Homes for Senior Citizens afflicted with Alzheimer's/Dementia from 2018-19.

(iii) Multi Facility Care Centre For Older Widows Project merged with the Senior Citizens' Homes.**(iv) Helplines and Counseling Centres for Senior Citizens including Helpline for Senior Citizens at the National and District level by the Ministry.**

Project to be deleted from the Scheme from 2018-19.

(v) Programme for Sensitization of School/College Students.

Project to be transferred to the National Institute of Social Defence (NISD), existing projects receiving grants in aid under the Scheme will be supported by the NISD.

(vi) Awareness Generation Programmes including those relating to the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens' (MWPSA) Act, 2007 and National Policy for Senior Citizens (NPSrC).

Project to be transferred to the National Institute of Social Defence (NISD), existing projects receiving grants in aid under the Scheme will be supported by the NISD.

(vii) Volunteers Bureau for Senior Citizens

Project to be deleted from 2018-19.

(viii) Formation of Vridha Sanghas/ Senior Citizen Associations/Self Help Groups Project to be deleted from the Scheme. However, a new project type "Skill Training and re-skilling of Sr. Citizens through training to the target group (15-30 days training)" to be introduced and supported by the National Institute of Social Defence.

ANNEXURE-II

Grant in Aid to Voluntary Organisations working in the field of Integrated Programme for Senior Citizens

APPLICATION-CUM-MONITORING FORM FOR GRANT-IN-AID TO VOLUNTARY ORGANISATIONS WORKING IN THE FIELD OF INTEGRATED PROGRAMME FOR SENIOR CITIZENS

(for Ist instalment and New Cases)

PART -A

1. Financial year for which grant-in-aid is applied:	_____
2. Name of the Organisation:	_____
3. (a) Nature of the Project :	_____
(b) Date of commencement of the Project:	____ / ____ / ____
(c) Year of Commencement of Grant-in-aid from G.O.I for the Project:	_____
(d) Whether the Project is recognised by the state government:	Yes / No
4. Date of Registration of the organization:	____ / ____ / ____
5. Address of Registered Office:	_____ (STD Code) Tel. No: (STD Code) Fax No: Email:
6. (a) Complete Address of location / location where programme / project / scheme is being implemented:	_____ (STD Code) Tel. No: (STD Code) Fax No: Email:
(b) Nearest Railway Station/Bus stand:	_____
7. Whether building is:	OWNED / RENTED / ON LEASE /DONATED (Please indicate √ against appropriate box)
8.(a) Is the building being utilized exclusively for this program?:	_____
(b) If no, provide details of usage:	_____
9. (a) Area of building:	_____ (in sq. meters)
(b) Number of rooms:	_____
10. Whether separate project-wise accounts have been maintained for grants sanctioned earlier?	Yes / No
11.(a) Whether principle of joint operation of banks accounts is being followed?:	Yes / No

* Please indicate: Type of Project.

12. Details of bank accounts in which grant-in-aid released during previous financial year:

Sl. No	Grant-in-aid for financial year	Sanction letter number	Dated	Recurring Amount	Non-recurring Amount	Bank A/c No.	Name and address of Bank	Person Operating the joint Account
1.								
2.								

(Unaudited) 13. Whether the statements of accounts submitted alongwith the application: (Please indicate \checkmark against appropriate box)

14. The amount of support sought from the Ministry for recurring grant-in-aid

Cost Head Group	Rs. in Lakhs
(a) Recurring	
(b) Non-recurring	
(c) Total	

15. Whether List of Beneficiaries added as per Form - I:	Yes / No
16. Whether List of Managing Committee added as per Form - II:	Yes / No
17. Whether the List of Employees added as per Form - III	Yes / No
18. Whether the Organisation is registered with NITI AAYOG in the NGO-PS portal? if so, indicate the registration number.	Yes / No

(mark \checkmark above against the appropriate box)

PART -B

Details regarding beneficiaries and program

1. Nature and location of the Centre (separate form to be filled up for each Centre):

2. No. of Senior Citizens served:

Between 60-70 years	Between 70-80 years	Above 80 years

3. Category / background of the beneficiaries joining the centre:

	Number	Percentage
i) Low Income / cannot support themselves		
ii) High Income but nobody to look after		
iii) Widow / widower		
iv) No children to look after		
v) Have children but do not look after		

	Number	Percentage
vi) Seriously ill and as such abandoned by family members		
vii) Quarrels in the family forced to join the centre		
viii) Joined the centre to do social service		
ix) Any other reason to join the centre		

4. Availability of the following at Centre:

Lighting	Potable water	Toilet facility

5. Details of Medical check up and treatment of the Senior Citizens:

i) Annual expenditure on medicines

Current year	Previous year

ii) whether there is a full time doctor or a part time doctor

Full time	Part time

iii) if the doctor is part time, the number of visits per month _____

iv) the fee paid to the part time doctor per visit Rs. _____

v) whether any nursing service is provided Yes / No

vi) the number of beneficiaries served for the whole year (in case of MMU) _____

vii) the average number of visits by the mobile van per month (in case of MMU) _____

viii) the number of visits the social worker paid to reach out to senior citizens for the whole year (in case of Non-Institutional Services) _____

6. Nutrition support:

No. of meals per day	Breakfast / evening tea	Average Daily exp.

7. Arrangements for recreation:

Newspapers	
Books	
Magazines	
Excursions	
Picnics	
Film show	
Religious congregation	

8. What are the services for which the Senior Citizens the Centre:

	Number	Percentage
i) For Nutritional support		
ii) For recreation		
iii) For health reason		
iv) For vocational training		
v) To provide social service through the centre		
vi) Any other factor (please specify)		

9. Productive Activity:

- a) Whether there are any facilities for productive activity for the beneficiaries: **Yes / No**
- b) If the answer to the above is yes give details of nature of such activities:
- i) No. of persons involved in such activities: _____
- ii) Income per year from such activities for: beneficiaries: Rs. _____
centre: Rs. _____

10. Other Activities (other than productive activities):

- i) Whether any social service is undertaken by the centre: **Yes / No**
- a) By adopting specific area: **Yes / No**
- b) By linking with established institutions such as Orphanages, J.J. Institutes etc.: **Yes / No**
- ii) What type of services are provided by the beneficiaries / centre to the community:

a. teaching	Yes / No
b. planting trees	Yes / No
c. vocational training	Yes / No
d. crèche services	Yes / No
e. any other community service	Yes / No
f. Other (please specify)	Yes / No

11. Are there any linkages with any other organization / institution If so, please specify the name of the organisation for each service:

- i. Nutrition
- ii. Recreation
- iii. Health
- iv. Vocational Training
- v. Any other sector

PART -C

12. Organisation's Funds Flow:

Detail of Expenditure on:	FOR THE ORGANISATION AS A WHOLE			FOR THIS PROJECT		
	Year preceding the financial year of Grant-in-aid assistance indicated at Sl. No. 3(c) Part -A	Previous Year (new Projects)	Current Year budgeted / actual	Year preceding the financial year of Grant-in-aid assistance indicated at Sl. No. 3(c) Part A	Previous Year	Current Year budgeted / actual
I. Financial year						
II. Total INCOME, of which: (i) funded by office-bearers, donations from private sector						
(ii) funded by foreign contribution.						
(iii) funded by local bodies and public sector organization / State Govt						
(iv) Grant from Central Govt. (Please indicate from each Ministry / Dept / CAPART separately.)						
(v) Beneficiaries contribution / User Charges						
(vi) Miscellaneous income						
(vii) Any Other sources not mentioned above (specify)						
III. Total EXPENDITURE, of which:						
(i) <i>Recurring</i>						
(ii) <i>Non-recurring</i>						
IV) Details of Expenditure on:						
(i) Salaries and Wages						

Detail of Expenditure on:	FOR THE ORGANISATION AS A WHOLE			FOR THIS PROJECT		
	Year preceding the financial year of Grant-in-aid assistance indicated at Sl. No. 3(c) Part -A	Previous Year (new Projects)	Current Year budgeted / actual	Year preceding the financial year of Grant-inaid assistance indicated at Sl. No. 3(c) Part A	Previous Year	Current Year budgeted / actual
(ii) Rental: (a) building (b) Furniture & fixture (c) Plant & Machinery						
(iii) Travelling, daily, etc. allowances.						
(iv) Other Administrative Costs						
(v) Expenditure on beneficiaries: (a) in cash:						
(vi) Expenditure on beneficiaries: in kind: i. Food: ii. Uniform / clothing: iii. Medicines: iv. Transport facility: v. Recreation / games: vi. Misc:						
(vi) Material costs incurred by the orgn.: (For imparting Vocational Training) a) _____ b) _____ c) _____						
(vii) Cost per beneficiary:						

13. VERIFICATION

Certified that above information is in accordance with the records and accounts audited / to be audited and is correct to the best of knowledge and belief of the office-bearers of the organization, and after its perusal and satisfaction, they have authorized the undersigned by a resolution dated _____ to verify and submit the statement of information for purposes of monitoring the scheme for which grants-in-aid was received from the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India.

2. I also hereby certify that I have read the rules and regulations of the Scheme and I undertake to abide by them. On behalf of the Management, I further agree to the following conditions:

- a. All assets acquired wholly or substantially out of the Central grant shall not be encumbered or disposed of or utilised for purposes other than those for which the grant is given. Should the organisation cease to exist at any time, such properties shall revert to the Government of India.
- b. The accounts of the project shall be properly and separately maintained. They shall always be open to check by an officer deputed by the Government of India or the State Government. They shall also be open to a test check by the Comptroller and Auditor General of India at his discretion.
- c. If the State or the Central Government have reasons to believe that the grant is not being utilised for approved purposes; the Government of India may stop payment of further instalments and recover earlier grant in such manner as they may decide.
- d. The organisation agrees to make reservation for the Scheduled Castes / Schedule Tribe candidates / Disabled persons for appointment against the posts required for the working of the organisation in accordance with instructions issued by the Government of India from time to time.
- e. It is hereby certified that no grant is being received for the same project from any other (Government, Private or foreign) source.

Yours faithfully

Signature of the Authorised Signatory

Name:

Designation:

Address:

Date:

Office Stamp:

List of Documents to be submitted alongwith Application for 1st instalment or new case.

- a. Accounts in 4 parts for the project for which grant-in-aid is sought and for the organisation as a whole.
 - i. Income & Expenditure Statement
 - ii. Receipt & Payments Statement
 - iii. Balance Sheet

- iv. Auditors Report
- b. Activity Report of The Organisation for the previous year.
- c. Budget Estimates for the project for current year
- d. Details of Beneficiaries on Form - I
- e. Details of the Managing Committee on Form - II
- f. Details of Employees on Form - III
- g. Copy of Registration Certificate
- h. Memorandum of Association / bye-laws / Articles.
- i. Utilisation Certificate in respect of grants released in the previous year

Note: In the case of new projects, accounts should be audited and the accounts submitted for the preceding two years. The requirement of Utilisation Certificate (UC) does not apply in such cases.
